खण्ड-280, अंक-6
गुरूवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(5 मार्च, 1970 ई0)

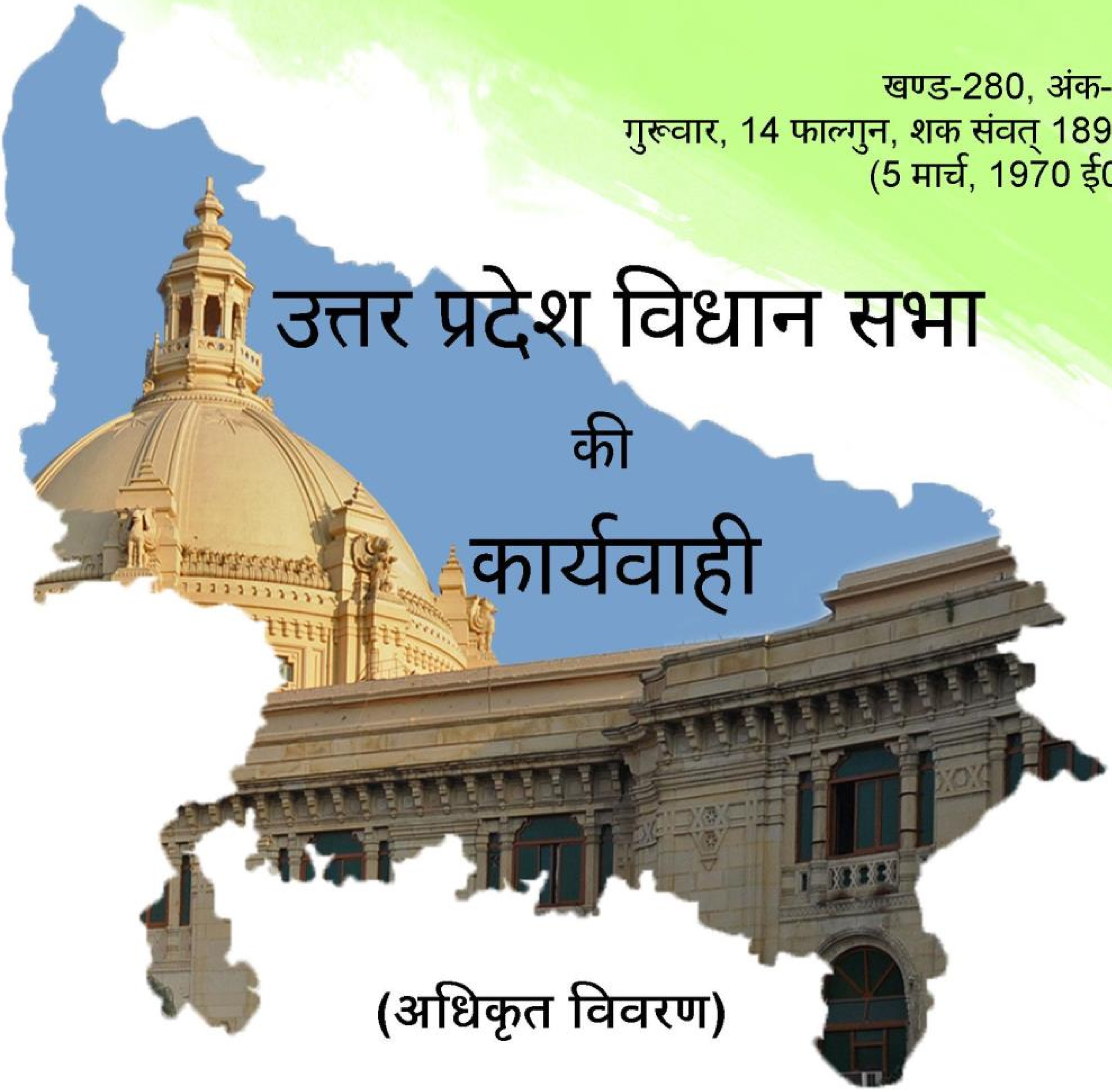

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 280 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४१५

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री

केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल, चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मुन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जमशेर, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जय राम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, गंगवार श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिबेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिल मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री

नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिल लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा

राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिल गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामबिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसेन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरुप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा,श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती

शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती,
शान्ति चरण पिड़ारा, श्री
शिवकुमार श्री, (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईदमुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
हुक्मसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट के छात्रों को सत्र उपस्थिति में १५ दिवस की छूट

****१—श्री सन्तराम (जिला गोंडा)—**

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात का पता है कि विगत वर्ष अध्यापकों के आन्दोलन के कारण हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के छात्रों को सत्र उपस्थिति में क्रमशः १५ दिवस तथा १५ लेक्चर्स की छूट मिली थी किन्तु इस वर्ष हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट के छात्रों की सत्र उपस्थिति में दो वर्षों की उपस्थिति सम्मिलित की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

जी हां ।

****२—श्री सन्तराम—**

यदि हां तो क्या शिक्षा मंत्री उपरोक्त प्रश्न नम्बर पर विचार करके आगामी १२ मार्च, सन् १९७० के पूर्व ही हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के छात्रों की सत्र उपस्थिति में १५ दिवस तथा १५ लेक्चर की छूट देने का आदेश प्रसारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

राज्यादेश, दिनांक २ मार्च, १९७० को प्रसारित कर दिया गया है । जिसमें हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के छात्रों की सत्र उपस्थिति में १५ दिवस तथा १५ लेक्चर की छूट देने का अधिकार संस्था के प्रधानाचार्यों को दे दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न

***१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—**

[प्रश्नकर्त्ता के मंत्रि-मंडल में समावेश के कारण अपास्त]

कर्णप्रयाग-रामनगर मोटर मार्ग में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

***२—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी कितने मामले (केसेज) ऐसे रह गये हैं जिनका कर्णप्रयाग-रामनगर मोटर मार्ग के निर्माण से पन्डुन्वारवाल, जिला चमोली तक ली गई जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

ऐसा कोई मामला बाकी नहीं है ।

---

*नोट—उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४१ के अन्तर्गत छापे गये ।

*३—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[प्रश्नकर्त्ता के मन्त्रि-मण्डल में समावेश के कारण अपास्त]

*४–५—श्री श्यामलाल—

[२रे सोमवार के प्र० सं० १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६–७—श्री गोविन्दसिंह—

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८—श्री उपेन्द्र नाथ—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*९–१०—श्री महरम सिंह—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अनुसूचित जातीय राजपत्रित अधिकारी

*११—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और उसमें हरिजन और पिछड़ी जातियों की संख्या अलग-अलग क्या है ?

श्री चरणसिंह—

१९६८–६९ में राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या १४,१९८ थी जिनमें ३९७ अनुसूचित जाति के थे । पिछड़ी जातियों के लिये कोई आरक्षण न होने के कारण इनके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

*१२—श्री जयराम यादव—

[२रे सोमवार के प्र०सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१३—श्री बासुदेव सिंह—

[२रे मंगलवार के प्र०सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पुलिस अधीक्षक, जिला कानपुर द्वारा इटावा ग्राम वासी श्री सूरजप्रसाद की शिकायत की जांच

*१४—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें तथा महानिरीक्षक महोदय पुलिस, उत्तर प्रदेश को दिनांक ५ मई, १९६९ का रजिस्टर्ड पत्र श्री सूरज प्रसाद, निवासी ग्राम इटावा, थाना सचेंडी, जिला कानपुर का इस आशय का प्राप्त हुआ है कि श्री गौहर थानाध्यक्ष, सचेंडी के कहने पर झूठी गवाही देने से इंकार करने पर उसे बुरी तरह पीटा गया तथा उसकी चोटी उखाड़ कर उसके धर्म का अपमान किया गया ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी ने किस तिथि को की और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

श्री सूरज प्रसाद के प्रार्थना-पत्र, दिनांक ५–५–६९ की जांच पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र, कानपुर द्वारा दिनांक १६–५–६९ को की गई है । जांच से आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये ।

नौकरियों में अनुसूचित जातियों का आरक्षण

*१५—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नौकरियों की भरती में परिगणित जातीय अभ्यर्थियों को १८ प्रतिशत सुरक्षित जगहें प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

अधिकतर विभागों में अनुसूचित जातियों के लिये सेवाओं, पदों में १८ प्रतिशत आरक्षण के अनुसार जगहें भरी नहीं गई हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि योग्यता के आधार पर उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते ।

आजमगढ़ जिले में पुलिस अराजकता की शिकायतें

*१६—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के कितने शिकायती-पत्र आजमगढ़ जिले में पुलिस अराजकता और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित गत एक वर्ष (मार्च, सन् १९६९ से जुलाई, १९६९) तक सरकार को प्राप्त हुये हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

आजमगढ़ जिले में अराजकता और कानून तथा व्यवस्था के संबंध में मार्च, १९६९ से जुलाई, १९६९ तक प्रश्नकर्ता के ११ प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुए । उनमें की गई कार्यवाही की सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२५ पर)

*१७—श्री दलसिंगार—

क्या यह सही है कि उक्त अवधि में इस जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में और विशेषकर कोतवाली क्षेत्र में लगभग १०० चोरी-डकैती (हत्या के साथ) तथा राहजनी की घटनायें हुई हैं ?

श्री चरणसिंह—

उक्त अवधि में इस जिले में १ चोरी हत्या के साथ, ४ डकैती हत्या के साथ तथा २८ लूट के अपराध अंकित हुए । कोतवाली क्षेत्र में केवल १ लूट की घटना अंकित हुई।

*१८—श्री बासुदेव सिंह—

[२रे मंगलवार के प्र०सं० ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ जिले में अपराधों से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

*१९—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ की जनता ने कितने प्रार्थना-पत्र कत्ल, डकैती व राहजनी के संबंध में अप्रैल, सन् १९६८ से अब तक जिलाधीश को दिये और उनमें से कितनों की जांच स्वयं जिलाधीश ने की ?

श्री चरणसिंह—

कत्ल, डकैती व राहजनी के संबंध में मेरठ की जनता ने अप्रैल, १९६८ से अब तक (३०-११-६९) जिलाधीश को ५ प्रार्थना-पत्र दिये । जिला मजिस्ट्रेट ने स्वयं इन में से किसी की जांच नहीं की ।

थानेदारों में हरिजनों की भर्ती

*२०—श्री राम रतन (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६०–६५ में कुल कितने थानेदार भरती किये गये ? उसमें हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों का क्या प्रतिशत रहा ?

श्री चरणसिंह—

वर्ष १९६० से १९६५ के बीच कुल १,०६२ थानेदार भरती किये गये। उनमें से हरिजनों का प्रतिशत ९.३२ था तथा पिछड़ी जातियों का ५.५५ था।

थानेदारों की बर्खास्तगी

*२१—श्री राम रतन—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रांत में किन-किन जिलों में कितने थानेदार सन् १९५९-६० तथा १९६०–६१ में बर्खास्त हुए उसमें हरिजनों की क्या प्रतिशत रही ?

श्री चरणसिंह—

प्रदेश में १९५९-६० तथा १९६०–६१ में कुल ६ थानेदार बरखास्त हुये और उनमें से कोई भी हरिजन नहीं था। जिलेवार ब्योरा निम्न प्रकार है—

बुलन्दशहर	..	१
कानपुर	..	३
देवरिया	..	१
इलाहाबाद	..	१
योग	..	६

सुल्तानपुर जिले में परसड़ा गांव की डकैती में कान्स्टेबिल, बाबूराम के शामिल होने की जांच

*२२—श्री रामप्यारे शुक्ला (जिला सुल्तानपुर)—

क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी है कि सुल्तानपुर जिले के थाना जैसिंहपुर के ग्राम परसड़ा में दिनांक २१/२२ जून, १९६९ की पड़ी डकैती में उसी हल्के का एक सिपाही बाबूराम भी डकैती में शामिल था जिसकी लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गयी यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—

ग्राम परसड़ा, थाना जैसिंहपुर, जिला सुलतानपुर में दिनांक २१/२२ जून, १९६९ को कोई डकैती नहीं पड़ी। श्री रामराज निवासी ग्राम परसड़ा के घर १७/१८-६-६९ की रात में १२/१४ अज्ञात डाकुओं द्वारा डाका डाले जाने की रिपोर्ट जैसिंहपुर थाने पर १८-६-६९ को धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० के अन्तर्गत अंकित हुई जिसमें जांच हो रही है। इस रिपोर्ट में कांस्टेबिल बाबूराम के डकैती में शामिल होने का कोई उल्लेख नहीं है।

दिनांक २१–६–६९ को वादी रामराज ने एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर को दिया जिसमें यह कहा गया कि प्रार्थी के घर पड़ी डकैती में सिपाही बाबूराम भी शामिल था। इस बारे में जांच क्षेत्र अधिकारी द्वारा कराई गई जिन्होंने कांस्टेबिल के अपराध में शामिल होने की शिकायत सही नहीं पाई। इस शिकायत की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री औसान के मारे जाने के सम्बन्ध में कप्तानगंज थाना कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा

*२३—श्री मंगल उपाध्या (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत मई में जब वे देवरिया जनपद में दौरे पर गये थे तब उनसे श्री मंगल उपाध्याय, एम०एल०ए० तथा अन्य प्रतिष्ठित जनसेवी कार्यकर्त्ताओं ने यह शिकायत की थी कि श्री औसान नामक एक व्यक्ति निवासी ग्राम देवउरवा थाना कप्तानगंज को इसी थाने के अन्दर पुलिस कर्मचारियों ने दिनांक २६ मार्च, १९६९ को इतना मारा कि वह थाने के अन्दर ही मर गया ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री चरणसिंह—

मई, १९६९ में देवरिया जिले के दौरे के समय तत्कालीन मुख्य मंत्री से ऐसी शिकायत की गई थी। श्री औसान के मृत्यु के संबंध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई। साथ ही इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को भी सौंपी गई। अपराध अनुसंधान विभाग की प्राथमिक जांच के उपरान्त एक सब इन्सपेक्टर तथा ४ कांस्टेबिलों के विरुद्ध धारा ३०२/३३० भा०दं०वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमें की विवेचना पूरी हो चुकी है और उपर्युक्त कर्मचारियों के विरुद्ध चार्जशीट शीघ्र ही न्यायालय भेजी जायगी।

*२४—श्री रामपूजन पटेल—

[२रे मंगलवार के प्र०सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२५—श्री शिवराज सिंह—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रिमंडल में समावेश के कारण अपास्त]

सीमान्त क्षेत्रों तथा बरेली में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच

*२६—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि प्रश्नकर्ता ने प्रदेश की सरहद तथा बरेली में विदेशियों की गतिविधियों के विषय में एक पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा जून में मुख्य मंत्री जी को भेजा था उस पर मंत्री जी ने डी०आई०जी० (सी०आई०डी०) द्वारा जांच भी कराई और डी०आई०जी० (सी०आई०डी) ने अपनी जांच दिनांक ४ अगस्त, १९६९ को पूरी करके मुख्य मंत्री की सेवा में प्रेषित कर दी ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री ने प्रदेश की सुरक्षा हेतु क्या क्या कार्यावाही की तथा जांच से क्या-क्या तथ्य सामने आये ?

श्री चरणसिंह—

माननीय सदस्य के प्रश्नगत पत्र के संबंध में अभिसूचना विभाग से जांच कराई गयी थी, परन्तु उनकी रिपोर्ट में ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि सीमांत क्षेत्रों तथा बरेली में विदेशी नागरिक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में तल्लीन हैं। रिपोर्ट का विवरण देना जनहित में उचित न होगा तथापि शासन प्रदेश की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है।

*२७—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[२रे सोमवार के प्र० सं० २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना कृष्णानगर, लखनऊ के अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का सुझाव

*२८—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि थाना कृष्णानगर, लखनऊ में कितने ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक से अभी तक उसी थाने में तैनात हैं ? उनका स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक १ जनवरी, १९७० को एक हेड कांस्टेबिल तथा तीन कांस्टेबिल कृष्णानगर थाने पर तीन वर्ष से अधिक से तैनात थे ।

हेड कांस्टेबिल एक थाने पर पांच वर्ष तक तैनात रह सकता है और कांस्टेबिल के थाने पर तैनात रहने की अवधि पर कोई रोक नहीं है ।

*२९—श्री सजीवन लाल—

क्या गृह मंत्री को पता है कि थाना कृष्णानगर, लखनऊ तस्करी का बड़ा भारी अड्डा है और इसी कारण से वहां के अधिकारी अपना स्थानान्तरण हो जाने के बाद भी रुकवा लेते हैं ?

श्री चरण सिंह—

ऐसा कोई अड्डा नहीं है ।

*३०—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[४ थे सोमवार के प्र०सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३१-३२—श्री इन्द्रलाल—

[२रे सोमवार के प्र०सं० २५-५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३३—श्री राम लखन—

[२रे मंगलवार के प्र०सं० ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३४—श्री जगदीश गांधी—

[२रे सोमवार के प्र०सं० २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गृह विभाग के पास इन्डियन आर्डिनेन्स फैक्टरी के कथित आग्नेयास्त्र

*३५—श्री सुरेंद्रविक्रम—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि प्रदेश के गृह विभाग के पास कई सौ इंडियन आर्डिनेंस फैक्टरी की बनी ३१५ बोर राइफल दुनाली १२ बोर बन्दूक तथा २२ बोर राइफल बिक्री के लिए ४ वर्ष से पड़ी हैं ? यदि हां, तो उनका वितरण किस प्रकार होगा?

श्री चरण सिंह—

प्रदेश के गृह विभाग के पास इंडियन आर्डिनेंस फैक्टरी की बनी कोई भी राइफलें अथवा बन्दूकें बिक्री के लिए नहीं पड़ी हैं ।

*३६-३७—श्री रामचन्द्र विकल—

[२रे मंगलवार के प्र०सं० ६३-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थानाध्यक्ष, बिल्हौर, श्री चन्द्रभान शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही

*३८—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत मल्लापुर डकैती कांड में थाना बिल्हौर के भूतपूर्व इंचार्ज श्री शर्मा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता की लिखित शिकायत के आधार पर जो जांच कराई गई है क्या उसमें थाना इंचार्ज दोषी सिद्ध हुये हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चरणसिंह—

प्रश्नकर्ता महोदय के पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई । चूंकि ग्राम मल्लापुर में पड़ी डकैती की घटना के सिलसिले में थानाध्यक्ष बिल्हौर द्वारा गोली चलाई गई थी इसलिये एक मजिस्ट्रेट द्वारा भी जांच की गई । जांच से थानाध्यक्ष, बिल्हौर श्री चन्द्र भान शर्मा की कार्यवाहियों में त्रुटियां व कमियां पाई गई अतः उनके विरुद्ध वैभागिक कार्य-वाही करने के आदेश हुये हैं ।

*३९—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत थाना बिल्हौर के क्षेत्र में इसी थाने के भूतपूर्व थाना इंचार्ज श्री शर्मा के कार्यकाल में कुल कितनी डकैतियां हुईं और उनमें कितनी डकैतियों के डकैतों का पता अभी तक नहीं लग सका है ?

श्री चरणसिंह—

श्री चन्द्रभान शर्मा भूतपूर्व थानाध्यक्ष, बिल्हौर जिला कानपुर के कार्यकाल में ११ डकैतियों के अभियोग हुए । सभी डकैतियों के डकैतों का पता लगा लिया गया तथा उनका चालान किया गया ।

*४०—श्री रामलाल राही—

[२रे शुक्रवार में प्र० सं० ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री मदनगोपाल शर्मा, हेड कान्स्टेबिल, थाना सहसवान का कत्ल

*४१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री को मालूम है कि १७ जून, १९६९ ई० को ६-३० बजे शाम हेड कान्स्टेबिल मौ० काजी चौकी, थाना सहसवान, जिला बदायूं का कत्ल एक साजिश की बिना पर हुआ था ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक १७-६-१९६९ को शाम को श्री मदन गोपाल शर्मा, हेड कांस्टेबिल, चौकी, काजी मोहल्ला, थाना सहसवान, जिला बदायूं की हत्या हुई । इस घटना से सम्बन्धित मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । अतः इस बारे में कुछ टिप्पणी करना सम्भव नहीं है ।

*४२—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि दिनांक १० अगस्त, १९६९ को सुबह लगभग १० बजे एक नाम जद कातिल आरिफ किसी राजनैतिक नेता तथा विधान मंडल के सदस्य के उझानी फार्म पर गिरफ्तार हुआ ? यदि हां, तो फार्म किसका है और क्या सरकार इस घटना की जांच सी० आई० डी० के द्वारा कराने का कष्ट करेगी ?

श्री चरणसिंह—

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त आरिफ दिनांक १०-८-१९६९ को दोपहर में पुलिस को देखकर एक मक्का के खेत से भागा किन्तु पीछा करके गिरफ्तार कर लिया गया ।

मक्का का खेत किसी राजनैतिक नेता तथा विधान मंडल के सदस्य का नहीं बल्कि श्री जुम्मा खां निवासी ग्राम मानिकपुर का है। चूंकि मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है अतः सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ में श्री मोतीलाल व श्री लालताप्रसाद के विरुद्ध दफा १०७/११७ की कार्यवाही

*४३—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ शहर में दिनांक २४ जुलाई, १९६९ को दिन-दहाड़े एक मकान मालिक ने अपने उस मकान को जिसमें कि एक परिवार अनेक वर्षों से किराये पर रह रहा था, उसे बिना सूचना दिये ध्वस्त करा दिया और उसमें रहने वालों के शरीर पर तेजाब डलवा दिया तथा बुरी तरह पीट कर मरणासन्न भी कर दिया? यदि हां, तो अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही किया?

श्री चरणसिंह—

मुहल्ला श्याम बिहारी गली, मकन्दूगंज, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़ के बहुत से व्यक्तियों ने, मकान नं० ४७, जो अत्यन्त जर्जर अवस्था में था, जिसके गिर जाने की आशंका थी जिससे मकान में रहने वालों तथा पड़ोसियों की जान माल की क्षति पहुंच सकती थी, के सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिये थे। एस० डी० एम० सदर, प्रतापगढ़, ने मकान मालिक श्री मोतीलाल को दिनांक २३-७-१९६९ को धारा १३३ जा० फौ० के अन्तर्गत नोटिस दिया। फलस्वरूप श्री मोतीलाल ने दिनांक २४-७-१९६९ को मकान गिरवा दिया। इस पर श्री मोतीलाल का किराये दार श्री लालता प्रसाद के बीच झगड़ा हुआ। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सर्वश्री मोतीलाल व लालता प्रसाद को शान्ति भंग का अंदेशा होने पर धारा १५१ जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया तथा दोनों ओर के चार चार व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० की कार्यवाई की गई, जो अदालत के विचाराधीन है।

थाना मुगरा, बादशाहपुर के अन्तर्गत श्री राधेश्याम पाण्डेय की हत्या

*४४—श्री रामदेव—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत ग्राम चितांव, थाना मुगरा, बादशाहपुर में दिनांक १४ अगस्त, १९६९ ई० को दिनदहाड़े श्री राधेश्याम पाण्डेय जो कि अपनी धर्मपत्नी विदा कराने गये थे की निर्मम हत्या कर दी गई और उनका शव नाटकीय ढंग से एक कुयें में डाल कर पुनः निकाला गया? यदि हां, तो आज तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की? कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुये हैं और कितने फरार हैं?

श्री चरण सिंह—

१५-८-१९६९ को ८-४५ बजे श्री लक्ष्मी नरायन पांडे, निवासी भटेखा (चितांव), थाना बादशाहपुर, जिला जौनपुर ने मुगरा बादशाहपुर, थाना पर सूचना दी कि उनके दामाद श्री राधेश्याम पांडे १४-८-१९६९ को दिन में करीब २ बजे शराब के नशे में कुंए में कूद पड़े और बाहर निकाले जाने के थोड़ी देर बाद मर गए। उसी दिन ८-४० बजे मृतक के भाई श्री शिवप्रसाद पांडे ने रिपोर्ट लिखाई कि उसके भाई को लक्ष्मी नरायन पांडे, उनके घर वालों और उनके साथियों ने जान से मार डाला तथा मारने के बाद या जिन्दा रहते हुए कुएं में डाल दिया। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट के आधार पर अपराध सं० ९७ के अन्तर्गत धारा ३०२ भा० द० वि० एक मुकदमा पंजीकृत किया। मृतक की लाश का पोस्ट मार्टम तथा विसरा का रासायनिक परीक्षण कराया गया। लक्ष्मीनरायन तथा उसका भतीजा लहुरी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। अन्य व्यक्तियों ने अदालत में आत्म समर्पण किया। अपराध की विवेचना जारी है।

थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ के दरोगा के तबादले की मुन्सूखी

*४५—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री जी को जानकारी है कि वर्तमान अफसर इंचार्ज, थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ की जनता की शिकायत तथा प्रशासनिक आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक ने तबादला किया था ? यदि हां, तो बाद को उक्त तबादला किन कारणों से मन्सूख कर दिया गया ?

श्री चरणसिंह—

इनके स्थानान्तरण के आदेश पुलिस उप-महानिरीक्षक, लखनऊ रेंज ने साधारण रूप से दिये थे। ऐसा किसी शिकायत पर नहीं किया गया था।

प्रशासनिक कारण से पुलिस उप-महानिरीक्षक, लखनऊ रेंज ने अपने आदेश वापस ले लिये थे।

*४६—श्री जयराम यादव—

[२रे सोमवार के प्र० सं० २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नेहरू तिब्बती मेमोरियल फाउन्डेशन में एक गुट को निकालने की शिकायत

*४७—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि १० अगस्त, १९६८ को देहरादून के वर्तमान पुलिस अधीक्षक की मदद से नेहरू तिब्बती मेमोरियल फाउन्डेशन के एक तिब्बती गुट ने दूसरे गुट के कई व्यक्तियों को बेघर कर दिया तथा उन्हें वर्षा एवं जाड़ों में घरों से निकाल कर सड़कों पर सोने के लिये मजबूर कर दिया ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—

यह सही नहीं है कि १० अगस्त, १९६८ को देहरादून के वर्तमान पुलिस अधीक्षक की मदद से नेहरू तिब्बती मेमोरियल फाउन्डेशन के एक तिब्बती गुट ने दूसरे गुट के कई व्यक्तियों को बेघर कर दिया तथा उन्हें वर्षा एवं जाड़ों में घरों से निकाल कर सड़कों पर सोने के लिए मजबूर कर दिया।

*४८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[३रे सोमवार के प्र० सं० १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४९-५०—श्री भगवतीसिंह विशारद—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ६५-६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५१—श्री मनसाराम—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५२-५३—श्री महीलाल—

[२रे सोमवार के प्र० सं० २९-३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ जिले के बड़ौत थाने में हनीफ को मार डालने की रिपोर्ट

*५४—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि २५ मई, १९६९ को थाना बड़ौत, जिला मेरठ में श्रीमती कपीरी देवी ने अपने पुत्र हनीफ उर्फ जीना को मार कर विटोरे में फूंक देने की नाम-

जद रिपोर्ट की है ? यदि हां, तो मुल्जिमान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही अमल में आई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, इस आशय की सूचना तो प्राप्त हुई थी, परन्तु वह श्रीमती कपोरी देवी ने नहीं वरन् सर्वश्री फखरुद्दीन व हबीब ने दी थी। इस सम्बन्ध में तुरन्त जांच की गयी। जांच में आरोप बिल्कुल झूठे पाये गये। हनीफ उर्फ जीना महेन्द्र सिंह का उधार लिया हुआ रुपया न देने की वजह से गांव के कुछ दिनों से गायब हो गया था जो दिनांक २४-८-६९ को वापिस आ गया था और उसी महेन्द्र सिंह के यहां ही नौकरी कर रहा है। जांच दिनांक १३-११-६९ को समाप्त कर दी गई।

*५५—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५६—श्री हिम्मतसिंह—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

मुख्य मन्त्री श्री चरण सिंह की सम्पत्ति

*५७—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह ने अपनी क्या हैसियत मुख्य मन्त्रित्व काल में दी थी ?

श्री चरणसिंह—

मंत्रियों के लिये आचरण कोड प्राविधानों के अनुसार मुख्य मन्त्री द्वारा अपनी चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा प्रधान मन्त्री को भेजा जाता है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपनी सम्पत्ति का ब्योरा प्रधान मन्त्री को भेजा था या नहीं।

*५८—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले में जिलाधीशों की नियुक्ति

*५९—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में गत ३ वर्षों में कितने जिलाधीश नियुक्त किये गये और उनकी शैक्षिक योग्यतायें क्या थीं ?

श्री चरणसिंह—

गत ३ वर्षों में देवरिया जिले में चार जिलाधीश नियुक्त किये गये, जिनके नाम और शैक्षिक योग्यतायें निम्न प्रकार हैं :

(१) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०
(२) श्री नन्द लाल कुरील, एम० एस-सी०
(३) श्री विलियम मोवे सिंह, एम० ए०
(४) श्री शफीक हुसैन, एम० ए०।

*६०—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पटेल आयोग ने देवरिया जिले के अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब तक देवरिया का पूर्ण विकास नहीं हो जायगा तब तक इस जिले में आई० ए० एस० या दस साल का अनुभवी पी० सी० एस० जिलाधीश नियुक्त किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो क्या इसको कार्यान्वित किया गया और नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं। फिर भी गत ३ वर्षों में जो अधिकारी वहां नियुक्त किये गये वे सब ही पी० सी० एस० थे और उनको इस सेवा में क्रमशः १५, २४, २२ तथा २९ वर्ष का अनुभव प्राप्त था।

*६१—श्री रामगोपाल संड—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६२—श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

[प्रश्नकर्ता के मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

श्री आर० एन० लवानियां, भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता, नहर विभाग, मेरठ के पास से रिवाल्वर गुम होना तथा चोरी की कार बरामद होना

*६३—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, कैनाल डिवीजन, मेरठ, श्री आर० एन० लवानियां के पास से जनवरी, १९६९ में चोरी की कार बरामद हुई थी ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरण सिंह—

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री आर० एन० लवानियां, भूतपूर्व अधिशासी अभियंता, नहर विभाग, मेरठ के पास से दिल्ली पुलिस ने कोई कार अपने कब्जे में ली थी। चूंकि इस केस में दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही की है, अतः इसके सम्बन्ध में अन्य कोई सूचना मेरठ जिले की पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है।

*६४—श्री रामपूजन पटेल तथा श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि नवम्बर, १९६८ में उपर्युक्त इंजीनियर ने अपनी रिवाल्वर के चोरी जाने की रिपोर्ट थाना सिविल लाइन, मेरठ में लिखवाई थी और क्या वही रिवाल्वर दिल्ली डाक द्वारा वापस मिल गई ? यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री इस घटना पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

नवम्बर, १९६८ में नहीं, बल्कि जून, १९६८ में उपर्युक्त अधिशासी अभियंता ने थाना सिविल लाइन्स, मेरठ में इस आशय की रिपोर्ट की थी कि २२ जून, १९६८ को जब वह दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने अपना रिवाल्वर अपने बक्स में रखा था किन्तु दिल्ली पहुंचने पर वह रिवाल्वर उन्हें बक्स में नहीं मिला। इस सूचना पर थानेदार पर धारा ३८० भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम हुआ था। बाद में वादी ने सूचना दी कि उन्हें उक्त रिवाल्वर पार्सल द्वारा प्राप्त हो गया है। जिस नाम से पार्सल भेजा गया था वह नाम जांच से सही नहीं पाया गया। जांच से कोई विशेष बात ज्ञात न हो सकी, अतः जांच अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दी गई।

गढ़मुक्तेश्वर थाने के हिस्ट्रीशीटर साजिद की लखनऊ में गिरफ्तारी

*६५—श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ), श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया) तथा श्री रामपूजन पटेल—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि दिनांक १५ अगस्त, १९६९ का उन्हें गढ़मुक्तेश्वर की जनता की ओर से साजिद उर्फ हफीजउद्दीन, निवासी गढ़मुक्तेश्वर के विरुद्ध असामाजिक कार्यों की शिकायतों का कोई ज्ञापन मिला है ? यदि हां, तो साजिद के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, गढ़मुक्तेवर की जनता की ओर से अगस्त, १९६९ में साजिद उर्फ हफीजुद्दीन के विरुद्ध एक ज्ञापन प्राप्त हुआ कि साजिद एक अवांछनीय व्यक्ति है जो अनेकों प्रकार के जरायम करने और कराने का अभ्यस्त है। इसके विरुद्ध पुलिस को जो रिपोर्ट प्राप्त हुयीं उन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही समय-समय पर की गई। उसकी १९५८ से ही हिस्ट्रीशीट खुली हुई है।

*६६—श्री प्यारे लाल, श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री रामपूजन पटेल—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त साजिद, जिला मेरठ ३९५/३९७ के अन्तर्गत फरार है और जिला बुलन्दशहर के किसी विधायक के निवास पर ए ब्लाक, दारुलशफा में शरण पाये हुये है ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त साजिद को गिरफ्तार करके उस पर मेरठ जिले में लगे आरोपों के अनुसार मुकदमा चलावेगी ?

श्री चरणसिंह—

२४ जनवरी, १९६९ को थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला मेरठ पर इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि साजिद ने अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर रामदास निवासी कस्बा गढ़मुक्तेश्वर के घर पर हमला करके उसके लड़के पर पिस्तौल से गोली चलाई और शोर हो जाने पर अपने सब साथियों सहित भाग गया। इस रिपोर्ट के आधार पर भा० द० वि० की धारा १४७/१४८/१४९/३०७/४५२ के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम हुआ। साजिद घटना के दिन से फरार हो गया। उसके विरुद्ध दिनांक २८-६-६९ को मफरुरी में चार्जशीट अदालत भेजी गई। साजिद की गिरफ्तारी करने का भरसक प्रयत्न किया गया वह दारुलशफा, लखनऊ के 'ए' ब्लाक में एक विधायक के कमरे में रहता पाया गया। लखनऊ पुलिस ने दिनांक ८-१२-६९ को उसे गिरफ्तार किया। अब उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही मेरठ में होगी।

*६७—श्री हिम्मतसिंह—

[२सरे सोमवार के प्र० सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

*६९—श्री कृष्ण स्वरूप—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बुलन्दशहर जिले में पुलिस हिरासत में महावीर की मृत्यु

*७०—श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मन्त्री को इसकी जानकारी है कि बुलन्दशहर में थाना जहांगीराबाद में पुलिस द्वारा १४ सितम्बर, १९६९ के आस-पास किसी व्यक्ति को किसी दिन इतना मारा गया कि कचेहरी पहुंचते-पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ७/८ सितम्बर, ६९ को जब पुलिस कर्मचारी एक विश्वत सूत्र की सूचना पर धारा ३९२/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत हुए एक अपराध के सिलसिले में बामनपुर गांव के निवासी महाबीर को गिरफ्तार करने गये तो वह ट्यूब वेल की नाली में होता हुआ भागा परन्तु गिर पड़ा। उसके पास बन्दूक थी। गिरफ्तारी के समय बल का प्रयोग किया गया। इससे तथा गिरने से उसके चोटें आईं। ८-९-६९ को उसकी कचेहरी में पुलिस की हिरासत में ही मृत्यु हो गई। नियमानुसार इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट को सौंपी गई। मजिस्ट्रेट की जांच से कोई पुलिस कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

*७१—श्री सूबेदार प्रसाद—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७२—श्री जगदीश गांधी—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित[

कानपुर में राशनिंग समाप्ति के बाद सचिवालय के कर्मचारियों को खाद्य विभाग में न लेना

*७३—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाद्य विभाग में जिलापूर्ति एवं ज्येष्ठ निरीक्षकों की पर्याप्त रिक्तियां होते हुये भी कानपुर की सम्पूर्ण राशनिंग की समाप्ति के पश्चात् सचिवालय के अनुभवी तथा कुशल सहायकों को जिन्होंने राशनिंग स्कीम में दो वर्ष पांच माह लगातार कार्य किया था उन्हें खाद्य विभाग में नहीं रक्खा गया? क्या यह सही है कि उक्त स्कीम में चले जाने के परिणामस्वरूप इन सहायकों की सेवायें सचिवालय से समाप्त की जा चुकी थीं?

श्री चरणसिंह—

जनवरी, १९६८ में कानपुर की सम्पूर्ण राशनिंग के समाप्ति पर खाद्य विभाग में ज्येष्ठ निरीक्षकों की इतनी रिक्तियां नहीं थीं कि सचिवालय के समस्त कर्मचारी जो ज्येष्ठ निरीक्षक के पद से फालतू हो गये थे नियुक्त किये जाते। अतएव, उनमें से केवल २ ही कर्मचारी ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर खाद्य विभाग में नियुक्त किये गये। केवल दो कर्मचारियों को छोड़कर जिनका कार्य एवं आचरण ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर संतोषजनक न था, सभी कर्मचारियों को सचिवालय में समान वेतन-क्रम में वापस ले लिया गया है।

यह सही है कि जो सचिवालय के सहायक राशनिंग विभाग में गये थे उनकी सचिवालय में सेवा समाप्ति के आदेश जारी किये गये थे परन्तु उनके सचिवालय में वापस आने पर ऐसे आदेश को पूर्व प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

*७४—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या यह भी सत्य है कि अन्य विभागों के सरप्लस (Surplus) कर्मचारियों को जिन्हें इस स्कीम में रख लिया गया था राशनिंग की समाप्ति पर उन्हें खाद्य विभाग में

किसी न किसी पद पर नियुक्त किया गया परन्तु सचिवालय के बहुत से सहायकों को जिन्होंने कानपुर में योग्यता पूर्वक कार्य किया था उन्हें खाद्य विभाग में कार्य करने का अवसर नहीं दिया गया ? यदि हां, तो किस कारण से ?

श्री चरणसिंह—

अन्य विभागों के सरप्लस कर्मचारी खाद्य विभाग में उसी हद तक रखे गये जितनी रिक्तियां उनके यहां उपलब्ध थीं । सचिवालय में समस्त सहायकों को खाद्य विभाग में वापस न लिये जाने का कारण पूर्व प्रश्न ७३ के उत्तर में दिया जा चुका है ।

पौड़ी में देशी शराब की दुकान

*७५—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या आबकारी मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में स्थान पौड़ी, श्रीनगर और रुद्र प्रयाग में शराब की भट्टियों को बन्द करने के लिये कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसको कब से कार्यान्वियत किया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

जिला गढ़वाल में स्थान पौड़ी में ही केवल एक देशी शराब की दुकान है जो जन साधारण में भट्ठी के नाम से प्रचलित है। इसे बन्द करने का कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन इस समय नहीं है। स्थान श्रीनगर तथा रुद्र प्रयाग में कोई देशी शराब की दुकान (भट्ठी) नहीं है। अतः इन दुकानों को बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता है।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

पी० ए० सी० के प्लैटून कमांडरों व पुलिस सब इन्सपेक्टरों का प्रत्यावर्तन

*७६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६२ में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय एक विशेष परीक्षा लेकर पी० ए० सी० तथा जिला पुलिस के कुछ सूबेदारों को इन्सपेक्टर के (पी० ए० सी० में) पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में जून, १९६८ में उन्हीं इन्सपेक्टर्स को बिना कारण सब-इन्सपेक्टर के पदों पर कार्य करने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री चरणसिंह—

१९६२ में राष्ट्रीय आपत्तिकालीन स्थिति घोषित होने के फलस्वरूप राज्य की प्रादेशिक सशस्त्र वाहिनियों की संख्या में अचानक तीव्र वृद्धि हुई और इसके कारण काफी संख्या में कम्पनी कमांडरों (इन्सपेक्टरों) के पदों को भरे जाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई । चूंकि इन पदों को भरे जाने के लिए प्रशिक्षित रिजर्व सब-इन्सपेक्टर उस समय उपलब्ध नहीं थे, अतः एक चुनाव समिति द्वारा साक्षात्कार किये जाने के बाद कुछ प्लैटून कमांडरों व सशस्त्र पुलिस के सब-इन्सपेक्टरों को चुन लिया गया तथा उन्हें उपरोक्त पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया । १९६५ में देशपर पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के परिणाम-स्वरूप प्रादेशिक सशस्त्र वाहिनियों की संख्या में पुनः वृद्धि की गई और चूंकि इस समय तक भी प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाये थे अतः उपरोक्त अस्थायी नियुक्तियां चलती रहीं । १९६८ में प्रशिक्षित अधिकारियों के उपलब्ध हो जाने पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये उपरोक्त कर्मचारियों को उनके पदों पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया ।

फर्रुखाबाद जिले में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

*श्री महरमसिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार को पता है कि १९६८ में फर्रुखाबाद जिले के पुलिस थाना राजेपुर के इन्चार्ज तथा उनके सहायकों के विरुद्ध जिलाधीश व एस० पी० फर्रुखाबाद तथा आई० जी० पुलिस ने कुछ शिकायतों की जांच कराई थी? यदि हां तो किन किन आरोपों की किस-किस अधिकारी से तथ उन अधिकारियों की क्या रिपोर्ट थी और उन रिपोर्टों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

सन् १९६८ में थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद के थानाध्यक्ष तथा एक सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध ५ शिकायती पत्र जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद तथा पुलिस महानिरीक्षक को प्राप्त हुए थे। इन शिकायती पत्रों में झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने, कुछ लोगों को झूठे मामले में फंसाने, सामान आदि छीन लेने, मुकदमें में गवाही देने के लिये धमकाने और पकड़ ले जाने तथा डकैती की रिपोर्ट न लिखने और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने की शिकायतें थी। दो शिकायती-पत्रों की जांच एस० डी० एम० द्वारा, एक की पुलिस अधीक्षक द्वारा तथा दो को अतिरिक्त एस० डी० एम द्वारा की गई। चार शिकायती पत्रों में अंकित शिकायतें जांच से प्रमाणित न हो पाई तथा सही नहीं पाई गई। डकैती की रिपोर्ट न लिखने के सम्बन्ध में जांच अधिकारी (अतिरिक्त एस० डी० एम०) ने यह विचार व्यक्त किया कि शिकायत कर्ता के घर पर सम्भवतः कोई घटना हुई थी, किन्तु उन्होंनें इस विषय में कोई निश्चित राय नहीं व्यक्त की क्यों कि इसी मामले से सम्बन्धित एक अन्य डकैती का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। पुलिस महानिरीक्षक को आदेश भेजे गये हैं कि यदि उक्त डकैती के मामले में निर्णय हो गया हो तो वे प्रार्थी की शिकायत की गहरी जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करें।

*७८—श्री महरमसिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को मई तथा जून, १९६९ में अमृतसर पुलिस चौकीके दारोगा तथा अन्य कर्मचारियोंके विरुद्ध गम्भीर आरोपों के शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे? यदि हां तो क्या-क्या शिकायत थी और किस अधिकारी ने उनकी जांच करके रिपोर्ट दी थी तथा जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, पुलिस चौकी अमृतसर, जिला फर्रुखाबाद के सब-इंसपेक्टर तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध सात शिकायती पत्र मई जून, १९६९ में पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को प्राप्त हुए थे। इसमें डकैतों से सम्पर्क रखने और लूट के माल का हिस्सा लेने, बन्दूक के लाइसेन्स के लिए दिये गए। प्रार्थना-पत्र पर माफिक रिपोर्ट देने के लिए घूस लने, सही रिपोट न लिखने, अकारण गिरफ्तार करने, घूस लेकर जमानत पर छोड़ने और झूठे मुकदमें में फंसाने के आरोप थे। इन शिकायती पत्रों की जांच उप पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई। इनमें से कुछ शिकायती पत्रों की जांच अभी पूरी नहीं की जा सकी है और जारी है कुछ शिकायती पत्रों में अंकित आरोप जांच के समय आबकारी ऐक्ट के एक मुकदमें से संबंधित पाये गये जो उस समय न्यायालय में विचाराधीन थे अतः उस समय विस्तृत जांच नहीं हो सकी। अब ज्ञात हुआ है कि आबकारी ऐक्ट के मुकदमें में निर्णय हो गया है और अभियुक्त जो शिकायत कर्ताओं में से एक है, न्यायालय से दण्डित हुआ है। शासन द्वारा आदेश भेजे गए हैं कि जिन शिकायतों की जांच जारी है, वह शीघ्र पूरी करा ली जायं और जिन अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में, आबकारी ऐक्ट के मुकदमें के विचाराधीन होने के कारण जांच नहीं की गई थी, उनकी अब समुचित जांच कराई जाय।

चौकी के सब-इन्सेपेक्टर तथा एक हेड मोहर्रिर का यहां से स्थानान्तरण किया जा चुका है।

*७९-८०—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० १०१-१०२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जखई के कत्ल से सम्बन्धित रामदयाल का थानाध्यक्ष, सचेण्डी को पत्र

*८१—श्री उपेन्द्रनाथ (जिला कानपुर)—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ३० मई, १९६८ को अछूत जाति के गरीब व्यक्ति श्री जखई, निवासी ग्राम रायपुर कठरा, थाना सचेंडी, जिला कानपुर को कथित आततायी व्यक्तियों द्वारा हिंसात्मक ढंग से मारे जाने के संबंध में जो डाक से रजिस्टर्ड पत्र उसके पुत्र राम दयाल के द्वारा थानाध्यक्ष सचेंडी को भेजा गया था वह रजिस्टर्ड पत्र थानाध्यक्ष को किस तिथि को प्राप्त हुआ और उस पर रिपोर्ट लिख कर मुकदमा किस तिथि को कायम किया तथा कितने अपराधियों का चालान किया गया है ?

श्री चरणसिंह—

श्री राम दयाल पुत्र जखई द्वारा भेजा गया प्रार्थना-पत्र थाना सचेंडी में दिनांक १६-६-६८ को प्राप्त हुआ था । प्रार्थना-पत्र पर तत्काल जांच प्रारम्भ की गई और दिनांक १-७-६८ की धारा ३२३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया । अपराध अहस्तक्षेप्य था अतः न्यायालय से आज्ञा लेने के पश्चात् मुकदमें की विवेचना की गई और दो अभियुक्तों का चालान किया गया ।

*८२—श्री शिवप्रसाद पांडियां (जिला रायबरेली), श्री रामपूजन पटेल, श्री गया प्रसाद, श्री रामचरण, श्री हरिवंश सहाय, श्री श्यामलाल तथा श्री बांकेलाल—

[स्पष्टीकरण के लिए हटा दिया गया]

*८३—श्री उपेन्द्रनाथ—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया]

*८४—श्री रामगोपाल संड—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मिर्जापुर जिले में गोपालपुर फार्म से सम्बन्धित सतिया कान्ड की जांच

*८५—श्री सूबेदारसिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में स्थित गोपालपुलर फार्म से संबंधित सतिया कांड की जो जांच सी० आई० डी० द्वारा उनके आदेश से कराई जा रही थी क्या उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे तथा बतायेंगे कि दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

सी० आई० डी० जांच पूरी हो गई परन्तु उनकी रिपोर्ट गोपनीय है और उसका सदन में रखना जनहित में उचित न होगा । गोपालपुर फार्म के एक कर्मचारी रामबहादुर के विरुद्ध कुमारी सतिय की हत्या के अभियोग में आई० पी० सी० की धारा ३०२ व आमस ऐक्ट की धारा २५/२७ के अधीन अदालत में मुकदमें कायम किये गये हैं ।

*८६—श्री सूरजलाल गुप्त—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८७–८८ श्री नगीनासिंह—

[३रे सोमवार के प्र० सं० १४–२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, कोठी प्यारेलाल, बुलन्दशहर बस स्टैण्ड, हापुड़, जिला मेरठ का शिकायती-पत्र

*८९—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दिनांक १८ सितम्बर, १९६९ को बाराबंकी के एक विधायक की चिट्ठी के साथ उन्हें श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा कोठी प्यारेलाल, बुलन्दशहर बस स्टैन्ड, हापुड़, जिला मेरठ का इस आशय का एक शिकायती-पत्र मिला कि एक मुकदमे में पुलिस के खिलाफ इस्तगासा का गवाह होने के कारण पुलिस चौकी जदीद के सिपाहियों व हापुड़ थाना के कर्मचारियों ने श्री शर्मा को दिनांक ८ सितम्बर, १९६९, १० सितम्बर, १९६९ और दिनांक ११ सितम्बर, १९६९ को मारा, जबरदस्ती पेशाब पिलवाया और शराब के एक मुकदमें में झूठा चालान किया ? यदि हां, तो श्री शर्मा के शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

प्रश्न कर्ता महोदय के पत्र दिनांक १७–९–६९ के साथ श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, कोठी प्यारेलाल, बुलन्दशहर बस स्टैन्ड, हापुड़, जिला मेरठ का शिकयती-पत्र प्राप्त हुआ था जो पुलिस महानिरीक्षक को समुचित जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया । श्री शर्मा के दो प्रार्थना-पत्र दिनांक ९–९–६९ व १३–९–६९ जिला अधिकारियों को भी प्राप्त हुये थे । इनमें भी पुलिस द्वारा मारे पीटे जाने अभद्र व्यवहार किये जाने और आबकारी के एक झूठे मुकदमें में फंसाये जाने की शिकायतें की गई थीं । आरोपों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच की गई । जांच से पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के आरोप सही नहीं पाये गये । श्री शर्मा के विरुद्ध धारा ६० आबकारी ऐक्ट का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है अतः उसके सम्बन्ध में टिप्पणी करना सम्भव नहीं है।

*९०—श्री नरोत्तमसिंह—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इमर्जेन्सी कमीशन्ड आफिसर्स के लिये राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण

*९१—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएँगे कि राज्य सरकार ने भारत-चीन और भारत-पाक युद्धों के अवसर पर भर्ती किये गये इमर्जेन्सी कमीशन्ड आफीसर्स को सेना से छटनी के बाद उन्हें अपने प्रदेश में ५० प्रतिशत स्थान राजकीय सेवाओं में भर्ती करना निश्चित किया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में ५० प्रतिशत कोटा ऐसे छटनी शुदा कमीशन्ड आफीसर्स के लिये निश्चित करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह---

आपात काल में सेना में नियुक्त इमर्जेन्सी कमीशण्ड आफिसर्स के लिये जो सेना सेवा से नियुक्त किये जायं राज्याधीन सेवाओं में निम्नलिखित आरक्षण प्रादान किया गया है :---

१---मेडिकल एवं इन्जीनियरिंग सेवाओं में सेना से सेवा विमुक्त ग्रेजुएट डाक्टरों एवं इन्जीनियरों के लिये--५० प्रतिशत ।

२---प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली सभी अप्राविधिक (नान-टेक्निकल) वर्ग २ की सेवाओं में इमर्जेन्सी कमीशन्ड आफिसर्स के लिये २० प्रतिशत । इन आरक्षणों के होते हुये छटनी शुदा इमर्जेन्सी कमीशन्ड आफिसर्स के लिये किसी और कोटे के निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*९२-९३---श्री नौनिहाल सिंह---

[२रे सोमवार के प्र० सं० ३४-३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९४---श्री रामलाल राही---

[२रे सोमवार के प्र० सं० ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९५---श्री ओमप्रकाश सिंह---

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि-मंडल में समावेश के कारण अपरास्त]

*९६---श्री गोविन्दसिंह---

[२रे सोमवार क प्र० सं० ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९७---कुंवर शिवमहेन्द्र सिंह---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

थाना पैलानी में श्री शिवनाथसिंह की मत्यु की जांच

*९८---श्री शिव कैलाश---

क्या मुख्य मन्त्री दिनांक २० अगस्त, १९६९ के अल्प-सूचित प्रश्न संख्या ४, नत्थी (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित घटना की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई गई या नहीं और उसका क्या परिणाम निकला तथा परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---

सम्बन्धित घटना में स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच की चेकिंग अपराध अनुसंधान विभाग से कराई गई थी । ये भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मृतक श्री शिवनाथ सिंह का कत्ल होने की

बात सही नहीं है तथा कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं आये जिस आरोप की पुष्टि हो कि उनका कत्ल हुआ। अपराध अनुसंधान विभाग का भी मत है कि वृद्ध आयु में तिल्ली के फटने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है।

*९९–१००—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता तथा वीरबहादुर सिंह—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ७२–७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०१—श्री महेन्द्रसिंह—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०२—श्री महेन्द्र सिंह—

[३रे सोमवार के प्र० सं० १६ के अन्तर्गत स्थानान्तिरत]

*१०३—कुंवर शिवमहेन्द्र सिंह—

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०४—श्री जंगबहादुर यादव—(जिला जौनपुर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून सन् १९६९ को जौनपुर जनपद के थाना सराय-ख्वाजा के अन्तर्गत हमजापुर ग्राम में साहबलाल के घर डाका पड़ा ?

श्री चरणसिंह—

जून, १९६९ में नहीं बल्कि १८–१९ मई, १९६९ की रात में श्री साहब लाल, निवासी ग्राम हमजापुर, थाना सराय ख्वाजा, जिला जौनपुर के घर डाका पड़ा।

*१०५—श्री जंग बहादुर यादव—

क्या मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उक्त डकैती की जांच के सिलसिले में सराय ख्वाजा थाने के दरोगा ने मोतीयादव को गिरफ्तार करके थाने ले जाकर उसे इतना मारा कि थाने पर ही उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त दरोगा के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

उक्त डकैती की जांच के सिलसिले में थानाध्यक्ष, थाना सराय ख्वाजा २६–५–६९ को मोती यादव को गिरफ्तार किया और थाने पर लाये। उसकी थाने पर उसी दिन मृत्यु हो गई। मृत्य के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई। मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मृतक थाने पर मारापीटा अवश्य गया परन्तु मारपीट से उसे ऐसी चोट नहीं पहुंची थीं जिससे मृत्यु हो जाती। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार मोती यादव को फेफड़ों की पुरानी बीमारी थी और मृत्यु हार्ट फेल हो जाने के कारण हुई। मजिस्ट्रेट द्वारा यह विचार भी व्यक्त किया गया कि मारपीट की चोटों के आघात (Shock) के कारण हो सकता है कि मृत्यु जल्दी हो गई हो।

थानाध्यक्ष को तुरन्त निलम्बित करके लाइन हाजिर कर दिया गया। मामले की जांच अब अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है जिसके समाप्त होने पर दोषी पाये जाने वाले पुलिस कर्मचारयों के विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जायगी।

*१०६—श्री जगन्नाथ खन्ना—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०७–१०८—श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ३९–४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०९–११०—श्री सूबेदारसिंह—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ७५–७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बहराइच जिले में नक्सलवादी कम्युनिस्टों की कथित सक्रियता

*१११—श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बहराइच के मौजा निधिपुरवा, रघुनाथ पुरवा, सुरेना तथा सररा में नक्सलवादी कम्युनिस्ट दल उत्पात कर रहे हैं और शान्ति भंग का खतरा है? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरणसिंह—

शासन को इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न तो इन तथ्यों की जांच द्वारा ही पुष्टि हो सकी है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*११२—श्री सोहनलाल धुसिया—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११३—श्री जगन्नाथ खन्ना—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शीरे का उत्पादन तथा उपयोग

*११४—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या आबकारी मन्त्री कृपा करके एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक मिल का प्रतिवर्ष शीरा (मोलासेस) उत्पादन की मात्रा क्या है उसका उपयोग किस प्रकार होता है? शीरे का बाजार भाव अब क्या है तथा कन्ट्रोल की दर क्या है?

श्री बलबीरसिंह—

प्रदेश की चीनी मिलों में पिछले दो वर्षों में शीरे के उत्पादन तथा उसके उपयोग की †तालिका संलग्न है। शीरे का उपयोग आसवन तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिये होता है।

---

† छापी नहीं गई।

शीरे के बाजार भाव की सूचना उपलब्ध नहीं है । शीरे के कन्ट्रोल की दर उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, १९६४ की धारा १० के अन्तर्गत दी गई सूची में है जो इस प्रकार है :—

श्रेणी		शीरे में शक्कर की कुल मात्रा प्रतिशत अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त		बढ़ाने के तथा पार्श्वायन के व्यय सहित प्रति कुंतल शीरे का अधिकतम मूल्य
प्रथम	..	५० प्रतिशत तथा उसके ऊपर	..	६७ पैसे
द्वितीय	..	४७ प्रतिशत से ४९—९९ प्रतिशत तक	..	५९ पैसे
तृतीय	..	४४ प्रतिशत से ४६—९९ प्रतिशत तक	..	५१ पैसे
चतुर्थ	..	४० प्रतिशत से ४३—९९ प्रतिशत तक	..	४३ पैसे

*११५—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११६—श्री बांकेलाल—

[१रे सोमवार के प्र० सं० ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कप्तानगंज के थानेदार तथा हवलदार के खिलाफ जांच

*११७—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के थाना कप्तानगंज के थानेदार के विरुद्ध जिला जज द्वारा मुकदमा दायर करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? मन्त्री जी यह भी बताने की कष्ट करेंगे कि अब तक उक्त थानेदार के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

जिला सत्र न्यायाधीश बस्ती ने थाना कप्तानगंज के थानेदार तथा हेड कान्स्टेबिल के विरुद्ध धारा २१८ भा० दं० वि० का अभियोग कायम करने का आदेश दिनांक २६—९—६९ को दिया

था। दिनांक २७-९-६९ को उनके विरुद्ध अभियोग कायम किया गया और तफतीश की जा रही है। थानेदार का उक्त थाने से स्थानान्तरण कर दिया गया है।

*११८—श्रीमती मसाली देवी—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तर्गत]

लोक सेवा आयोग की परीक्षा न पास किये हुये सचिवालय के अवर वर्ग कर्मचारी

*११९—श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी सचिवालय में कितने ऐसे अवर वर्ग के कर्मचारी हैं जिन्होंने अभी तक लोक सेवा आयोग की योग्यता परीक्षा पास नहीं की है ?

श्री चरणसिंह—

इस प्रकार के ३० अपर वर्ग के कर्मचारी हैं।

आबकारी विभाग में अंग्रेजी में पत्र व्यवहार

*१२०—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक आबकारी विभाग द्वारा शासकीय अथवा अर्धशासकीय कुल कितने पत्र परिपत्र शासनादेश विज्ञप्ति आदि केन्द्रीय सरकार, अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा नागरिकों को जारी किये गये तथा उनमें से कितनों की भाषा अंग्रेजी थी ?

श्री बलबीर सिंह—

आबकारी विभाग में संकलित सूचना के अनुसार १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक की अवधि में जारी किये गये विभिन्न प्रकार के शासकीय पत्रों की संख्या ८८६ थी जिसमें से ३२९ पत्र अंग्रेजी में जारी किये गये थे।

सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में शासकीय-पत्रों की भाषा

*१२१—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक लखनऊ स्थित सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय अथवा अर्धशासकीय कुल कितने पत्र, परिपत्र, शासनदेश विज्ञप्ति आदि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को जारी किये गये तथा उनमें से कितनों की भाषा अंग्रेजी थी ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक लखनऊ स्थित सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिकतर शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय पत्र, परिपत्र, शासनादेशऔर विज्ञप्ति आदि, हिन्दी में ही भेजे गये हैं परन्तु व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण भेजे गये पत्रों की निश्चित संख्या तथा भाषा बताना सम्भव नहीं है।

*१२२-१२३---श्री रामप्रसाद---

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ७८-७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नरहरपुर गांव की डकैती के सम्बन्ध में हंडिया थाना की पुलिस के खिलाफ शिकायत

*१२४---श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद के हंडिया थाना के अन्तर्गत ग्राम नरहरपुर में २१ जुलाई, १९६८ को करीब ११ बजे रात सशस्त्र डकैती पड़ी जिसमें माल लूटने के साथ ही डाकुओं ने फायर करके ३ व्यक्तियों की हत्या की ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी विधायक का कोई शिकायती-पत्र मई, १९६९ के दूसरे सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---

दिनांक २१/२२-७-१९६८ की रात में ग्राम नरहरपुर, थाना हंडिया, जिला इलाहाबाद में एक सशस्त्र डकैती पड़ी थी। डाकुओं ने माल लूटा और गोली चलाई। जिससे २ व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये और एक व्यक्ति की, चोटों के फलस्वरूप अस्पताल में मृत्यु हो गई।

इस घटना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक १३-५-१९६९ को शासन को प्राप्त हुआ था। इसमें पुलिस के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच कराई गई, जांच अधिकारी द्वारा शिकायतें सही नहीं पाई गईं।

देवरिया जिले में सरजू नदी पर नाव दुर्घटना

*१२५---श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री हरिवंश सहाय---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत विशुनपुरा देवार के सामने दिनांक २२ अक्तूबर, १९६९ को एक नाव बरहज से बड़हलगंज जाते समय डूब गयी ?

श्री चरणसिंह---

जी हां, २२-१०-१९६९ को बरहज से बड़हलगंज को जाते हुए एक नाव विशुनपुरा देवार के सामने सरजू नदी में डूब गई।

*१२६---श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री हरिवंश सहाय---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त नाव दुर्घटना में कितने लोग डूब कर मर गये और कितने लोग बचा लिये गये तथा उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

श्री चरणसिंह---

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७२६ पर)

बस्ती जिले में रुधौली थानान्तर्गत श्री शौकत अली के घर डकैती

*१२७—श्री मुहम्मद नबी (जिला बस्ती)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९ अक्तूबर, १९६९ की रात में श्री शौकत अली, ग्राम हसनी, थाना रुधौली, जिला बस्ती के घर चौदह-पन्द्रह डाकुओं ने लाठी, भाला, बन्दूक से मुसल्लह होकर डाका डाला जिसमें राम अचल कहार की डाकुओं की चोट से मौत हो गई और चार-पांच आदमियों को छर्रे की चोट लगी तथा श्री शौकत अली के घर से लगभग सत्ताइस / अठ्ठाइस हजार का नगद में सामान लूटा गया ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक १०-१०-१९६९ को श्री शौकत अली ने थाना रुधौली पर रिपोर्ट अंकित कराई कि ९-१०-१९६९ की रात में १३, १४ डाकुओं ने लाठी, भाला और बन्दूक आदि से लैस होकर उसके तथा उसके भाइयों के घर पर डाका डालकर २६,००० रुपये नकद और लगभग १,२८० रुपये का सामान लूटा। इस डाके में राम अचल कहार मौके पर ही डाकुओं द्वारा मारा गया तथा छः अन्य व्यक्तियों को बन्दूक के छर्रे की चोट आयी।

*१२८—श्री मुहम्मद नबी—

यदि हां, तो क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीन नामजद डाकुओं के अलावा अब तक बकिया डाकू क्यों नहीं पकड़े गये ? क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक माल बरामदगी के लिये पुलिस ने किन-किन लोगों के यहां तलाशी ली ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

नामजद तीन अभियुक्तों के अतिरिक्त २ अन्य अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये प्रयत्न जारी है। लूटे गये माल की बरामदगी के लिए पुलिस ने दो अभियुक्तों के घरों की तलाशी तो ली किन्तु उक्त घटना से सम्बन्धित कोई माल बरामद नहीं हुआ।

अतारांकित प्रश्न

हरदोई जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

१—श्रीमती आशासिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में मार्च, १९६९ से लेकर जून, १९६९ तक कितने कत्ल, कितनी डकैतियां हुई हैं ? और उनमें से कितने मुकदमें अदालत भेजे गये और कितने अभी जांच में चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—

हरदोई जिले में मार्च, १९६९ से लेकर जून, १९६९ तक कत्ल की २७ घटनायें तथा डकैती की १७ घटनायें हुईं। कत्ल की २३ वारदातों में और डकैती की १६ घटनाओं में चालान न्यायालय भेजे गये। इनमें से किसी घटना की तफतीश बाकी नहीं है।

बुलन्दशहर जिले में विभिन्न अपराधों के मुकदमें

२—खचेड़ सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६७-६८ व १९६८-६९ एवं १ जनवरी, १९६९ से ३० जून, १९६९ तक जिला बुलन्दशहर के थाना अनूपशहर-औरंगाबाद-

स्थाना एवं जहांगीराबाद के अन्तर्गत छुआछूत कानून (अनटचेबीलिटी ऐक्ट) के अन्तर्गत कितनी रिपोर्टें दर्ज हुईं और उनमें से कितने चालान किये गये ?

श्री चरणसिंह---

जिला बुलन्दशहर के थाना अनूपशहर, स्याना तथा औरंगाबाद में छुआछूत अधिनियम के अन्तर्गत १-४-१९६७ से ३०-६-१९६९ तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उक्त अवधि में थाना जहांगीराबाद में दिनांक १७-९-१९६९ को केवल एक मुकदमा धारा ५ छुआछूत अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुआ था जिसमें चार्ज-शीट न्यायालय भेजी गई।

३---श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया---

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना जहांगीराबाद एवं थाना अनूपशहर के अन्तर्गत कितनी रिपोर्टें धारा ३०२, ३९४, ३९५, ४७६ आई० पी० सी० एवं १०७/११७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत थीं। १ जनवरी, १९६७ से ३० जून, १९६९ तक दर्ज की गईं और उनमें से सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---

इस संबंध में वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे ७२७ पृष्ठ पर)

४---श्री राजित राम पांडेय---

[१ले सोमवार के प्र० सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जेलों में छात्र

५---श्री जगदीश गांधी---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में कितने राजनीतिक कैदी दिनांक १५ मार्च, १९६९ तक बन्द हैं तथा उनमें कितने छात्र नेता हैं ?

६---क्या इन बन्द कैदियों के ऊपर मुकदमें भी चल रहे हैं, यदि हां, तो कितने छात्र नेताओं के ऊपर मुकदमें चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में दिनांक १५ मार्च, १९६९ को कोई व्यक्ति राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लेने के कारण बन्द नहीं था। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

७---श्री इन्द्रलाल---

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

८---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

[२रे सोमवार के प्र० सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

९---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

[प्रश्नकर्ता के मन्त्रिमण्डल में समावेश के कारण अपास्त]

बसों व ट्रकों का लूटा जाना

१०---श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री शिवकैलाश---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, १९६९ से दिनांक २० अक्तूबर, १९६९ तक उत्तर प्रदेश की सीमाओं में ट्रकों व बसों के लूट लिये जाने की कब, कहां और कितनी वारदातें हुयीं और उन वारदातों के अभियुक्त पकड़े जा सके अथवा नहीं ?

श्री चरणसिंह—

जनवरी, १९६९ से अक्तूबर २०, १९६९ की अवधि में उत्तर प्रदेश की सीमाओं में ४० ट्रकों तथा ९ बसों के लूटे जाने की घटनायें हुई हैं जिनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२८–७२९ पर)

११—श्री महेन्द्र सिंह—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१२–१३—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ३–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ जिले में परिगणित जाति के थानाध्यक्ष

१४—श्री मंजूर अहमद—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि जिला मेरठ में कितने थानाध्यक्ष सिडयूल्ड कास्ट के जून, १९६८ से जून, १९६९ तक थे और इस समय उनमें से कितनों को एस० आई० एस० और एस० आई० बना दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—

केवल एक थानाध्यक्ष परिगणित जाति के थे और वह इस समय एस० आई० एस० में कार्य कर रहे हैं।

जेल मन्त्री द्वारा बरेली जेल का कथित मुआयना

१५—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि गत जुलाई महीने के दौरान जेल मन्त्री, बरेली जेल मुआयना के समय जिला जेल, बरेली गये और जेलर के यहां उन्होंने चाय पी और उसी दिन दोपहर का खाना सेन्ट्रल जेल, बरेली में श्री जोशी के यहां खाया, यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

भूतपूर्व कारागार मंत्री श्री अजीत प्रताप सिंह जुलाई, १९६९ में बरेली नहीं गये थे।

१६–१७—श्री बांकेलाल—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ३–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१८–१९—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ५–६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले में खाम्पार थानान्तर्गत अपराध

२०—श्री शिव प्रसाद पांडिया तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत, थाना खाम्पार में दिनांक १ अप्रैल, १९६९ से ३० अक्तूबर, १९६९ के बीच कितने रपट दर्ज हुये तथा उसमें से कितने की तफतीश हुई और कितने की तफतीश नहीं हुई तथा तफतीफ न होने का क्या कारण रहा ?

श्री चरणसिंह—

थाना खाम्पार, जिला देवरिया में १–४–१९६९ से ३०–१०–१९६९ तक विभिन्न हस्तक्षेप अपराधों के ५६ रिपोर्टें दर्ज हुईं। इनमें से ५१ में तफतीश की गई। शेष ५ में प्रस्तर १०४ पुलिस रेग्यूलेशन्स के प्राविधान के अन्तर्गत जांच नहीं की गई।

इसी अवधि में २९५ अहस्क्षेप्य अपराधों की रिपोर्टें दर्ज हुयीं जिनमें जांच नहीं की गई।

२१—श्री शिवप्रसाद पांडिया तथा श्री हरिबंश सहाय—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त थाने के अन्तर्गत उक्त अवधि में कितनी डकैतियां कत्ल व, बल्वे, नकबजनी की घटनाओं में मुकदमा चलाया गया ?

श्री चरणसिंह—

थाना खाम्पार, जिला देवरिया द्वारा १-४-१९६९ से ३१-१०-१९६९ तक कत्ल के २, बल्वे के १, नकबजनी के ४ मुकदमें चालान किये गये । उक्त अवधि में डकैती का कोई मुकदमा चालान नहीं हुआ ।

मुरादाबाद जिले में अपराध

२२—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला मुरादाबाद में वर्ष १९६९ में जनवरी से अक्तूबर तक कुल कितनी हत्यायें व डकैतियां किस-किस थाने में हुयीं और उनमें से कितने मामलों में चालान हुये ?

श्री चरणसिंह—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड०' आग पृष्ठ ७३० पर)

परिगणित जातीय जिला पुलिस अधीक्षक

२३—श्री महीलाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला पुलिस अधीक्षक के ग्रेड में परिगणित जाति के कुल कितने अधिकारी हैं ?

श्री चरणसिंह—

आठ अधिकारी हैं।

बलिया जिले में विभिन्न अपराध

२४—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला में १ जनवरी, सन् १९६९ से लगाकर ३१ अक्तूबर, सन् १९६९ तक हत्याओं की कितनी रिपोर्ट विभिन्न थानों में दर्ज हुई हैं और इन हत्याओं का कारण क्या रहा है ?

२५—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में बलिया जिला में विभिन्न स्थानों पर कितनी डकैती तथा राहजनी की घटनायें दर्ज हुयीं और इनमें से कितने में अभियोग-पत्र दाखिल हुआ और कितने में अन्तिम रिपोर्ट लगी ?

श्री चरणसिंह—

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७३१-७३२ पर)

महराजगंज थाने में दफा १०९ के मुकदमें

२६—श्री दलसिंगार—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला के अन्तर्गत थाना महाराजगंज में सन् १९६७ की १ जनवरी से १९६९ की १ नवम्बर तक कितने लोगों के ऊपर दफा १०९ का मुकदमे चलाय गय ?

श्री चरणसिंह--

आजमगढ़ जिले के थाना महाराजगंज में १ जनवरी, १९६७ से १ नवम्बर १९६९ की अवधि में ३८ व्यक्तियों पर धारा १०९ दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) के अन्तर्गत मुकदमें चलाये गये ।

२७--श्री रियासत हुसैन--

[२रे सोमवार के प्र० सं० ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

२८--श्री रियासत हुसैन--

[२रे सोमवार के प्र० सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन पर अपनायी गयी विभाजन की प्रक्रिया तथा मूल प्रस्ताव के कल ही पारित न होने के सम्बन्ध में विभिन्न व्यवस्था के प्रश्न

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझको यह निवेदन करना है कि यह ड्यूली कान्स्टीट्यूटेड गवर्नमेंट नहीं है । जो समय आपने निश्चित किया था उस समय के अन्दर यह अभिभाषण का प्रस्ताव पास हो जाना चाहिये था परन्तु वह समय से बाहर हो गया । उस समय आपने कहा तब तक यह सदन बैठेगा जब तक यह प्रस्ताव पास न हो जाय । प्रस्ताव पास नहीं हुआ और आप चले गये । इसलिये मैं कहता हूं कि अब इसके पास करने का समय नहीं है । एक विषय यह तो है ।

दूसरी बात यह है कि संशोधन के प्रस्ताव पर जो चीजें यहां पर हुयीं वे अनियमित, असंवैधानिक तथा कानून के विरुद्ध थीं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि इस पर विचार करें । पहली बात तो यह कि आप इस पर व्यवस्था दे दें कि यह सरकार ड्यूली कान्सटीट्यूटेड नहीं है जिसके कारण मैंने रखे हैं ।

श्रीमन, जो कुछ कल यहां पर हुआ वह सब कानून के विरुद्ध तथा संविधान के विरुद्ध हुआ जिसके विषय में मैं तर्क आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं । पहली बात तो यह कि जिस वक्त वोटिंग प्रारंभ हुई उसके पहले आपने लीडर्स को बुला कर परामर्श किया और उस में यह निश्चित किया कि लाबीज में डिवीजन होगा और उधर के लोग इधर और इधर के लोग उधर जायेंगे और यहां आकर किन्हीं कारणों से आपने अपना निर्णय बदल दिया और ऐसा निर्णय लिया जिससे सरकारी पक्ष को सहायता मिलती थी । दूसरा बक्सा भी यहां नहीं था और वह अधिवेशन विधिवत् गठित अधिवेशन नहीं था । जो तथ्य हैं उनको आप अपने सामने रखेंगे और भुलायेंगे नहीं । आप नियमावली के नियम १४(२) को देखें जिस में लिखा है, "सदन की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जबकि उसमें अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो" । आप मान्यवर चले गये तब यहां पर वोटिंग किस प्रकार से चलती रही इसका पता नहीं । जब आप सदन से चले गये तब कोई सदस्य पीठासीन नहीं रहा, न तो उपाध्यक्ष थे और न हाउस ने किसी को अनुमोदित किया और उस समय जो कुछ भी कार्य हुआ वह नियम के, संविधान के और कानून के विरुद्ध हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया एक-एक प्रश्न को उठायें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

आप श्रीमन् जैसी आज्ञा दें मैं उसको उठाऊं। पहला प्रश्न तो मैं यही कहता हूं कि यह डयूली कान्सटीट्यूटेड गवर्नमेंट नहीं है, आपने ऐसा किस प्रकार से किया।

श्री अध्यक्ष---

इस बारे में मुझसे आप रूलिंग नहीं ले सकते हैं।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)---

पहले आप हम लोगों की सब बातें सुन लें, अध्यक्ष महोदय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

पहली बात जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि यह सरकार डयूली कान्सटीट्यूटेड नहीं है। जो कुछ कल घटित हुआ उससे यह अधिवेशन विधिवत् गठित नहीं था। आपने जो प्रक्रिया अपनाई संशोधन का प्रस्ताव सामने रखने की वह भी गलत थी। नियमावली की धारा २८५(१) को देखें, "जब किसी प्रस्ताव पर एक या एक से अधिक संशोधन प्रस्तुत किये जायं तब अध्यक्ष उन पर प्रश्न उपस्थित करने से पूर्व मूल प्रस्ताव को सदन को बतायेंगे या पढ़ कर सुनायेंगे"

मान्यवर, मैं रूल २८५ पढ़ देता हूं :---

"जब किसी प्रस्ताव पर एक या एक से अधिक संशोधन प्रस्तुत किये जायें, तब अध्यक्ष उन पर प्रश्न उपस्थित करने से पूर्व मूल प्रस्ताव को सदन में बतायेंगे और पढ़ कर सुनायेंगे।"

मान्यवर, आपने मूल प्रस्ताव को न तो पढ़ा और न ही सदन में सुनाया। दूसरी बात जो मैं पहले कह चुका हूं इसके सपोर्ट में कहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आपने रूल २८५ का हवाला दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

Practice and Procedure of Parliament by Sri Kaul—Page 296.

"A sitting of the House is not valid, when the Speaker, or any member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution and Rules is not sitting. It is, therefore, necessary that the Speaker, Deputy Speaker or a member of the Panel presides over the House at the hour fixed or announced and also as long as the sitting lasts."

ऐसी रूलिंग ३० जन, १९४६ को हुयी थी। अध्यक्ष महोदय, ५ मिनट के लिये बाहर चले गये थे। तो यह मान लिया गया कि उपवेशन है ही नहीं और वह खत्म हुआ समझा गया। यह भी उसी पेज पर दिया हुआ है, इसको भी आप देखें।

तो इन कारणों से सदन विधिवत् गठित नहीं हुआ और जो प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिये थी, वह नहीं अपनायी। जब लाबिज की प्रक्रिया अपनायी जाती है तो सब दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं। दरवाजे बन्द नहीं थे। तीसरी बात बड़े ही आश्चर्य की है, मान्यवर। जब वोटिंग हो रही थी तबभी आप नहीं थे। वोटिंग उस दल के एक माननीय सदस्य के सभापतित्व में हो रही थी, जो कि एक मन्त्री हैं। इसकी मुझे सूचना दी गयी है।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

जी नहीं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मुझ ऐसी सूचना मिली है, मैंने नहीं देखा था। अगर वे भी नहीं थे और वोटिंग हो रही थी तो क्या अपनें मन से हो रही थी? चौथी बात, मान्यवर, यह है कि जब आप अपने कमरे में चले गये

तब भी वोटिंग चल रही थी । जब आप अपने कमरे में चले गये तब वे बैलट बाक्स उठा कर ले गये और आपके सचिवालय के एक अधिकारी ने यह एनाउन्स किया कि इतनी संख्या हो गयी । उस समय भी आप नहीं थे ।

(व्यवधान)

तो मैं कहता हूं, मान्यवर, उन्होंने कहा कि संशोधन गिर गया । तो मैंने आपके सामने जो तर्क रखे उनके आधार पर मैं यह कहता हूं कि यह उपवेशन विधिवत गठित नहीं था । दूसरी बात यह है कि आप यहां उपस्थित नहीं थे और तीसरी बात यह है कि आपने यहां मूल प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया नहीं । चौथी बात यह है कि आपने किन्हीं कारणवश अपने निर्णय को बदल दिया । नियम यह कहता है कि परामर्श के लिये आप को समय देना चाहिये और जो आप निर्णय लेंगे वही विधि अपनायी जायेगी । वह नहीं अपनायी गयी । कल कुछ नहीं हो पाया । उस पर पुनः विचार होना चाहिये । अगर इसमें और नियम बाधक न होते हों तो उस पर यानी श्री अनन्तराम जी जायसवाल के प्रस्ताव पर पुनः विचार होना चाहिये । जो कुछ भी कार्यवाही इस संबंध में हुयी वह अवैध है । मान्यवर, मुझे तो केवल इतना ही कहना है ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

श्रीमन, अपना निर्णय देने से पहले हम लोगों को भी सुन लें ।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आज विनम्रतापूर्वक यही प्रार्थना करनी है कि आज यह सदन नहीं बैठ सकता है, विशेषतया उस कार्य के लिये जिसका कि आज एजेन्डे में जिक्र है । मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि आज आपने एजेन्डे में इस चीज का जिक्र किया था कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर मत लेंगे । मैं नहीं जानता यह कौन-सी प्रक्रिया और नियमावली के अन्तर्गत श्रीमन, आप ऐसा कर सकेंगे । और जैसा कि श्रीमन् को स्वयं ही मालूम होगा धन्यवाद का प्रस्ताव तो विशेष प्रस्तावों में से एक है । प्रक्रिया नियमावली में नियम १६ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव आता है । मैं श्रीमन् के समक्ष इस नियम के कुछ अंशों को पढ़ता हूं : इस प्रकार नियत दिन या दिनों में सदन एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगा । मान्यवर इससे ऊपर जरा-सा पढ़ेंगे "सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मंडल के एक साथ समवेत हुये दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मंडल को आह्वान के कारण बतायेंगे" । इसके बाद फिर ३ पढ़ेंगे "अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करेंगे जो साधारणतया चार दिन होगा परन्तु कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये नियत होते हुये भी, उस दिन सदन में अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ होने या जारी होने के पूर्व, अन्य औपचारिक कार्य किया जा सकेगा ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियमों के अन्तर्गत कमेटी बैठी । उसने तय किया कि ४ दिन होगा । उसी में यह तय हुआ कि इस प्रकार से मतदान होगा और वह मतदान कल होने को था धन्यवाद के प्रस्ताव पर । कल का दिन उसके लिये निर्दिष्ट था । यही नहीं बल्कि एक प्रस्ताव के द्वारा सदन में उस चीज को स्वीकार किया कि कल ही धन्यवाद के प्रस्ताव पर मतदान होगा । मुझे श्रीमन्, क्षमा करेंगे इस बात को कहने के लिये कि सदन स्वयं प्रभुत्व संपन्न है । सदन की इच्छा को श्रीमन् व्यक्त करते हैं लेकिन श्रीमन की इच्छा सदन पर नहीं लादी जा सकती । सदन की इच्छा सर्वोपरि है । सदन ने एक दिन नियत किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

आज श्रीमन् ने किस प्रक्रिया के अन्तर्गत इस धन्यवाद के प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा। अगर रखा तो कल एक प्रस्ताव तो स्वीकार हो गया लेकिन संशोधन तो और भी कई थे उनको भी रखा जाना चाहिये था। किन्तु मुझे यह कहने की आज्ञा दें कि न तो संशोधन पर मतदान हो सकता है और न आज धन्यवाद के प्रस्ताव पर मतदान हो सकता है। अब रहा परिणाम। इसका परिणाम यह है, श्रीमन्, कि सरकार जो चाहे करे। लेकिन वह समय निकल गया जब कि मतदान हो सकता था। कल श्रीमन, रात के बारह बजे तक मतदान करवाते। श्रीमन् सदन छोड़कर चले गये थे तो फिर दोबारा सदन को आहूत कर लेते। रात के बारह बजे तक मतदान होता, वह बात समझ में आती है। लेकिन आज तो उसके लिये दिन है ही नहीं। आज जो यह रखा है तो मुझे फिर कहने की अनुमति दें कि सदन स्वयं प्रभुत्व संपन्न है और सदन पर श्रीमन् की इच्छा लादी नहीं जा सकती और न श्रीमन् कोई इच्छा व्यक्त कर सकते हैं जो कि सदन की इच्छा के विरुद्ध है। यह सरकार रहे या न रहे या वह जिस किसी भी प्रक्रिया का अवलम्बन ले। अगर सरकार चाहे तो दोबारा गवर्नर साहब को बुलावे, दुबारा धन्यवाद का प्रस्ताव हो। लेकिन यह नहीं हो सकता कि कल का दिन समाप्त हो जाने के बाद आज उसको रखा जाय। श्रीमन् के सामने यह एक गम्भीर विषय है।

मान्यवर, यह तो एक बात हुई। दूसरी बात मैं और प्रार्थना करना चाहता था कि कल क्या हुआ। और सब बातें तो छोड़े, और सब बातों के सम्बन्ध में मैं चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन डिवीजन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। कल डिवीजन एक विचित्र ढंग से हुआ। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस प्रकार श्रीमन डिवीजन करायेंगे क्योंकि अखबार में श्रीमन् का वक्तव्य पढ़ने का अवसर मिला। श्रीमन ने कहा कि श्रीमन को यह डर था कि कहीं ऐसा न हो कि लाबीज में जाते समय लोगों में कुछ झगड़ा हो जाय।

श्रीमन्, मैं दुखी हूं यह कहने में कि इस प्रकार का दुर्दिन सदन में आया जबकि इस प्रकार की कोई आशंका हो, लेकिन आशंका हो या न हो उसमें श्रीमन् ने यह भी कहा था कि यदि मैं आश्वस्त हो जाता कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी तो लाबीज में आप भेज देते। इस प्रकार का पहले भी हो चुका है जबकि माननीय जगदीश शरण ने आज्ञा देकर करवाया था, लेकिन कब ? जब एक दिन पहले सदन में मारपीट हो चुकी थी और उस दिन माननीय जगदीश शरण जी उठ कर चले गये थे। हमने उस दिन भी उसका विरोध किया था। और मुझे यह भी कहने की आज्ञा दें श्रीमन्, कि अलावा उत्तर प्रदेश के सारे भारतवर्ष में कभी इस प्रकार वोटिंग नहीं हुई और मुझे दुःख है कि सदन में ऐसी विशेष प्रक्रिया अपनायी गयी जिसका कहीं भी संवैधानिक प्रणाली में स्थान नहीं है।

श्रीमन् ने यह प्रक्रिया अपनायी, क्या कारण था ? हमसे कहते, सदन में पूछते कि अगर इस प्रकार का कोई आश्वासन दिये जाने की बात है तो मैं सदन में इस ओर बैठने वाले सभी की ओर से कहता हूं कि हमारी ओर से कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कदापि नहीं होता। लेकिन क्या एक निरंकुश शासन का श्रीमन् को भी कोई हौवा सवार है ? हमको कोई हौवा नहीं है। निरंकुशता के हम लोग विरोधी हैं, जीवन-पर्यन्त रहे हैं, अंतिम श्वास तक रहेंगे। क्या कारण था श्रीमन् के ऐसा करने का ? क्या चौधरी साहब का हौवा श्रीमन् के ऊपर सवार हो गया ? क्या उनकी भृकुटी उठेगी तो इस प्रकार कार्य होगा ? (व्यवधान) मान्यवर के सम्मुख तो यह भी सवाल आया कि आप लाबीज में करवा दें और यहां तक कहा गया कि इस लाबी को "नहीं" के स्थान पर "हां" की कर दी जाय, हम सब लोग इसमें चले जायेंगे और उस लाबी को "नहीं" की कर दी जाय। यह श्रीमन् कर सकते थे और श्रीमन् ने कहा कि इसके लिये हमको माननीय नेता सदन से बात करने की आवश्यकता होगी और वहां पर आप (श्री चरण सिंह) मौजूद थे, आप इसके लिये भी राजी नहीं हुये। क्यों ? क्योंकि आप चाहते थे कि किसी तरह दो बक्से लगाये जायं।

में श्रीमन का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसके पृष्ठ ४२९ पर पूरी प्रक्रिया है जिस प्रकार से डिवीजन होता है। आप देखेंगे कि १६वें एडीशन के पृष्ठ ४२९ पर "डिवीजन इन दि कामन्स" की पूरी प्रक्रिया है। और वहां पर इस के लिए निश्चित नियम हैं कि किस प्रकार सदस्यगण लाबीज में जाते हैं और किस तरह उन को लाबीज में भेजा जाता है, कैसे टैलर्स सदन को सूचना देते हैं और कैसे लाबीज में क्लर्क होते हैं और जैसे जैसे लाबीज से सदस्यगण बाहर आते हैं और टिक मार्क करते जाते हैं। यही वहां की प्रक्रिया है और इस के अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं है।

यह भी आप जानते हैं कि हमारे यहां जो नियमावली है उसमें अध्याय १के ३(त) में विभाजन की परिभाषा दी गई है और मैं समझता हूं कि उसकी तरफ श्रीमन् का ध्यान गया होगा। विभाजन की उसमें परिभाषा इस प्रकार है, "विभाजन का तात्पर्य सदस्यों को सभा-कक्षों में भेज कर या अन्य किसी रीति का अनुसरण करके अभिलिखित मतदान से है।" इस के अतिरिक्त अन्य प्रक्रिया भी दी हैं और वह यह कि आप हाथ उठाकर लोगों से पूछ सकते हैं और एक अन्य प्रक्रिया यह भी है कि श्रीमन् हम से यह भी कह सकते हैं कि सदस्यगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायं और उन की गणना हो जाय। लेकिन ऐसी नीति कि २ बक्से रखे जायं और मतदान हो, ऐसा कहीं संसार के परदे पर नहीं है, तो जो कुछ कल यहां पर हुआ और जिस तरीके से हुआ वह गलत था, लेकिन वह हुआ और वह उन परिस्थितियों में हुआ उनसे आप ने अपने मस्तिष्क में सोच लिया।

आप हम से कहते तो हम लोग लाबीज में जाने के लिये तैयार थे और उसका परिणाम आप को मालूम होगा और उस का परिणान यह है कि स्वयं आप की दृष्टि में या किसी भी माननीय सदस्य की दृष्टि में जो निष्पक्ष भाव से इस पर विचार कर सके आप के जाने के बाद क्या यहां कोई सदन बाकी रह गया था? आप चले गये तो यह सदन कैसे है? यह सदन सदन तभी है जब सब बैठे हों, जब श्रीमान् उसका नियमतः संचालन कर रहे हों और जब संचालन आप नहीं करते तो यह सदन है कैसे?

मैं श्रीमन्, का ध्यान ३ (क) की ओर दिलाऊंगा, इस में लिखा है कि "अध्यक्ष" का तात्पर्य सभा के अध्यक्ष से है। यानी अध्यक्ष तभी हैं जब सभा होती है और यदि सभा नहीं होती तो श्रीमन् अध्यक्ष नहीं हैं और यदि अध्यक्ष नहीं हैं तो सभा नहीं है। इसी प्रकार इसी नियम का (घ) देखें तो उस में लिखा है कि "उपवेशन" का तात्पर्य किसी भी दिन कार्यारम्भ से लेकर उस दिन के लिए सदन के उठने तक सदन के सदस्यों के कार्य सम्पादनार्थ समवेत होने से है। अब कार्य सम्पादन कैसे होता है इस के लिए श्रीमन्, कृपा कर के १४(२) देखें। इस में लिखा है "कि सदन की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जबकि उसमें अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो।"

अब यह जो वोटिंग हुई यह कहां हुई वह सदन में हुई लेकिन यह सदन कैसे था जब आप पीठासीन ही नहीं थे, न तो उपाध्यक्ष जी ही थे और न जो अन्य सज्जन यहां आप की जगह बैठने के लिए सक्षम हैं वे ही थे तो यह सदन कैसे है? मैं तो बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आज जो हम यहां बैठे हैं संवैधानिक दृष्टि से यह सदन इस समय नहीं बैठा है। इसका कारण यह है कि संवैधानिक दृष्टि से आज का जो काम है वह काम समाप्त हो चुका है जब तक सरकार दोबारा गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव न पास करवा लें और वह प्रस्ताव कैसे पास होगा क्योंकि अब तो वह समाप्त हो गया। जब वह समाप्त हो गया तो यह सरकार नहीं बैठ सकती और अगर यह सरकार नहीं बैठ सकती तो यह सदन

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

भी नही बैठ सकता । तब मैं कहूंगा कि आज की समस्त कार्यवाही असंवैधानिक है और हमें यहां पर बैठने का अधिकार नहीं है और न ही श्रीमन् को पीठासीन होकर हमारी अध्यक्षता करने का है ।

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, पेश्तर इसके कि माननीय त्रिपाठी जी और माननीय आचार्य जी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों और व्यवस्थाओं के प्रश्न पर मैं कुछ कहूं, मैं अपनी आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं । मेरी आपत्ति, श्रीमन्, यह है कि जब श्रीमन्, सदन में पधारे आपने आज की कार्य सूची के अनुसार कार्य प्रारम्भ भी नहीं किया । जहां तक कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न है, श्रीमन्, यदि मेरी जानकारी सही है और मेरी याददाश्त सही है तो श्रीमन्, ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी माननीय सदस्य को पुकारा भी नहीं । कहने का तात्पर्य यह है कि आज सदन में कार्यवाही प्रारम्भ भी नहीं हुयी । मुझे बड़ा खेद है कि माननीय त्रिपाठी और माननीय आचार्य जी, दोनों, इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं और जिस विषय पर वे बोल रहे हैं, उसके भी ज्ञाता मैं उनको मानता हूं लेकिन सदन में जो वैक्वम है, कोई प्रोसिडिंग नहीं चल रही है, उस समय क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है, यह मुझे उनसे समझना पड़ेगा । मैं चाहता तो मैं तुरन्त व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता परन्तु मेरी मजबूरी थी । व्यवस्था के प्रश्न से जो आपत्तियां उठायी गयी हैं जो हमारे कन्वेंशन्स हैं, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है और हमारे नियम हैं उनके विरुद्ध उठायी गयी हैं ।

मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मेरी आपत्ति पर व्यवस्था दें । और यदि आप मुझे आज्ञा दें कि जो व्यवस्था का प्रश्न और जो आपत्तियां माननीय २ सदस्यों ने उठायी हैं, उन पर मैं कुछ विचार व्यक्त करूं तो मेरा निवेदन है कि माननीय त्रिपाठी जी ने बहुत तश्फीशनाक एक आब्जर्वेशन किया । उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो सामने उनके बैठी है वह विधि के अनुसार गठित नहीं है । मैं उनको बहुत ही संजीदा सदस्य मानता हूं । वे बहुत ही जिम्मेदार पार्टी के नेता है । मुझे चिन्ता यह थी कि पता नहीं कि क्या कांस्टीट्यूशन का ब्रेकडाउन हो गया है । विधान सभा के नियमों की किस धारा का उल्लंघन हुआ है जिससे सरकार यहां पर बैठने का हक नहीं रखती । मैं आशा करता था कि संविधान की किसी धारा का वे उद्धरण देंगे । उन्होंने हमारे नियमों के उद्धरण दिये और जो उद्धरण दिये वे तर्कहीन असंगत है, जिनका कोई सार नहीं और जिनका कोई सिर-पैर नहीं है ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वह नियम पढ़कर सुनाता हूं । इसमें दिया हुआ है कि "अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करेंगे जो साधारणतया ४ दिन होगा ।" संबंधित धारा १९ है । इसमें अभिभाषण के संबंध में प्रस्ताव पास करने के लिए दिन नियत करने का प्राविधान है । मान्यवर, आप गौर फरमायेंगे इसमें शब्द "साधारणतया ४ दिन" दिया हुआ है । इसका समय ४ दिन से भी अधिक हो हो सकता है । मुझे यह स्वीकार है कि इस सदन ने अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार करने का ४ दिन का समय स्वीकार किया लेकिन इस नियम में यह कहीं भी प्राविधान नहीं है कि ४ दिन के अन्दर उस धन्यवाद के प्रस्ताव पर हम वोट भी ले लेंगे ।

मैं श्रीमन, यह भी मानता हूं कि यह सदन अपनी प्रक्रिया का स्वामी है । सदन यदि चाहे तो इन नियमों के विपरीत भी फैसला ले सकता है । कल सदन ने बहुमत से यह निश्चय किया कि यह सदन उस उक्त तक बैठेगा जब तक कि मतदान की प्रक्रिया पूर्णतया समाप्त न हो जाय । इस

फैसले से मैं यह नहीं मानता कि सदन के फैसले का उल्लंघन हुआ है। लेकिन अगर एक दफा को यह मान भी लिया जाय कि सदन के फैसले का उल्लंघन हुआ भी है तो उसकी जिम्मेदारी सदन पर है, सरकार पर किसी प्रकार नहीं है। सदस्यगणों पर नियंत्रण करके यहां सुचारु रूप से कार्यवाही चलवाने का सारा अधिकार आपको है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो श्रीमन, जहां तक यह कहा गया कि यह सरकार विधिवत गठित नहीं है, इस संबंध में कोई तर्क विरोध पक्ष का मेरे पल्ले नहीं पड़ा।

दूसरा प्रश्न यह है कि कल सदन के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया। सदन ने यह निर्णय लिया था कि जब तक मतदान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जायेगी तब तक यह सदन चलता रहेगा। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि सदन कोई फैसला ले सकता है, वह अपने फैसले को बदल भी सकता है। जो अंतिम निर्णय सदन का होता है वही निर्णय कार्यान्वित करने के लिए माना जाता है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि क्या कल विरोध पक्ष से यह आवाजें नहीं लगीं कि हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे (व्यवधान) मान्यवर, परोक्ष रूप से एक काफी बड़े हिस्से ने यह चाहा कि सदन में जिस प्रकार से मतगणना की कार्यवाही हो रही है वह न हो, बल्कि वे यह चाहते थे कि वह किसी और ढंग से हो।

श्रीमन्, हमारे उन्हीं विरोध पक्ष के साथियों ने सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की। श्रीमन, उस विघ्न और बाधा के लिए मैं किसी प्रकार भी आपको दोषी नहीं मानता, उसके लिये विपक्ष ही दोषी है। विपक्ष ने ही सदन की कार्यवाही में बाधा डाली। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा कि जब आपने यह फैसला कर लिया था कि हम उस वक्त तक बैठेंगे जब तक कि वोटिंग की प्रक्रिया पूरी न हो जाय, तो क्यों दरवाजा खोल दिया गया? क्यों सदन में अव्यवस्था पैदा की गयी? जिस प्रकार से आपने कार्यवाही चलने का आदेश दिया उस प्रकार से क्यों कार्यवाही नहीं चलने दी गयी? मान्यवर, यहां की कार्यवाही चलाने के लिये सबसे बड़ा अधिकार आपमें निहित है, हम आपके समक्ष अपने सुझाव रख सकते हैं लेकिन आपके अंतिम फैसले के प्रति हम सर झुकायें यही यहां का कन्वेंशन रहा है और उस के खिलाफ कोई बात नहीं कही जा सकती।

आपने अपने कक्ष में जाकर यह कृपा की कि सबको बुला कर उनकी बातों को सुना। यहां पर जो आपत्ति उठाई गयी श्रीमन, उसको भी आपने बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद अपना फैसला दिया। मेरा आप में पूर्ण विश्वास है और इसलिये मैं कह सकता हूं कि आपने जो फैसला लिया उसके पीछे अवश्य कुछ ग्राउन्डस होंगी जिनके कारण आपने यह उचित समझा कि मतदान इस प्रकार कराया जाय। जो ढंग आपने मतदान का निश्चित किया वही ढंग श्रीमन्, सबसे बेहतरीन और पार्लियामेंटेरियन हो सकता है। जो तरीका आपने तय किया उसको आपके सचिव महोदय ने खड़े होकर यहां घोषणा की और उसके अनुसार कार्यवाही आरम्भ हुई। जब कार्यवाही आरम्भ हुई तो माननीय सदस्यों ने अपना वोट डालना आरम्भ किया। मैं बड़े दुख के साथ जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि उनके दल के एक व्यक्ति वोट के डिब्बे को लेकर भाग गये। क्या इस आचरण का किसी प्रकार से समर्थन किया जा सकता है। भले ही हम श्रीमन, इस प्रकार के आचरण की ताईद करें लेकिन इस प्रदेश की जनता इस आचरण की प्रशंसा नहीं करेगी। जब इस देश की पार्लियामेंटरी पद्धति का इतिहास लिखा जायगा तो जनता हम सबके प्रति दुर्भावना प्रकट करेगी। इस संबंध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[श्री शिवराज सिंह---]

इसके पश्चात् श्रीमन्, आपका घिराव कर लिया गया । आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार से "नहीं" के डिब्बे में वोट खटाखट पड़ने लगे । उसके पश्चात उधर के माननीय सदस्यों ने "हां" के डिब्बे में वोट नहीं डाले और उन्होंने वोट में भाग नहीं लिया । एबस्टेन किया । चुनाव की कोई भी प्रैक्टिस किसी प्रदेश या देश की आप देख लें एबस्टेन करने का मतलब यह है कि वोट नहीं डालेंगे । इसलिये यह कहना कि वोट की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हुई है, सही नहीं है । जो प्रक्रिया आपने चलाई थी शुरू से आखीर तक १ नम्बर से लेकर ४२६ तक नाम पुकारने की वह बिलकुल सही थी । सब सदस्यों का नाम लिया गया । जो सदस्य वोट डालना चाहते थे उन्होंने बड़ी सुविधा के साथ वोट डाला । किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं थी । कोई यदि यह कहे कि आपका इन्तजाम ठीक नहीं था उचित नहीं है । मैं कह सकता हूं कि बलरामपुर अस्पताल से आकर सदस्य ने वोट डाला और महिलाओं ने बड़ी आसानी से वोट डाला । श्रीमन, हमने देखा कि चुनाव के समय आपकी सारी व्यवस्था बिलकुल सम्पन्न थी और ठीक प्रकार से थी ।

मेरे अध्यक्ष के आसन पर बैठने के संबंध में आपत्ति की गई कि मैं स्पीकर की कुर्सी पर जाकर बैठ गया । मैं आज भी अधिष्ठाता मंडल का सदस्य हूं । श्रीमन, मैं आपके सामने नियम १० को सुनाना चाहता हूं जिसमें यह है कि "प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष सभा के सदस्यों में से अधिक से अधिक दस सदस्यों का एक मंडल नाम निर्देशित करेंगे और उनमें से कोई एक, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में. . .सभा में पीठासीन हो सकेंगे" । मेरा नाम उनमें से एक है । जब आप यहां से चले गये तो मुझे यह चिन्ता हुई कि कहीं इस सदन का सेवक होने के नाते मेरा कर्त्तव्य तो यह नहीं है कि मैं इसमें सहायता करूं ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन, यह एक बहुत ही महत्व का प्रश्न है जिस पर मैं आपकी जानकारी चाहता हूं । जब आप यहां से चले जायं और उपाध्यक्ष भी चले जायं और दोनों में से कोई भी यहां नहीं रहे तो उस समय अधिष्ठाता मंडल का सदस्य यहां बैठ सकता है लेकिन जब अधिष्ठाता मंडल का सदस्य गवर्नमेंट का मेम्बर हो जाय तो क्या वह श्रीमन, उस कुर्सी पर बैठ सकता है । अगर यह व्यवस्था हो जाय कि गवर्नमेंट का सदस्य वहां बैठकर काम करने लग जाय तब तो इस सदन की जितनी आज तक की संसदीय पद्धति है वह सब मिट्टी में मिल जायगी ?

श्री शिवराज सिंह---

मेरा निवेदन इतना है कि वस्तुस्थिति केवल यह थी कि कल मैं यह जानने की दृष्टि से कि कहीं मुझको बुलाया तो नहीं गया है मैं आपकी चेयर तक गया । मुझको यह जानकारी नहीं थी कि स्पीकर महोदय सभा को एडजर्न करके चले गये और मैं पीठासीन नहीं हुआ । इस संबंध में जो भी आपका निर्णय होगा वह मुझे स्वीकार होगा और उसके अनुसार मैं कार्यवाही करूंगा । लिहाजा जो आपत्ति त्रिपाठी जी ने उठाई है वह निराधार है ।

कृष्णानन्द राय ने जो यह बात कही कि जो मतगणना हुई वह नियमानुसार नहीं हुई तो मेरी दृष्टि में आपने उसे पूरा कर दिया है । आप वाइस वोट से ही निर्णय दे सकते हैं, डिवीजन करायें या न करायें । आपने उसकी घोषणा कर दी और वह हर प्रकार से नियमानुसार है ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

सामुदायिक विकास मंत्री आपके पद पर आसीन हो गये थे उसके संबंध में मैंने ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन दिया है। जब तक आप मुझे सुन न लें तब तक उस पर निर्णय नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नोत्तर के बाद में उसे लूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

आपने सरकारी पक्ष की बात सुनी अब जरा हमारी भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आपको मौका देंगे।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो प्रश्न उपस्थित है वह बहुत गंभीर प्रश्न है। माननीय सदस्य जरा दलगत नीति के ऊपर उठ कर इस प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न यह है कि यह सरकार संवैधानिक रूप से गठित है या नहीं? सरकार का गठन संविधान के अन्तर्गत होता है। जहां तक इस सदन की प्रक्रिया नियमावली का संबंध है उसका संबंध केवल इस सदन के अन्दर किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाय उससे है, सरकार के गठन से उसका कोई सम्बन्ध नही है। मेरे लायक दोस्तों ने संविधान का प्रश्न रखा मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वे मुझे बतलायें कि संविधान के अन्दर कौन-सा ऐसा आर्टिकिल है जिसके अनुसार अगर उनकी दलील मान भी ली जाय कि धन्यवाद का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो यह सरकार गैर कानूनी समझी जायगी? यह प्रश्न पंजाब असेम्बली के अन्दर आया था। धन्यवाद का प्रस्ताव वहां गिर गया था लेकिन सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। हाई कोर्ट तक मामला गया और उसने फैसला दिया कि सरकार संवैधानिक रूप से गठित है हालांकि धन्यवाद का प्रस्ताव गिर गया है।

अब जहां तक नियमावली का संबंध है उसके संबंध में मेरी एक आपत्ति है। मान्यवर, सदन का क्या विनिश्चय होता है इसकी अधिकृत रूप से घोषणा करने का अधिकार केवल अध्यक्ष को है और उस संबंध में नियम यह है--

> "३१४--अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी--किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।"

हम लोग जो इस सदन में बैठे हैं, जिन्होंने प्रक्रिया नियमावली पारित की है हम सब इस नियम से बंधे हुए हैं। हमको अधिकार नहीं है कि हम सदन के विनिश्चय के बारे में जिसकी घोषणा माननीय अध्यक्ष ने की है उसको हम चुनौती दे सकें।

जहां तक कल की प्रक्रिया का संबंध है, मेरे मित्र इस बात को एडमिट करते हैं कि यह प्रक्रिया इस सदन में कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इसका सहारा पहले भी लिया जा चुका है। नियमावली में कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाय इसका पूरा अधिकार आपको दिया गया है। एक प्रक्रिया अपनाई गई कौन-सी असाधारण परिस्थितियां थीं जिनमें पहले की परम्परा को नहीं माना गया। इन असाधारण परिस्थितियों को आपने ध्यान में नहीं रखा।

मान्यवर, इतिहास है इन परिस्थितियों का। परिस्थितियां यह थीं कि सरकार अल्पमत में रह गई थी। इसलिये सरकार से मांग की गई कि सदन की बैठक बुलाई जाय। लेकिन नहीं बुलाई गई। जिस दिन बैठक होने वाली थी उससे एक दिन पहले सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह---]
इस्तीफा देती है। सदन में इस बात का मौका दिया जाता है यह देखने का कि आप अल्पमत में हैं या बहुमत में हैं,इसका परीक्षण कीजिये किन्तु अनोखी घटनायें दिखाई देती हैं। आज आप संविधान की बात करते हैं। इस नियमावली का कौन सा नियम है जब राज्यपाल महोदय सम्बोधन कर रहे हों तो उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाये जायं।

उसके बाद क्या होता है। कल आपको मौका था (व्यवधान) यह देखना था कि बहुमत आपके साथ है या नहीं। (व्यवधान) आप बेकार हुल्लड़बाजी करते हैं। आप बंगाल की बात करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सही परम्परायें कायम रखनी हैं, संसदीय प्रणाली कायम रखनी है तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। हमको बुरा कह लीजिये। आप कहते हैं कि कम्युनिस्ट ही गड़बड़ी करना चाहते हैं। लेकिन कल की बात आपको स्पष्ट बताती है कि हमने गड़बड़ी नहीं की। आपने गड़बड़ी की।

मान्यवर, इस सदन में पहले प्रस्ताव पास हुआ कि जब तक इस संशोधन के प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग नहीं हो जायेगी तब तक सदन चलता रहेगा। इस संशोधन पर वोटिंग हुई और घोषणा की गई। इसके बाद मुख्य प्रस्ताव दूसरी चीज रह जाती है। उसके ऊपर वोटिंग हो। आज मेरे मित्रों का अवसर है कि शक्ति परीक्षण हो। मैं निवेदन करूंगा कि वोटिंग गैलरीज में करा दिया जाय। कल आपके कमरे में हम लोग गये थे और कहा था कि वोटिंग गैलरीज में हो जाय। लेकिन बी०के०डी० और कांग्रेस के मित्रों ने इस बात को नहीं माना था। इसलिये वहां कोई निश्चय नहीं किया जा सका। हम लोगों ने आप के ऊपर छोड़ दिया था जैसा आप चाहें करें। अगर मेरे मित्र, माननीय कृष्णानन्द राय इससे असहमत होते तो नोटिस में लाते। लेकिन उनके समक्ष वहां पर हम लोग कुछ तय नहीं कर पाये। हालांकि मैं इस पक्ष में था कि गैलरीज में वोटिंग होनी चाहिये। लेकिन आपने एक प्रक्रिया अपनाई और उसके अन्दर दोनों तरफ की शक्ति परीक्षण का रूप सदन के सामने आ गया है। फिर भी आज एक मौका है। मैं निवेदन करूंगा कि इस मौके का आप इस्तमाल करें ताकि जनतांत्रिक ढंग से फैसला हो जाय कि कितने लोग पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। श्रीमन्, कल सुबह जब मैं आपसे मिला था उस समय भी मैंने आपसे यह बात कही थी कि मुझे इस प्रकार की सूचना मिली है कि जो आज वोटिंग होगी वह बक्से की पद्धति से होगी। श्रीमन्, इसका आधार दूसरा कुछ नहीं था, नेशनल हैराल्ड में प्रकाशित सूचना थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अखबार में बात प्रकाशित हो गयी थी, जिस आधार पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था, वह आधार क्या था? आपने कल दो बजे हम लोगों को बुला कर एक मीटिंग की। उस मीटिंग से जब मैं और श्री कृष्णानन्द रायजी चले गये तो मुझे याद पड़ता है कि आपने हम लोगों को बुला कर यह कहा था कि यह बात तय हुई है कि लाबीज में वोटिंग होगी। सब लोगों ने अपने दलों की ओर से यह आश्वासन दे दिया है कि शांति से वोटिंग हो जायगी, आप भी यही आश्वासन दे दीजिये कि आपके दल की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैंने आपसे यह भी पूछा था कि गड़बड़ी करने का कोई इरादा आपको कैसे समझ में आया। आपने कहा था कि बात यह है कि यह सब लोगों ने तय कर लिया है क्योंकि आप लोग उस समय नहीं थे इसलिये आपसे कहा जा रहा है। हमने कहा था कि हम लोगों का कोई इरादा गड़बड़ का नहीं है। श्रीमन्, मुझे इस बात का फक्र है और चौधरी साहब की रहनुमाई में इस बात का फक्र है कि सदन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई बावजूद इसके लिए गड़बड़ी होने और मारपीट होने का आपको संकेत मिला था हाथापाई भी नहीं हुई। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई, मुझे इस बात

का घमंड है कि हमारा जो आश्वासन था वह पूरा हुआ और वहां जो बात कह दी गयी थी, वह बात पूरी हुई ।

श्री अध्यक्ष—

मैं फैक्ट बता दूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरे कहने का मतलब तो यह है कि जो आपने मीटिंग में पास किया था उसके विरुद्ध किया और वह किया जो पहले से ही नेशनल हैराल्ड में निकल गया था । वह किस प्रकार से अखबार में निकल गया था ? आप देखें यह क्या बात है ? जब एक बात दो बजे तय हो चुकी थी तो हाउस में एकदम क्यों बदल गयी । इसको देखकर आश्चर्य होता है। तकलीफ इस बात की हुई कि कोई बदली हुई परिस्थिति भी नहीं थी । अगर कोई बदली हुई परिस्थिति थी तो आपको हाउस एडजर्न कर देना चाहिये था। हाउस एडजर्न करके आप हम लोगों को बुलाते और कहते कि यह परिस्थिति बदल गयी है और अब इस तरह से वोटिंग होगा । लकिन परिस्थिति कोई नहीं बदली थी वह तो उस प्रकार से मुख्य मंत्री वोटिंग कराना चाहते थे ।

एक किस्सा मैंने सुना था कि मेरठ की एक छपरौली कान्सटीटुऐंसी है, वहां इस प्रकार का कुछ हुआ करता है। (शोर) अगर उसका यहां हाउस में हुआ करेगा तो यह हाउस किस प्रकार से चल पायेगा । नियमानुसार यह होता है कि जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो लाबीज में ही डिवीजन होगा । आपने यह कहा भी था कि लाबीज में डिवीजन होगा और "हां" की जगह "ना" लिख दिया जायगा और "ना" की जगह "हां" लिख दिया जायेगा । कागज चिपका दिया जायगा । लेकिन वैसा नहीं हुआ । वैसा न करने के लिए क्या परिस्थिति बदल गयी थी ? आज जो प्रक्रिया हुई वह कम्युनिस्ट (इंडीकेट) को बहुत अच्छी लगी । मैं कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया नहीं कहता, मैं उसको (सी०पी०आई०) कम्युनिस्ट इंडीकेट कहता हूं । यहां वह एक सरकारी पार्टी है क्योंकि उसकी भाषा वही है जो कि सरकारी भाषा है ।

मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप देखें—यह जो नियम १६ है उसके अनुसार आपने ४ दिन का समय निर्धारित कर दिया था । बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने वही ४ दिन तय किया । कौन सा ४ दिन बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने तय करके इस हाउस के सामने रखा और हाउस में यह प्रस्ताव पारित किया गया उस पारित प्रस्ताव के आधार पर सदन का उपवेशन कल ५ बजे तक था । कल जब ५ बजने में कुछ मिनट बाकी रह गये तब आपने कहा कि यह सदन उस समय तक बैठा रहेगा जब तक कि यह प्रस्ताव पारित न हो जाय । लेकिन वह समय १२ बजे रात्रि के बाद कोई वक्त नहीं हो सकता था । जिस समय वह तारीख बदल गयी उसके बाद वह बात खत्म हो गयी ।

मैं अपनी बात यह कह रहा हूं कि इन तथ्यों के आधार पर चूंकि वोटिंग में मान्य पद्धति, प्रक्रिया व नियमावली का अनुसरण नहीं हुआ इसलिये वह कोई वोट नहीं हुआ इसलिये आप उस प्रक्रिया को रद्द करें और कल की तारीख में इस सदन के प्रस्ताव के अनुसार महामहिम राज्यपाल के प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया था वह पास नहीं हो सका इसलिये वह प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो गया और चूंकि यह सरकार वह प्रस्ताव पास नहीं करा सकी महामहिम राज्यपाल के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव—इसलिये यह सरकार नैतिकता और कानून के आधार पर बने रहने की अधिकारी नहीं है । बावजूद इसके आप यह कह सकते हैं कि सरकार के संबंध में निर्णय करने का अधिकार गवर्नर को है, मुझको नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के कार्य संचालन का भार आपके ऊपर है। तो प्रक्रिया नियमावली के अनुसार आप महामहिम राज्यपाल को कह दें और लिखकर भेज दें बावजूद इसके कि आपके अधिकार में नहीं हैं कि आप इस

[श्री कल्पनाथ सिंह]

सरकार को बरख्वास्त कर सकें। लेकिन आप महामहिम राज्यपाल को यह लिख कर भेज दें कि इस सरकार के अन्दर जिसका समर्थन दो दल कर रहे हैं यह क्षमता नहीं है कि धन्यवाद के प्रस्ताव को पास करा सकें और जो समय के अन्दर नहीं पास हो सका—इसलिये मेरा सुझाव कि महामहिम राज्यपाल इस सरकार को बरख्वास्त कर दें।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसके पहले कि आप अपनी राय जाहिर करें, मैं केवल दो मिनट चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

जो मीटिंग हमने बुलायी थी उसके बारे में बार-बार यह कहा जा रहा है कि मैंने इस तरह का कोई निर्णय ले लिया था। मैं आपको सुना देना चाहता हूं। मैंने एक-एक करके कई प्रकार के सुझाव दिये और वे सुझाव स्वीकृत नहीं हो सके।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन, एक बहुत बड़ी कठिनाई पड़ जायेगी और इस तरह से एक खराब परिस्थिति पैदा हो जायगी। माननीय कल्पनाथ सिंह ने कहा कि आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था। वहां पर माननीय त्रिपाठी जी, जायसवाल जी थे और मैं भी वहां मौजूद था। जब आपस में एग्रीमेंट नहीं हो सका तो आप कह सकते थे कि फिर आप आपस में मिल कर कोई निर्णय कर लें। पहले आप सब की बातें सुन लें फिर कोई निर्णय लें वरना बड़ी गलत चीज हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

मेरी बात आप सुन तो लें। मैं आपको कंविंस कर दूंगा। एक-एक करके मैं सुझाव देता गया और वह नामंजूर होता गया। आखिर में मैंने एक सुझाव दिया। ऐसा है कि आप पसन्द करलें लाबी में जाने का अगर आप लोग मुझे आश्वासन दें कि अपने अपने दल को संभाल लेंगे। मुझे जन संघ वालों ने आश्वासन दिया, एस०एस०पी० वालों ने भी दिया, लेकिन बी०के०डी० ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई हो जावेगी।

(व्यवधान)

नारायण दत्त जी ने कहा कि उन्हें आशंका है झगड़ा होने का। उनकी इतनी बड़ी पार्टी है कि वह आश्वासन नहीं दे सकते हैं।

एक सदस्य—

यह किस आधार पर कहा गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं कहना चाहता हूं कि श्री कृष्णानन्द राय जी चले गये थे तो मैंने उनको बुलवाया और आश्वासन देने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि वह हाथ जोड़ सकते हैं लेकिन सभी को कंट्रोल कर लें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो मुझे खुद निर्णय लेना पड़ेगा। मैंने दिल में सोचा था कि कोई रास्ता लाबी में भेजने का करूं। फिर क्या हुआ कि मैं सदन में आया तो यहां की गरमा गरमी देखकर मैंने सोचा कि ऐसा प्रोसीजर अख्तियार करूं जो कि पिछले समय जगदीश शरन जी ने किया था।

श्री कृष्णानन्द राय---

अध्यक्ष जी, मेरे संबंध में आपने कहा है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब यह तय हो गया कि लाबी में वोट पड़ेंगे तभी मैं उठकर गया था । जो कुछ कह रहे हैं वह गलत है । जब आपने बुलवाया तो मैंने कहा कि मैं पार्टी से हाथ जोड़ सकता हूं और जो कहा जा रहा है वह बिलकुल गलत है ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)---

मुझे बड़ा खेद है । मेरी आदत ज्यादा बोलने की नहीं है लेकिन कल मैंने इस सिलसिले में आपसे टेलीफोन पर पूछा था और आपने मुझसे कहा था कि हम दोनों पक्षों को बुलाकर निर्णय लेंगे कि क्या प्रोसीजर यहां वोटिंग का होगा । इसके बाद मैं जब यहां वापस आया और मैंने अपने साथियों से जो चीफ व्हिप या मुख्तलिफ पार्टीज के नेता थे पूछा । तो मालूम हुआ कि लाबी के अन्दर वोटिंग होगी । मैं इसी इरादे में रहा और उसी तरीके से इन्तजाम करता रहा । उसके बाद में जैसा कि अभी आपने कहा कि सभी की सुनकर निर्णय लेंगे तो मैं समझता हूं कि यह हमारा जानने का हक था कि क्या तरीका आपका यहां वोटिंग का रहेगा । यहां पर जब वोटिंग का समय आया तो मैंने बक्से रक्खे हुये देखे । उसका नतीजा यह हुआ कि सब के सब लोगों ने यहां पर बिघ्न डाला तो जो कुछ हुआ है वह सब अनकान्सटीट्यूशनल हुआ है ।

*श्री राम करन (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा यहां पर चल रही है उसमें दो पक्ष से दो विचार सामने आये हैं । एक विचार माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और आचार्य जी ने और दूसरा भाई शिवराज सिंह ने रक्खा है। मेरी समझ में सरकार आज कायदे से गठित नहीं है ।

सर्वप्रथम जो आपने कार्यक्रम वितरित किया उसमें प्रश्नोत्तर के लिए आपको बुलाना चाहिये, आपने नहीं बुलाया । आज जो कार्य इस वक्त चल रहा है आपके कथनानुसार वह कार्य नहीं चलना चाहिये और जो सरकारी पक्ष है उसके कथनानुसार आपका कार्य गलत है । इन दोनों प्रश्नों पर आप अपना निर्णय देंगे ।

दूसरी बात यह है कि मान्यवर कि जो कल बात हुई वोटिंग के संबंध में तो यहां पर जो विपक्ष के लोग मौजूद हैं उनके दिमाग में यह बात स्पष्ट रूप से थी कि वोटिंग लाबीज में होगी । मान्यवर, इसी आश्वासन के साथ हम लोग यहां आये थे परन्तु ऐसा नहीं हुआ । एकायक परिवर्तन हुआ और जो घटना हुई उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

तीसरी बात यह है मान्यवर, कि जिस वक्त वोटिंग की बात शुरू हुई उस समय जो आपने यहां देखा और जिस पर आपको शंका भी थी । अलग से हमारा एमेंडमेंट भी उसमें मौजूद था । पी० एस०पी० का यह निश्चित मत है कि सवा ६ एकड़ किया जाय । कम्युनिस्ट, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विषय में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन पी० एस० पी० सवा ६ एकड़ के लगान के प्रश्न पर विचार करना चाहती थी जिसके लिये हमने कहा कि बक्से का प्रबन्ध करवा दें जिससे इस विषय में हम अपना मत दे सकें । हमने अपना संशोधन भी रखा था जिसमें और भी १०,११ प्वाइंटस थे और उन पर भी हम प्रेस करने वाले थे । डिवीजन हो, वोटिंग हो, हम हारें तो कोई बात नहीं लेकिन हम अपने उसूल के साथ उसको लेकर कोई काम करना चाहते थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम करन---]

आज के एजेंडे में न तो उन संशोधनों का जिक्र है और न संशोधनों पर वोटिंग की बात है। इस प्रकार की चीजें हमारे साथ और एमेंडमेंट देने वाले लोगों के साथ अत्याचार है। इसलिये श्रीमन्, निवेदन है कि यह जो चीज आज उत्पन्न हुई है उसमें हमको सर्वप्रथम यही देखना होगा कि यह जो सरकार आज है वह कायदे की है या नहीं। सुबह जब ११ बजे आप सदन में आये तो सर्वप्रथम जो एजेंडा था उसी को लेना चाहिये और वह नहीं लिया गया तो यह सारा व्यवधान उपस्थित हुआ है। क्या यह कायदे और कानून के अन्तर्गत है और अगर नहीं है तो श्रीमन्, इस वक्त एसेम्बली एडजर्न करके दुबारा आप फिर आयें और फिर से सेशन आरम्भ हो।

एक सदस्य---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)---

श्रीमान जी, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। इस तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने नेता सदन के कहने के हिसाब से और इस नियमावली के हिसाब से गवर्नर के अभिभाषण के लिये ४ दिन का समय मुकर्रर किया। श्रीमान जी, आप पैराग्राफ ३ देखें।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय सारा प्रश्न विभाजन को लेकर उपस्थित हुआ है। जहां तक प्रक्रिया नियमावली की है उसमें विभाजन का तात्पर्य यह है कि सदस्यों को सभा कक्षों में बैठा कर या अन्य किसी रीति का अनुसरण करके अभिलिखित मतदान से है। जहां तक मैं समझती हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य इस नियम के पहले हिस्से पर जोर दे रहे हैं कि केवल लाबीज में ही ठीक मतदान हो सकता था और आपने अपना निर्णय किसी परिस्थितिवश लिया, जिसके लिये कि आप पूरी तरह से इस नियमावली के अन्तर्गत सक्षम थे। आपने ऐसी रीति का अनुसरण किया और वह रीति अपनायी जो कि इस सदन में पहले अपनायी जा चुकी है। ऐसी अवस्था में यह समझती हूं कि यह तर्क यहां पर बहुत उपयुक्त नहीं है, जिसके ऊपर विरोधी दल के माननीय सदस्य जोर दे रहे हैं।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहती हूं कि कल जब विभाजन हो रहा था तो यह प्रस्ताव आया था कि जब तक मतदान नहीं हो जाता है तब तक सदन का समय बढ़ा हुआ माना जायेगा। जिस समय यहां पर मतदान हो रहा था आप पूरे समय यहां पर उपस्थित रहे। बाद में आपका घिराव हुआ और लोग डायस पर पहुंच गये। कुछ लोगों ने आपका घिराव किया और शोर-गुल किया, लेकिन फिर भी यहां पर वोट देने की प्रक्रिया चलती रही। हम सब लोगों ने उस विषम परिस्थिति में हिम्मत करके आपने वोट दिये। जब वोटिंग समाप्त हो गई उसके बाद आप इस सदन से उठ कर गये।

नियमावली यह कहती है कि जब कभी कोई संकल्प आता है या कोई घोषणा होती है तो वह आपके द्वारा आपके सचिव घोषित करते हैं। इस सदन की भी यही परम्परा रही है कि मत गणना के बाद जो भी निश्चय हो वह आपके सचिव द्वारा घोषित किया जाता है। यहां भी विभाजन के बाद आपके सचिव द्वारा विभाजन का परिणाम सुनाया गया कि जो संशोधन था वह गिर गया और कल सदन ११ बजे बैठेगा। आज भी नियमावली के रूल २८५ का हवाला दिया गया और संशोधन पर मत लेने की रीति बतायी गयी। मेरा यह निवेदन है कि यह अध्यक्ष महोदय के सुविवेक पर निर्भर होगा कि वह पहले मूल प्रस्ताव को या किसी संशोधन को मत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए रखे । आपने पहले संशोधन को रखा और वह संशोधन गिर गया । आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें लिखा है कि जो मूल प्रस्ताव है वह उस पर मतदान होगा । तो साफ चीज है कि गवर्नर के एड्रेस पर जो हमारी सभा चल रही है वह कन्टीनुएशन में है ।

हमारी नियमावली का हवाला बार-बार हमारे माननीय सदस्यों ने दिया है । गवर्नर के एड्रेस पर बहस साधारणतया ४ दिन के लिए नियत होती है । हमने नियमानुसार उस पर बहस की । कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमने बहुत से और संशोधन पेश किये हैं और उन संशोधनों पर भी मतदान होना चाहिये । वे कह रहे थे कि चूंकि वे मूल संशोधन हैं इसलिए उन पर भी हो सकता है कि विभाजन की मांग करते । तो इसका अर्थ यह है कि आज हम दिन भर बैठें और वोट देते जायें और वे संशोधन गिरते जायें । ऐसी स्थिति में जो गवर्नर का सम्बोधन है उसको हम पारित करें । जैसा कि पहले घोषित किया जा चुका है कि आज हम मूल प्रस्ताव को लेने जा रहे हैं, मगर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की फिर भी यह मांग है कि वे इस पर अपना मत देंगे । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शांतिपूर्वक मतदान में भाग लें और जनतंत्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक भी है । जनतंत्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इस सभा के अन्दर हम शान्ति के साथ रहें और नियमानुकूल कार्य करें । अगर हम ऐसा करते हैं तभी जनतन्त्र की रक्षा हो सकती है ।

मुझे इतना ही कहना है कि प्रश्नोत्तर नहीं हुए और वहीं कार्यक्रम चल रहा है । संशोधन का काम हो गया, वह गिर गया और अब मूल प्रस्ताव को ले लें और आगे कार्यवाही चले तो मैं समझती हूं वह नियम के अन्तर्गत होगा क्योंकि हमारे नियमावली में यह है कि चार दिन की चर्चा होगी । चर्चा के लिए चार दिन का समय नियत है न कि वोट के लिए या डिवीजन के लिए । वह चार दिन भी हो सकते हैं और अगर ज्यादा है तो कल से आज तक हो सकता है । क्योंकि इस बीच कोई और कार्यक्रम नहीं किया तो हम उस कार्यक्रम को चालू रख सकते हैं । मैं माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगी कि वे हमारे पुराने साथी हैं, प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए उदारता से काम लें और कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में हमारा साथ दें ।

श्री अनीसुर्रहमान--

श्रीमन्, आप जिस कुर्सी पर आसीन हैं वह राजऋषि टंडन ने सुशोभित की है । उसकी मर्यादा आप जानें । मैं तो इस प्रक्रिया नियमावली को हाथ में लेकर खून के आंसू बहाने खड़ा हुआ हूं । मैं देख रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है उससे प्रजातन्त्र की हत्या हो रही है । श्रीमन्, मुझे खुशी है कि विरोधी दलों में क्रान्ति दल नहीं था, भ्रान्ति दल नहीं था नहीं तो कल इस कुर्सी के चिथड़े उड़ा दिये होते जो आज प्रजातन्त्र की दुहाई दे रहे हैं । श्रीमन्, घिराव होते हैं लेकिन हिंसक घिराव नहीं होते । कल आपके साथ वह नहीं हुआ । हम समझते हैं कि आपके साथ टंडन जी की जो इज्जत जुड़ी हुई है वह बहाल रहे । जनतन्त्र की बात बहिन बाजपेयी जी ने कहीं । मैं कहूंगा कि वे अन्तरात्मा की बात भी सुन लें ।

वह मैं बाद में कहूंगा पहले नियमावली की बात सुन लें । इसमें यह कहा है कि अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करेंगे जो साधारणतया चार दिन होगा । इसमें साफ है कि चार दिन बाद विवाद होगा । चौथे दिन चार बजे, पांच बजे या तीन बजे जब भी फैसला करके वोटिंग करायेंगे, वोटिंग होगी । वोटिंग के रास्ते नियमावली में बताये गये हैं, विभाजन के तरीके बताये गये हैं । आप तो श्रीमन्, पुराने अध्यक्ष हैं, आपको मैं क्या बताऊं । आप लाबी में भेजते और अगर भ्रान्ति दल के सदस्यों को झगड़ा करते हुये देखते तो उन्हें बाहर निकालते, यह आपको अधिकार था । लेकिन आपके शब्दों को जब सुना तो मैं कांप गया । इस सदन के अन्दर ऐसे भी लोग हैं जो अपने लोगों पर अंकुश नहीं लगा सकते । ऐसे लोग हैं जो जेबों के अन्दर पिस्तौल रखते हैं और हमारे

[श्री अनीसुर्रहमान]

नेता से कहते हैं कि तुम्हारे पास गोली निकली। मेरी समाजवादी बोली सुनें आपको लाबी में भेजना चाहिये था और जो गड़बड़ करते उन पर रोक लगाते, यह अधिकार आपको था।

अब मैं अन्तरात्मा इन लोगों को जगाना चाहता हूं। माननीय त्रिपाठी जी को चरण सिंह जी से अच्छा मान कर कहूंगा कि क्या तुम्हारी अन्तरात्मा की आवाज पर गिरी को वोट नहीं दिया था। क्या तुम्हारी अन्तरात्मा नहीं बोलती कि मुख्य मंत्री को हराओ (व्यवधान) मैं आज नियमावली की दुहाई नहीं दे रहा हूं, इन्दिरा मां की जबान से निकले शब्दों की दुहाई दे रहा हूं। जिससे मैं भी प्रेरित होकर गिरि साहब को वोट दे चुका हूं। उत्तर प्रदेश को बचाइये दो जीभों के जानवर से। वह डस रहा है प्रदेश के किसानों को। एक तरफ कहते हैं लगान माफ नहीं करेंगे फिर माफ कर देते हैं। एक तरफ सीलिंग करते हैं फिर कहते हैं नहीं (व्यवधान) और मैं कहता हूं कि दोनों कांग्रेसी एक हो जायं, हम तो विरोधी ही रहेंगे, हमें कुर्सी की चिन्ता नहीं है। हम समाजवादी रहेंगे। (व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

यह विषयान्तर हो रहा है।

श्री अनीसुर्रहमान—

अब जिगर थाम के बैठो बारी हमारी है। हम मानेंगे नहीं।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जो लोग कल की बैठक में उपस्थित थे उन्होंने आपके सामने जो कुछ तय हुआ उसके बारे में बात कही। मैं एक मिनट का समय लूंगा वरना अन्याय हो जायगा। जो आपके कमरे में बैठकर बातचीत हुई और जो निर्णय हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में भ्रान्ति पैदा हो गयी है। आपकी ऐसी स्थिति है, आप ऐसे पद पर आसीन हैं कि जहां पर आपकी बात को हम लोग झुठला दें यह भी हम लोगों को ज्यादा शोभा नहीं देता परन्तु थोड़ा सा विचार करें कि जब आपने प्रत्येक सदस्य से यह पूछा कि आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया चाहते हैं तो जनसंघ की ओर से, एस० एस० पी० की ओर से, कांग्रेस के इस ग्रुप की ओर से, प्रजा समाजवादी दल की ओर से, कम्युनिस्ट दल की ओर से, सब की ओर से यह कहा गया कि जो प्रक्रिया चल रही है, यानी लाबी के अन्दर जिस तरह से मतदान होता रहा है उससे डेवियेशन नहीं होना चाहिये। आपने भी सिर्फ यह कहा था कि मैं भी यह चाहता हूं कि लाबी के अन्दर ही हो। फिर एक दूसरा सुझाव आया कि यहां पर "नहीं" और "हां" की लाबी को बदलने की बात हुई। तो सचिव महोदय ने कहा कि बदलने में दिक्कत आयेगी, सीढ़ी लगानी पड़ेगी। फिर भी आपने कहा कि सीढ़ी लगायी जा सकती है, कागज चिपकाया जा सकता है, लाबी के अन्दर ही मतदान होना ज्यादा उचित होगा।

भाई वीरेन्द्र वर्मा और श्री तिवारी जी, दो माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि चाहे सब लोगों की कुछ भी राय हो हम यह उचित समझते हैं कि सदन के अन्दर ही हो। आपने यह कहा कि जब पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है इसलिये मैं यह समझता हूं कि अगर ऐसी कोई घटना घटी तो मैं सदन के अन्दर ही मतदान कराऊंगा। मैंने भी आपसे निवेदन किया था कि अगर ऐसी घटना घटे तो आप ऐसी बात कीजिये। फिर आपने कहा कि अगर कोई उत्पात होगा। तो मैंने भी निवेदन किया कि अगर कोई शोर शराबा हुआ तो आप उसे हिंसा नहीं मानेंगे। आपने कहा, ठीक है, हिंसा मैं तब मानूंगा जब लोग खींचातानी शुरू कर देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, जो सब लोगों की राय थी वह यही थी कि लाबी के अन्दर ही वोटिंग होनी चाहिये। उसके बाद

जब हम लोग चलने लगे, यानी बैठक जब समाप्त हो गयी, कांग्रेस पार्टी के जो नेता वहां बैठे थे वह चले गये उसके बाद अवश्यमेव आपने यह कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं यह देखूंगा कि अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो मैं अपना निर्णय बदल दूंगा। फिर भी हम यह कहते कहते बाहर आये कि हमारी राय यही है कि आप लाबी के अन्दर वोटिंग कराइये। वहां पर कोई शब्दों की टेप रेकार्डिग नहीं हो रही थी और वहां कोई लिखित कार्यवाही नहीं थी, हमने किसी कार्यवाही पर हस्ताक्षर नहीं किये, परन्तु यदि आपस में बैठ कर कोई बातें तय होती हैं और उसके बाद जो आम लोगों की राय है, कन्सेन्सस आफ ओपीनियन है उसके बाद यह कहा जाय कि यह बात नहीं हुई या यह निश्चय नहीं हुआ उसमें थोड़ा सा अन्याय हो जायगा।

मेरा निवेदन है, यद्यपि आप ने आखिर में ऐसा कहा कि मैं उस मौके पर देखूंगा लेकिन उस संदर्भ में यह कहा कि ज्यादा खींचातानी होगी तो मैं उस प्रक्रिया को अपनाऊंगा। यह प्रक्रिया जो अपनाई गई वह उस निर्णय के खिलाफ अपनाई गई। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो हमारे माननीय नेता ने कहीं और जो उत्तर में हम कहेंगे या दूसरे माननीय सदस्यों ने कहीं लेकिन आप कृपया ३-४ प्रश्नों का उत्तर आप निश्चित कर लें और उसके बाद ही आप किसी निर्णय पर पहुंचें। पहली बात तो यह है कि क्या यह बात सही है या नहीं कि जब यहां पर मतदान हो रहा था और उसका आखिरी वक्त चल रहा था तब आपकी कुर्सी खाली थी या नहीं? इस प्रश्न पर आप एक प्रश्नवाचक लगा कर अपने सामने रख लें।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मतगणना से पहले ही चुनाव परिणाम घोषित नहीं हो गया था? इस पर भी आप निर्णय से पहले विचार कर लें कि ऐसा हुआ या नहीं? महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर हम आज यहां पर विचार कर रहे हैं (व्यवधान) मुझे अफसोस है कि हमारे भाइयों को महात्मा गांधी का नाम भी पसन्द नहीं है। तीसरी बात यह है कि क्या यह भी सच है अन्य संशोधनों के ऊपर मतदान नहीं हुआ और चौथा प्रश्न यह है कि क्या धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के मत के अनुसार कल ही पारित होना आवश्यक था? यह ४ प्रश्न हैं और साथ ही यह भी आप समझ लें कि पिछला दरवाजा खुला हुआ था? आप के निर्णय की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसका पालन कैसे होगा लेकिन मैं इतना आपसे अवश्य चाहूंगा कि जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं उसकी मर्यादा को रखते हुये इन प्रश्नों के ऊपर विचार कर के सत्यता के आधार पर आप अपने निर्णय को आधारित करें।

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कल आपने कृपा करके हम लोगों को, सभी पोलिटिकल पार्टीज के व्हिपस् और चीफ व्हिप्स को २ बजे दोपहर को बुलाया था और वहां यह प्रश्न आया था कि विभाजन के समय किस प्रकार के मतदान प्रक्रिया अपनायी जाय। हमारी तरफ से मैंने और श्री महीलाल जी ने और कांग्रेस की तरफ से श्री नारायणदत्त जी ने आपके सामने यह सुझाव रखा था कि इस सदन में उत्तेजनात्मक कार्य होते रहे हैं क्योंकि कल ही रिवाल्वर की एक गोली यहां मिली थी और अभी ४ दिन पूर्व जब कि ऐसी घटना भी नहीं घटी थी, ऐसे किन्हीं शब्दों का प्रयोग भी नहीं हुआ था लेकिन उन पर जूता फेंका गया और इससे ५-६ माह पहले इसी सदन में एक घटना घटित हो चुकी थी (व्यवधान) मैं अपनी बात कह लूं आप की (विरोधी दल) और अध्यक्ष जी की आज्ञा चाहता हूं. . . .तो मैंने निवेदन किया था कि जिस प्रकार का उत्तेजनात्मक वातावरण सदन में चल रहा है उसको देखते हुये उचित और उत्तम यही होगा कि स्वतन्त्रतापूर्वक एक शान्त वातावरण में सब सदस्यगण यहां बैठे रहें और स्वतन्त्रता से वह अपनी राय का इस्तेमाल यहां कर सकें।

इसके बाद, यह सही है कि आप ने कहा था कि लाबी में ही जाकर विभाजन होना चाहिये और फिर यह हुआ कि इधर के लोग उधर जायं और उधर के इधर जायं इसमें खींचातानी होगी

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

और जैसा यह वातावरण यहां उत्तेजित है उसमें झगड़े का अन्देशा हो सकता है। इसके बाद जितने प्रतिनिधि दलों के वहां पर थे उनसे आपने पूछा कि क्या आप सब आश्वासन दे सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा।

मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि श्री नित्यानन्दजी ने आपको ऐसा आश्वासन भी दिया था कि हम सब प्रार्थना कर लेंगे और अपनी ओर से रोकेंगे। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, आपको आश्वासन दिया था, वे भी न रोक सके और उनकी प्रार्थना और निवेदन के बाद भी, आपके आदेश की अवहेलना करते हुए वे माननीय सदस्य हर सेकिन्ड अपने स्थान पर खड़े रहें और बोलते रहे। उन्होंने न आपके आदेश का पालन किया और न उनकी प्रार्थना पर ध्यान दिया।

जहां तक माननीय कृष्णानन्द राय जी का सम्बन्ध है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, गारन्टी नहीं ले सकते हैं।

श्री कृष्णानन्दराय---

यह मैंने कभी नहीं कहा।

श्री वीरेन्द्रवर्मा---

माननीय अध्यक्ष जी मैंने जो समझा वह बता दिया। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य उपस्थित थे, जिनका नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम शान्ति स्थापित रखेंगे लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य आपको आश्वासन देने पर भी और बार-बार आपके आदेश देने पर या प्रार्थना करने पर भी और आपके अपने स्थान पर खड़े होने पर भी अपने स्थान पर नहीं बैठे और इस प्रकार आपके आदेशों का पालन नहीं किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सदन में शान्ति रहे और मतदान की प्रक्रिया चल सके हमने यह प्रार्थना की थी कि हाउस का वातावरण जिस प्रकार का है, उसमें कहीं मतदान की प्रक्रिया में कोई बाधा न पड़े, इसलिए सब सदस्य अपने विचारों को इन्डिपैन्डैन्टली अपने अपने स्थान पर खड़े हो कर रखें और सदन में "हां" और "ना" के बक्से रखे जायं, जैसा कि यहां पर पहले भी प्रक्रिया अपनायी जा चुकी है। यह प्रार्थना करके हम उठ कर चले आयें और यह कहा कि इस उत्तेजनात्मक सदन के वातावरण में मतदान सम्भव न हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि कल के वाक्या के ऊपर. . .

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, इसके पूर्व कि आप मूल प्रस्ताव को मतदान के लिए रखें, मेरा निवेदन है कि मैं उन लोगों में से हूं कि जिसने बिना सोचे कि इसका क्या नतीजा होगा, कौन किधर वोट देगा हमने अपना वोट दिया। हमने किसी पार्टी के साथ गठबन्धन के साथ वोट नहीं दिया। कल की डिबेट के अन्दर यह कहा गया कि जिम्मेदार पार्टियों के नेताओं ने रुपया लिया। किसने लिया, किस ने नहीं लिया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यह तो सदन को मालूम होगा कि किसने लिया और किसने नहीं लिया लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इस मामले में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सबसे पीछे मिलेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके बाद मुझे यह निवेदन करना है कि मतदान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करें हमारे जो डैमोक्रैटिक राइट्स, कन्वेन्शन्स और ट्रेडिशन्स का खून हुआ है, उस पर विचार करके फिर वह तरीका अख्तियार करें जिसमें उनकी पुनरावृत्ति न हो। आपने कहा कि एक रूलिंग हो चुकी है। माननीय जगदीश शरण अग्रवाल की रूलिंग हो चुकी है, यह बात सही है। अगर आपको माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी की उन बक्सों वाली प्रक्रिया को लागू करना पड़े तो हम आशा करते हैं कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उसकी गरिमा को देखते हुए हमारे कन्वेन्शन्स और ट्रेडिशन्स को लागू करने की कोशिश करेंगे। यही हम आप से उम्मीद करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

उस कमेटी में....

श्री रियासत हुसैन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने ट्रेडिशन्स और कन्वेन्शन्स हाउस आफ कामन्स से एडाप्ट किए हैं। उनकी ३ बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो डिवीजन का सिस्टम, मेज की पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि लाबीज विल बी क्लियर। लाबी के अन्दर वोट देने के समय हाउस के आफिशियल्स के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो एक तो इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ४०८ में साफ यह लिखा हुआ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब वोटिंग शुरू हो तो उसके पहले सदन के सब दरवाजे बन्द होना चाहिये, उसमें ताला लगा होना चाहिये। यह भी श्रीमन, मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में ही लिखा हुआ है। अब तक आप के संरक्षण में इस कन्वेन्शन को एडाप्ट किया गया, लेकिन कल की ही वोटिंग में यह देखा गया कि आप के पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ था, यह पता नहीं चल रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन अथाराइज है आने के लिये और कौन नहीं है। श्रीमन, मेज प्रैक्टिस में यह भी लिखा हुआ है कि जब तक रिजल्ट सुना नहीं दिया जाता, वह रिजल्ट क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। पी० एस० पी० की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब तक मतदान का नतीजा सुना नहीं दिया जाता सदन के दरवाजे बन्द रहते हैं और उसमें ताला लगा रहता है। माननीय स्वामी जी ने जिन बातों को कहा है, मैं उन को दोहराना नहीं चाहता, वह सारी चीजें आप के सामने आ चुकी हैं। श्रीमन, मैं बार-बार यह आग्रह कर चुका हूं कि जो एक कमेटी आपने बनायी थी और जिसने कुछ निर्णय भी लिये थे मगर उनको लागू नहीं किया गया। मान्यवर, हो सकता है कि उस कमेटी के निर्णय का पालन न करने से ही कल यह घटना घटी हो। अगर उनका पालन होता तो शायद यह घटना न घटती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप सारे नेताओं को बुला कर गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार करें, चाहे दोबारा कोई कमेटी बनायें लेकिन भगवान के लिये, खुदा के लिये, कल जो तरीका आपने अपनाया उसे इस हाउस का ट्रेडीशन न बनायें, केवल एक बार किसी प्रक्रिया को अपनायें जाने से सारे कन्वेन्शन्स पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में समाप्त नहीं हो जाते।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस बात को मानता हूं कि उस कमेटी ने यह तय किया था कि जब गड़बड़ हो तो सब नेताओं को बुलाना चाहिये। बात करके तय करना चाहिये। पुलिस के बारे में भी तय किया था कि वह न बुलाना पड़े। मैं समझता हूं कि आप का यह सुझाव कि सबको बुला कर बातचीत कर के कोई रास्ता निकाला जाय, ठीक लगता है। यह हो सकता है कि मैं एक घन्टे भर के लिए सदन स्थगित कर दूं और सब नेता लोग मेरे कमरे में आ जायं, केवल नेता लोग ही आयें, और कोई रास्ता ऐसा निकाला जाय जिससे शान्तिपूर्वक सदन की आगे की

[श्री अध्यक्ष]

कार्यवाही चल सके। (विपक्ष की ओर से--हां यह ठीक है) उसमें पहले तो यह तय हो जाना चाहिये कि हम लोग किस तरह से सदन को चलायें और फिर क्या-क्या गलती हो गयी है उसका कैसे निराकरण हो (ठीक है--की आवाजें।)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन, तत्काल नहीं। आज के बाद किसी दिन बुलाइये, या चाहे आज शाम को ५ बजे के बाद, लेकिन तत्काल नहीं। यहां जो बहस आप ने चलवाई है, मैं यह गुजारिश करूंगा कि मुझे भी उसमें हिस्सा लेने की इजाजत दें। यह मेरी गुजारिश है।

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त हम लोग उठें। दो बजे बैठ जायं एक घंटे के लिए। इस बात की फिक्र न करें कि आगे की कार्यवाही नहीं होगी। अगर हम लोग बैठ जाते हैं घंटे डेढ़ घंटे तो मुमकिन है कि कोई झगड़ा आगे फिर न हो। कोई कार्यवाही नहीं होगी ऐसी बात नहीं। तो दो बजे से तीन बजे तक हम लोग डिसकस करेंगे। उसके बाद यहां बैठेंगे।

अब हम उठते हैं।

(इस समय १२ बजकर ४१ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ३ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है। दो बजे मीटिंग हुई थी उसमें जायसवाल जी बोल नहीं सके थे। लिहाजा पहले वह बोल लें फिर मैं जो वहां पर बात हुई है उसको सदन के समक्ष सुना दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, माधवप्रसाद जी ने जो विषय उठाया है उससे सम्बन्धित कुछ तथ्य मैं सदन के और आप के सन्मुख रखना चाहता हूं। उनके रखने में यदि कहीं पर मुझसे गलती हो तो जो लोग आप के कक्ष में इकट्ठा हुये थे वे और आप टोक कर मुझे सही कर देंगे।

मान्यवर, कल आप ने तीन दलों के सचेतक अपने कक्ष में बुलाये थे। उसका मकसद यह था कि विभाजन की विधि क्या होगी यह तय हो जाय। सब लोगों को सुनने के बाद जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, हमारा दल, जनसंघ और कांग्रेस संगठन थे उनकी राय यह थी कि "हां" और "नहीं" के कक्ष में भेजकर सदस्यों का विभाजन कराया जाय। उस पर आपत्ति केवल सत्तारूढ़ दल को थी कि ऐसा न कर के यहीं पर सदन में मत पेटियां रखवाकर मतदान लिया जाय। लेकिन जो बातचीत का निष्कर्ष था और जो आप ने आभास दिया बुलाकर वह यह था कि आप साधारणतः कक्ष में लोगों को भेजेंगे और वहां पर मतदान होगा। आपने अपने लिये केवल एक अधिकार लिया था कि अगर सदन में किसी तरह से अव्यवस्था होगी तो आप मत पेटियां रखवाकर मतदान करायेंगे।

मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब यहां पर "हां" और "नहीं" के मत का आपने आग्रह किया और उसके बाद जब मेरी ओर से विभाजन की मांग की गई और एक दफा नहीं दो दफा। तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि हमारे और उस दल के लोग अपनी अपनी जगह पर शान्ति से बैठे रहे। किसी तरह की कोई अव्यवस्था या झगड़ा नहीं हुआ। अव्यवस्था तब उत्पन्न हुयी जब आप ने अपने उस निश्चय को बदल कर यकायक, उसका कारण भी हम नहीं जानते कि क्यों ऐसा हुआ, आपने यह एलान कर दिया कि मतदान यहां सदन में किया जायगा। तो उस वक्त जो हम लोग यहां पर बैठे थे उन लोगों के मन में यह बात आई कि आखिर

इकटठा क्यों किये ? हम लोगों को एक आभास पहले से ही है तो इसलिये स्वाभाविक था कि हमारा ध्यान जो नेशनल हेराल्ड में छपा था उसकी तरफ गया। उसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि मतदान किस तरह से होगा और जो कुछ भी अखबार में छपा था वही हुआ। इसके पहले भी राज्यपाल महोदय से हम लोगों की बातचीत हुई थी। वह शपथ के लिये किसको आमंत्रित करेंगे उसकी भी खबर अखबार में बहुत पहले छपी थी। किस तरीके से, किस समय और किस आदमी को शपथ दिलाई जायगी यह सब पहले छप गया था। तो लगता है जैसा राज्यपाल महोदय ने पहले ही निश्चय ले लिया और पहले ही निश्चय हो गया और वह चीज अखबारों में चली गई उसी तरह से उसके बावजूद हम लोगों को आपने एक खेल खेलने के लिये वहां पर बुलाया। मशविरा लिया गया और ऐसा खेल खेला गया कि हम अन्धेरे में रहें। तो इससे उसको तो तकलीफ नहीं होगी जो यह खेल खेला न हो लेकिन जब यह आभास पहले से हमको मिल चुका है तो इससे किसी को भी तकलीफ हो सकती है, मान्यवर, यह आप मानेंगे। यह भी तो ऐसी ही हालत हुई।

विभाजन के बाद घंटियां बज गयीं। दरवाजे बन्द होने लगे। उसके बाद फिर आप बहस का मौका दे सकते थे, नियम हमारे इजाजत देते हैं लेकिन यह कुछ नहीं हुआ। हमें सुना तक नहीं गया। मतदान जब होने लगा तो एकबारगी उस सचिव श्रीपत सहाय ने कई कई नामों को पढ़ना शुरू किया और आपने खुद देखा होगा कि यहां पर भीड़ लग गयी। लोग आपसे निवेदन कर रहे थे कि आप ऐसा न करें क्योंकि इस तरह से लोगों को प्रभावित करने का अच्छा अवसर मिलेगा और उस प्रकार निष्पक्ष मतदान नहीं हो सकेगा। कुछ देर तक यह सिलसिला चला। फिर उसके बाद आप अपने आसन को छोड़ कर पं० कमलापति त्रिपाठी के पास आये बाहर जाने के पहले और मान्यवर, वह दृश्य कोई भुला नहीं सकता और न भूलने लायक है। इसलिये नहीं है कि आप यहां के अध्यक्ष हैं और उस कुर्सी को आप सुशोभित करते हैं जिसके आगे हम सब लोग नतमस्तक होते हैं। आप अपने आसन को छोड़ कर पं० कमलापति त्रिपाठी के पास आये लेकिन त्रिपाठी जी अपने आसन पर ही बैठे रहे जैसे कि इस समय बैठे हुए हैं और आप उनके सामने मेज पर झुक कर उनसे बातें करने लगे। अगर किसी अदालत का मामला होता, कोई जज अपनी कुर्सी को छोड़ कर किसी मुअक्किल या किसी वकील से इस तरह बात करता तो लोगों को कितनी ठेस अथवा आघात पहुंचा होता। मैं दुःख के साथ कह रहा हूं कि आपके साथ यह चीज जुड़ी हुई है कि आप निष्पक्ष रहें लेकिन जब आप इस तरह से चले गये..

श्री अध्यक्ष—

मैं उनसे पूछने गया था कि इसमें क्या आपत्ति उनको है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उस कुर्सी का अनादर होता है जब एक सम्मानित सदस्य इस तरह से बैठा रहे और आप उसके आगे झुक कर अपनी बात कह रहे हों। इस चीज को आप अपने सामने रखें।

श्री अध्यक्ष—

मैं अपने को इतना ऊंचा नहीं समझता।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह दूसरी बात है कि आप न समझें लेकिन उस कुर्सी के साथ जो सम्मान जुड़ा हुआ है, जो उसका आदर है; गौरव है, जो उसके साथ शिष्टता है उसे भुलाया नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास शिकायत आई थी आप की ही तरफ से कि दो दो, चार चार पर्चियां दी जा रही हैं। दूसरे मैं यह चाहता था कि आप लोगों में कोई अंडर स्टैंडिंग हो जाय तो अच्छा है। यह काम आपके सेवक की हैसियत से करने गया था। आप उसको झुककर कहना कहें लेकिन कांकर आई कैन स्टूप टु मैं कभी कभी झुक जाता हूं लेकिन दूसरों का हृदय परिवर्तन करने के लिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप खाली सेवक नहीं हैं बल्कि यहां पर इस सदन के संचालक भी हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं कहते हैं कि सेवक हूं। मैं सेवक के सिवा और कुछ नहीं हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

एक बात मैं भी स्मरण दिलवा दूं। जायसवाल जी का कहना है कि मैं बैठा रहा लेकिन तब तक मेरी दृष्टि उधर नहीं गयी थी। जब मैंने आपको अध्यक्ष महोदय देखा तो मैं खड़ा हो गया और आपके लिये ही अकेले खड़ा नहीं हुआ बल्कि जायसवाल जी मेरे पास आये थे उनके लिये भी मैं कुर्सी से खड़ा हो गया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह बात नहीं है। मैं उनके पास गया था तो कुछ उनकी सेवा में लेकर गया था।

मान्यवर, इसके बाद फिर आपने आसन ग्रहण किया और उसके बाद आपके पीछे का दरवाजा भी खुल गया। दरवाजा खुलने के बाद लोग बराबर आते जाते रहे और फिर ऐसी अव्यवस्था है आप मेरे निवेदन को मान कर रिटायर हुये। यह कह कर कि संशोधन गिर गया, आप चले गये। दूसरों ने न सुना हो लेकिन हमने सुना। इसलिये हमें कहने में कोई उज्र नहीं है। मान्यवर यह तथ्य है।

इसके बाद में कुछ नियमों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। नियम यह है कि किसी विषय पर या किसी अधिनियम पर, उसके किसी उपक्रम पर या उपक्रमों पर चर्चा के लिये सदन के नेता आप से सलाह करेंगे। जो आपकी सलाह होगी या निश्चय होगा उसको कार्य मंत्रणा समिति में भेजेंगे इस निश्चय के साथ इस पर समय नियत हो जायेगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समय नियत करने के लिये यही प्रक्रिया अपनाई होगी। आर्टीकिल १७५ हमारे कांस्टीटयूशन का है और नियम १९(३) है उसके अनुसार जो कार्य मंत्रणा समिति में समय नियत हुआ उसके लिये आपने चार दिन समय नियत कर दिया। सदन में संकल्प के रूप में स्वीकारा और चर्चा शुरू हो गई। समय के अन्दर रहते हुये इस पर मतदान हो जाना चाहिये था। इधर या उधर।

फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और नियम है १५। इसमें यह दिया गया है कि हमारे यहां उपवेशन की अवधि क्या होगी ११ बजे से ५ बजे तक। लेकिन सदन को अधिकार प्राप्त है कि किसी विषय के निस्तारण के लिये जितनी देर तक चाहे सदन समय बढ़ा दे। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कल क्या क्या नहीं हुआ, उसकी तरफ और नियम क्या कहते हैं। एक नियम २२७ है। उसमें यह दिया गया है कि निश्चित् समय पर किसी अवशिष्ट विषय के निस्तारण के लिये आप आवश्यक प्रश्न उपस्थित करेंगे। कल जब आप यहां से उठे तो आपके कोई प्रश्न उपस्थित नहीं किया। इस तरह का प्रश्न कि अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसको स्थगित कर दिया गया है कल के लिये। इस तरह का कोई भी प्रश्न आपने उपस्थित नहीं किया। इसी तरह से दूसरा नियम है। वह यह है कि अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में बहुत से संशोधन रखे गये थे। उन पर भी

अलग अलग मतादन होना चाहिये था। वह भी नहीं हुआ। उस पर भी कोई प्रश्न नहीं आया। उनके ऊपर अलग-अलग मत विभाजन होता, मत लिया जाता। जैसा कि प्रस्तावक लोग चाहते थे।

एक बात और है। नियमों में है कि आप मत विभाजन के परिणाम को तत्काल घोषित करेंगे। आप इस बात का सहारा ले सकते हैं कि आप परिणाम घोषित करके चले गये। जिस वक्त आप यहां से उठे उस वक्त तक जो यह मतदान चल रहा था, वह चल ही रहा था। उसके गुण ,दोषों पर बिना जाने हुए, न मतगणना पूरा हुए, उसके परिणाम की घोषणा कैसी ? वह हो ही नहीं सकती। आप अपनी राय चाहे जो रखते हों लेकिन मतदान पूरा हुए बिना, उसकी गणना हुए बिना, उसकी घोषणा कैसी ? आप उसके नतीजे को किस प्रकार से घोषित कर सकते हैं। जब आप उस कुर्सी को छोड़ कर चले गये, इसमें तो कोई शक ही नहीं रह गया, श्री शिवराज सिंह ने खुद ही कहा कि उन्होंने उस खाली कुर्सी को सुशोभित किया था और यह समझ कर कि चूंकि वे पेनल के एक सदस्य थे, इसलिये उनको यह अधिकार मिला हुआ था, कुर्सी पर बैठने के लिये वे सक्षम थे। लेकिन उनको यह भी पता नहीं है कि जब कोई मंत्री हो जाता है तो यह साधारण नियम है कि कोई भी मंत्री होने के बाद उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। जैसे ही कोई सरकार में शामिल हो जाता है, वह निष्पक्ष नहीं रह सकता। इसलिये उन्होंने यह अनधिकार चेष्टा की। वह कुर्सी आप से आप खिसक जाय और वे धड़ाम से गिर जायं, यह बात दूसरी है, लेकिन उन्होंने अनधिकार चेष्टा की।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मतदान की पेटिकायें भी आपके सचिवालय के कर्मचारी नहीं ले गये बल्कि श्री शिवराज सिंह जी और महीलाल जी मतदान पेटिकाओं को लेकर गये। और यह उन्होंने किया आपके चले जाने के बाद और परिणाम के घोषित हो जाने के बाद।

इसी के साथ साथ मान्यवर, हमारा उपवेशन किस प्रकार से विधिवत् गठित होता है, यह आचार्य जी और अन्य लोगों ने आपको बताया। उन्होंने कहा कि जब तक आप कुर्सी पर रहेंगे, अथवा आपके स्थान पर कोई सक्षम सदस्य होगा, तभी तक उपवेशन विधिवत् गठित माना जायगा। जैसे ही आपकी कुर्सी खाली हो जायगी, यह समझा जायगा कि सदन स्थगित हो गया है। इसलिये यह जो कार्यवाही मत विभाजन की आपके कुर्सी से उठने के बाद हुई वह न तो सदन की कार्यवाही का अंग ही बन सकती है और न उसका अंश। जब तक आप आसन पर रहेंगे तभी तक यह सदन चलता हुआ माना जायगा। अतः जब आप पंडित जी के पास आये अपने आसन को छोड़ कर, अथवा जब आप यहां से उठ कर चले गये, उतनी देर दोनों बार जो मतदान हुआ, वह मतदान नियमित नहीं हुआ और उसके बाद जो परिणाम घोषित किया गया बिना मत गणना कराये हुए, वह सब सही नहीं था, नियमानुकूल नहीं था।

इसी के साथ अन्तिम चीज मैं यह कह देना चाहता हूं, जैसा कि माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि चूंकि यह धन्यवाद का प्रस्ताव गिर गया, इसलिये प्रदेश में कोई सरकार नहीं रह गयी, यह मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) हम सरकार को ठोकर मारने में ज्यादा तेज हैं।

हमारे गोविन्द सिंह जी जब बोल रहे थे तो पंजाब का उदाहरण देने लग गये। जहां किसी का ज्यादा गहरा रिश्ता होता है, वह वहीं पहुंच जाता है। वहां पर वे अकाली दल और जनसंघ की सरकार को समर्थन दे रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, क्या यह रिलीवेन्ट है ?

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह मंत्री जी हैं। आप ही इनसे कुछ कह सकते हैं मैं कहना नहीं चाहता हूं।

इस तरह से जिसका निहित स्वार्थ होता है उसकी राय साफ नहीं मानी जा सकती है। गोविन्द सिंह जी का दल केरल में इन्डीकेट के साथ सरकार में है। तो मैं यह कहूंगा कि जो इस सदन में हुआ है उसकी तरफ आप बोलें।

श्री अध्यक्ष---

आप बोल लीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

निश्चित समय के भीतर, मान्यवर, यहां पर अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है वह पारित नहीं कराया जा सका। उसके ऊपर अलग से जैसा कि मैंने निवेदन किया है आपने नियमानुसार कोई प्रश्न भी उपस्थित नहीं किया। उसका नतीजा क्या होगा। निश्चित समय के भीतर इसको पास होना चाहिये मतलब यह है कि यह सरकार उस धन्यवाद के प्रस्ताव को समय के भीतर पारित नहीं करवा सकी। इसका परिणाम क्या होगा, अब वह इस सदन में फिर कैसे आयेगा। यहां पर जब १९६७ में श्री सी० बी० गुप्ता, मुख्य मंत्री थे, तो वह अपने प्रस्ताव को पारित नहीं करवा पाये और वह सरकार खतम हो गई। तो उस नजीर को इस तथ्य पर आप ढालें तो सचमुच इस सरकार का पतन हो गया है। इस सरकार के गठन में इस सदन का कोई हाथ नहीं है। यह तो राज्यपाल का डिस्क्रेशन है लेकिन सरकार का पतन इस सदन के हाथ में है और रहेगा और चूंकि वह प्रस्ताव समय के भीतर पारित नहीं हो सका है तो इस सरकार को अब रहने का हक नहीं रह गया है।

दूसरी बात यह है कि अब आप इसको फिर से उपस्थित करें। तो जो कार्यक्रम बांटा गया है तो इसमें आपत्ति की गई है कि यह संख्या ९ पर जो कार्यक्रम है उसको इसमें जगह नहीं मिलनी चाहिये। क्योंकि इसके लिये पहले कार्यक्रम समिति में विचार होना चाहिये या सदन का निश्चय होना चाहिये। इसका गौर करके आज इसको प्रविष्ट नहीं किया जाना चाहिये था और यह प्रविष्ट गैर कानूनी है और धन्यवाद के प्रस्ताव का जो समय था वह खतम हो गया है और उसको नये सिरे से जब तक प्रस्थापित नहीं किया जाय यहां पर मतदान नहीं लिया जा सकता है। जो कल का परिणाम घोषित हुआ है उस पर इन तथ्यों की रोशनी में फिर मत विभाजन से विचार कर लिया जाय।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। अभी जिस समय श्री जायसवाल जी अपना भाषण कर रहे थे और वह एक घटना विशेष का चित्रण कर रहे थे तो उसका प्रदर्शन भी कर रहे थे। मान्यवर जहां तक मेरी जानकारी है सदन के अन्दर किसी घटना विशेष का प्रदर्शन करना संसदीय आचरण के प्रतिकूल है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसको अनुचित मानता हूं।

इसलिये आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था देने का कष्ट करें और यदि आप भी अनुचित मानते हों तो श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा बैठकर प्रदर्शन करते समय "ऐसे बैठ गये" कहे गये शब्द कार्यवाही से निकाल देने के आदेश प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कल, उसमें केवल दो प्वाइंट था और जिसका लोगों ने उत्तर दिया, मैं केवल वही कहूंगा। पहला प्रश्न तो यह कि यह सरकार संविधान के अनुसार नहीं रह गयी। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंजाब में ऐसा उदाहरण है और हाई कोर्ट का भी फैसला हुआ है इसलिये कोई ऐसी नजीर हम नहीं दे सकते कि कहीं गवर्नर के धन्यवाद के प्रस्ताव पर सरकार गिर गयी हो। कल जब मैं आपके समक्ष गया तो मैं जानता हूं कि इस नैतिकता के आधार पर चौधरी साहब ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। अगर यह प्रस्ताव गिर गया तो मैं इसको सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानूंगा। मैं उनके इस विचार की सराहना करता हूं। फिर मैंने आपसे कहा कि या तो लाबीज में डिवीजन हो या एक ही पेटी रहे जिसमें "हां" और "ना" के वोट डाले जायं तो इस तरह से स्वतंत्र मतदान हो सकता है। एक तरफ तो चौधरी साहब ने कहा था कि अगर प्रस्ताव गिर गया तो इसे हम सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानेंगे लेकिन जब उसी नैतिकता के आधार पर एकही पेटी में वोट डालने की बात आयी तो वे उस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हुए। माननीय जायसवाल जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि इस हाउस ऐसी परम्परा है जब कि गवर्नर के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव गिर गया था तो गुप्ता जी ने इस्तीफा दे दिया था। धन्यवाद का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था तो एक उदाहरण उन्होंने हमारे सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं होता, हाई कोर्ट से कोई बड़ा नहीं होता लेकिन अपने क्षेत्र में हम सबसे बड़े हैं। हमारा निर्णय सर्वोपरि है। हाई कोर्ट से एक निर्णय हो चुका और पार्लियामेंट्री पद्धति के अनुसार हमने एक निर्णय ले लिया। सरकारी नीति को प्रतिपादित करने के लिये जो प्रस्ताव सेदन के समक्ष था वह नियम के अनुसार समय के अनुसार पास नहीं हो सका। ऐसी हालत में यह माना जायेगा कि यह सदन उस प्रस्ताव में विश्वास नहीं रखता, उसकी नीति में विश्वास नहीं रखता। तो नैतिकता की दृष्टि से और संविधान की दृष्टि से भी यह सरकार गिर गयी है, इसलिये यह माना जायेगा कि यह सरकार नहीं रह गयी है।

दूसरी बात यह कि मेरे ऊपर आक्षेप किया गया कि हम डेमोक्रेटिक वे में काम नहीं करते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि हम डेमोक्रेटिक मेथड की आलोचना करके डेमोक्रेटिक पद्धति का पालन करें लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो संविधान के अन्दर घुस कर उसे तोड़ना चाहते हैं। संविधान में उनका विश्वास नहीं है लेकिन से संवैधानिक नीति की बात कहते हैं। एक तरफ तो हमारे ऊपर संविधान के नाम पर प्रहार करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों से गठबन्धन करते हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी की मूल जड़ को ही हिला दिया जिससे हर जगह अनुशासन-हीनता को ही बढ़ावा मिला। मुझे मजबूरी की हालत में ऐसा कहना पड़ता है। इसलिये हम आपसे कहते हैं कि अगर आप डेमोक्रेटिक पद्धति का पालन चाहते हैं तो नियम के अनुसार आप उसमें सहायक हों। मैं आपके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाता लेकिन हो सकता है कि गलत तरीका इस्तेमाल किया गया हो और आप उसमें सहायक हों। कैसे-जैसे एक पद्धति आपने अपनायी और विभिन्न दल के नेताओं को बुला कर आपने उनसे परामर्श किया और उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचे। नतीजा यह हुआ कि स्वतंत्र मतदान होना चाहिये था लेकिन एक मंत्री आपके स्थान पर पहुंच गये और इस तरह से वह सारी प्रणाली दूषित हो गयी, आप अपने आसन पर नहीं रहे और वोट पड़ता रहा इसलिये भी वह प्रणाली दूषित हो गयी।

माननीय जायसवाल जी ने ठीक कहा और मेरी आपसे प्रार्थना है ब हैसियत एक वकील के, आप भी वकील रह चुके हैं, आप सब अपनी बुद्धि और हृदय से इसको अपने मापदण्ड पर रखें। आपने कल पहले 'यस' में और 'नो' में किया। अब यह कहा जाय कि 'नो' की या 'यस' की संख्या ज्यादा है तो इससे सन्देह प्रकट होता है। सन्देह को दूर करने के लिये अब भी गुंजाइश है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

कल जब यह तय हो गया था कि हम लोग लाबीज में जायेंगे और 'यस' में और 'नो' में सन्देह उत्पन्न होगा परन्तु आपने यहां आने पर अपने विचार बदल दिये। अखबारों में भी आ गया। अदालत में भी जब एक मर्तबा कोई निर्णय ले लिया गया तो उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पूरी प्रक्रिया न हो।

जब आपने पहले मान कर एक व्यवस्था दी थी 'यस' और 'नो' की वह चली गई और फिर एकदम से यह डिसाइड कर दिया कि लाबी में न जाकर यहीं पर वोटिंग करवाई जायगी। जैसा यहां पर हुआ है वैसा, श्रीमन्, संसदीय प्रणाली में कभी भी इतिहास में नहीं हुआ होगा कि अध्यक्ष महोदय भी नहीं हैं और वोटिंग पड़ती रहे। क्या इस अधिवेशन को चलता हुआ माना जा सकता है। श्रीमन, निगाह मिली और स्वतंत्र मतदान भी नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं श्रीमान कि जब एक मर्तबा नजरों से नजरें मिलीं और स्वतंत्र मतदान समाप्त हुआ। श्री अनन्त राम जायसवाल ने बड़े ही सुन्दर तरीके से कहा कि जिस प्रकार से यहां पर कल वोटिंग हुई है और सदन की जो कार्यवाही उस समय हुई वह बिल्कुल ही अवैध है। इस अवैध कार्यवाही को लेकर यदि सुप्रीम कोर्ट में भी जायें तो वह अनुचित नहीं होगा। इस दृष्टि से मैं कह रहा था जो दलील दी गई है वह हर दृष्टि से गलत है। कल का काम ठीक नहीं हुआ, कल की वोटिंग की पद्धति ठीक नहीं थी, कल समय के अन्दर धन्यवाद के प्रस्ताव पर वोट नहीं हुआ और वह पारित नहीं हुआ। अतएव श्रीमान्, मेरा जो व्यवस्था का प्रश्न है उसके मुताबिक व्यवस्था देने की कृपा करें।

*श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

जैसा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि कल जो हुआ वह असंवैधानिक है, उन्होंने मुख्य रूप से तीन बातों की चर्चा की है जो विवादास्पद हैं। पहला प्रश्न तो उन्होंने यह उठाया कि कल सदन में जो पेटियां रखवाई गई थीं वोटिंग के लिये वह ठीक थीं अथवा नहीं।

उन्होंने दूसरा प्रश्न यह उठाया कि कल जो समय दिया गया उसके अन्दर धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हुआ अथवा नहीं। और यदि समय के अन्दर पारित नहीं हुआ तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि चूंकि यह पारित नहीं हुआ इसलिये यह समझना चाहिये कि यह सरकार गिर गई। इन तीनों बातों के सम्बन्ध में मैं आपके सम्मुख उपस्थित कर दूं। श्रीमान् जी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हमको तनिक भी एतराज नहीं है कि हमेशा के लिये यह नियम बना रहे कि लाबीज में जाकर ही मतदान हो। सारा तजर्बा इस आधार पर बना है और यह मान कर हुआ है कि जो हमारा विधान है, जो हमारी नियमावली है उसमें लाबीज में जाकर विभाजन के लिये मतदान को रखा है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। लाबीज की जो परिभाषा है उसको श्रीमान जी देखने की कृपा करें। पेज २ पर....

श्री अध्यक्ष—

यह नियम पढ़ा जा चुका है।

श्री उदित नारायण—

दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि अपने इस बात पर एतराज किया। उसके बारे में कहने की जरूरत है कि एक पेटी रखवाकर जो मतदान करवाने का जो नियम है, संविधान का नियम उसके विरुद्ध है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनतंत्र के दो आधारभूत नियम ऐसे हैं जिनकी कि कभी अवहेलना नहीं की जाती है। पहला नियम तो यह है, श्रीमन्, कि विधान मंडल के बाहर जितने भी मतदान होंगे वे गुप्त मतदान होंगे और उनको कोई नहीं जान सकेगा। दूसरा नियम यह है कि इस सदन के अन्दर जितने मतदान होंगे वे गुप्त नहीं रह सकेंगे, ताकि वे लोग भी जो कि इस सदन के अन्दर नहीं हैं और बाहर हैं, मतदान के विषय में जान सकें। यदि एक पेटी रखी जाती है तो, श्रीमन्, उससे तो यह मक्सद पूरा नहीं होगा। श्रीमन्, मैं आपके सामने यह नजीर तो नहीं रखना चाहता हूं जो कि पहले हुई थी। उस समय भी यह मांग की गई थी कि एक पेटी रखी जाय और वह पेटी रखने की बात तय नहीं हुई थी। वह इस कारण हुआ था, क्योंकि इस विषय में एक मौलिक नियम है और ऐसा करने से उसको आघात पहुंचता है। अगर हम एक पेटी रखते हैं तो उस नियम की अवहेलना होती है। यहां सदन में माननीय सदस्य बैठते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि यहां जो कार्य होता है उसको न केवल यहां बैठने वाले ही देखें, बल्कि बाहर वाले भी जान सकें। विभाजन के बारे में अगर आइन्दा से यह तय हो जाता है कि लाबिज में ही वोटिंग होगी, तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं है।

कल आपने हाउस का समय बढ़ाया था। एक प्रश्न उपस्थित किया गया कि कल असेंबली स्थगित हो गई थी और आज वह काम नहीं हो सकता। श्रीमन्, प्रस्ताव पेश किया गया और प्रस्ताव उपस्थित होने के पश्चात् वह पारित हुआ। यहां पर सब लोगों की राय हुई कि जब तक धन्यवाद के प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग न हो जाय, तब तक यह सदन चलता रहेगा।

(व्यवधान)

श्रीमन्, सदन के बैठने का जहां तक प्रश्न है उसका मत यह कभी नहीं हुआ करता कि सदन के बैठने के बीच वह स्थगित नहीं हो सकेगा। अगर सदन १२ बजे से ४ बजे तक चलता है तो उसमें १ बजे यह हो सकता है कि १५ मिनट के लिये स्थगित हो जाय। इससे यह नहीं माना जायगा कि सदन स्थगित हो गया। यहां पर प्रश्न उपस्थित हुआ और उसके पश्चात् निश्चयपूर्वक इस सदन की राय के मुताबिक यहां पर सदन की कार्यवाही चलती रही। चूंकि आपको काम नहीं करने दिया गया उसकी जिम्मेदारी किसी पर भी हो सकती है, लेकिन एक बात तो मानकर चलना ही पड़ेगा कि इस सदन की सर्वोपरि सत्ता मानी जाती है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र भूल गये हैं कि उस प्रस्ताव में "आज जब तक" शब्द था। वे इसको भूल गये हैं।

(व्यवधान)

श्री उदित नारायण--

तो श्रीमन्, दूसरी बात जो श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कही उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि यदि वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा--पास नहीं होगा, तो इसको हम अपने प्रति अविश्वास मानेंगे और सरकार दे देंगे। श्रीमन्, वह बात आज भी सही है। हम किसी कायदे वह कानून की आड़ नहीं लेंगे। यह कहा गया कि पिछली मर्तबा भी ऐसा हुआ था। प्रश्न यह है कि पिछली मर्तबा क्या हुआ था? उस समय गुप्ताजी की सरकार थी। इस सदन के अन्दर वोटों के जरिए से--वोटों की गिनती के जरिए से यह साबित हो गया था कि वे अल्पमत में हैं। श्रीमन्, जैसा कि अभी माननीय

[श्री उदितनारायण]

सदस्य कह रहे थे कि यह सदन सर्वोपरि सत्ता है माननी जाती है और इसको सर्वोपरि अधिकार प्राप्त है, और अगर यहां पर यह साबित हो जाता है कि सत्ता पक्ष अल्पमत में है तो निश्चयपूर्वक इस्तीफा होना चाहिए। श्रीमन्, यहां पर विधायकों की वोटिंग हुई। उसी से यह साबित हो गया कि अल्पमत का कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष बहुमत में है। इस सबके बावजूद मेरी समझ में नहीं आता है कि श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी किस न्यायिक तरीके के आधार पर यह कह रहे हैं कि यह असंवैधानिक है।

*श्री कृष्णानन्दराय—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमन् आपके सचिवालय द्वारा जो कार्यवृत्त छपा है सचिव, देवकी नन्दन मित्थल, के हस्ताक्षर से और जिसके नीचे लिखा है स्वीकृत, आत्माराम गोविन्द खेर, अध्यक्ष, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पृष्ठ २ पर लिखा है "विरोधी दल के अनेक सदस्य अध्यक्ष आसन के पास वाले चबूतरे पर आकर उनको घेर कर खड़े हो गये और श्री अध्यक्ष के पीछे सदन में प्रवेश करने वाले द्वार को जबरदस्ती खोल कर कुछ सदस्य बाहर चले गये। कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष आसन की ओर कागज भी फेंके। वोटिंग की प्रक्रिया जारी रही।" श्रीमन्, यह इम्पारटेंट है जारी रही, समाप्त नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। फिर आगे लिखा है "विरोधी दल के कुछ सदस्यों द्वारा चल रही वोटिंग पर आपत्ति की गई। कुछ सदस्यों द्वारा यह मांग किये जाने पर कि संशोधन के पक्ष में वे मतदान करना चाहते हैं किन्तु मतदान बक्स नहीं है, दूसरे मतदान बक्स का तुरन्त प्रबन्ध कर दिया गया।" यह सब हम मानते हैं। फिर अन्तिम पैरा है "अनेक सदस्य अध्यक्ष के मंच पर खड़े थे। सभी सदस्यों के नाम पुकारे जा चुकने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने व्यवधान और घोर शोर के बीच घोषित किया कि श्री अनन्त राम जायसवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन गिर गया और मूल प्रस्ताव पर आज मतदान नहीं होगा।" तो श्रीमन् यह सदन के सचिवालय से, आपके सचिवालय से कार्यवृत्त छपा है इसको तो हम सही मानकर चलें। इसमें लिखा है कि "वोटिंग की प्रक्रिया जारी रही"। विरोधी दल के लोग आपत्ति करते रहे। फिर लिखा है, कि सभी सदस्यों के नाम पुकारे जा चुकने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने व्यवधान और घोर शोर के बीच घोषित किया कि श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन गिर गया।"

मेरा केवल यह निवेदन है कि सचिवालय ने जो कार्य विवरण तैयार किया है जो प्रोसीडिंग्स की बात होगी और जिसे केवल हम ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि आने वाले वर्षों में लोग पढ़ेंगे और यह हिस्ट्री का रिकार्ड होगा, इसमें लिखा है कि "वोटिंग की प्रक्रिया जारी रही" इसमें यह नहीं है कि वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। यह पूरी नहीं हुई, यह सही था और आपने घोषित कर दिया कि अनन्तराम जायसवाल का संशोधन गिर गया। यह चीज हमेशा के लिए प्रोसीडिंग्स में इन्दराज होने जा रही है। वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी। उसमें व्यवधान हुआ, शोर हुआ लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। उसकी गणना नहीं हुई, उसके परिणाम का पता नहीं चला। किसी शोर के कारण से, मैं आक्षेप नहीं करना चाहता, श्रीमन्, के मुंह से निकल गया कि श्री अनन्तराम जायसवाल का संशोधन गिर गया। श्रीमन्, जिसके भी सन्मुख यह विवरण रखा जायगा और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं तो आपके ही सन्मुख रखता हूं और अपील करना चाहता हूं कि एक न्यायधीश की दृष्टि से देखें कि इस विवरण में लिखा है कि वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, वोटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और आपने घोषित कर दिया कि संशोधन गिर गया एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में जिसमें उत्तर प्रदेश के दो करोड़ की जीविका फंसी हुई थी तो उसमें जल्दी से, भूल से, एक वाक्य निकल गया है तो उसे संशोधित कर लें कि वह प्रस्ताव नहीं गिरा है और पुनः मतदान करा लें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। जो कार्यवृत्त यहां पढ़ा गया है वह बिल्कुल ही पक्षपातपूर्ण है। आज की बहस से तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि केवल विरोधी पक्ष के लोग ही वहां (डायस के पास) नहीं गये थे, सत्तारूढ़ दल के लोग भी वहां गये थे और मंत्री लोग भी गये थे। हमारे सिंचाई मंत्री वर्मा जी और श्री शिवराज सिंह जी मंच पर गये थे। यह कार्यवृत्त में आना चाहिये था। आपकी अनुपस्थिति में आपके कार्यभार को कृषि मंत्री, शिवराज सिंह जी ने आपके आसन को संभाला और उसमें कुछ ने बाधा डाली, कुर्सी खींची गई। तो सबसे पहले आपका सचिवालय ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करे। आपका सचिवालय सदन का सेवक है। मैं यह कतई बरदाश्त नहीं कर सकता कि कार्यवृत्त लिखने में इस प्रकार का पक्षपात बरता जाय। आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष---

अब मैं जो आज चर्चा हुई इसके ऊपर व्यवस्था देता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

व्यवस्था देने से पहले एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको इजाजत नहीं देता (व्यवधान)

शान्ति करने की बात है। पहला प्रश्न तो यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर मतदान नहीं हुआ और मतदान कल ही होने का प्रस्ताव था कि आज तब तक बैठेंगे जब तक पास न हो जाय। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि सदन प्रस्ताव पास करे कि आज फलां वक्त तक बैठेंगे लेकिन अगर व्यवधान कहीं होता है तो अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि सदन को वह स्थगित कर दे और जब व्यवधान बहुत देर तर चलता रहे और फिर इतना ही नहीं कि बीच-बीच में टोकते रहे हों बल्कि नारे भी लगाये गये और मेरे पीछे का दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया गया। जब यह सब हुआ तो मुझे उस वक्त पूर्ण अधिकार था कि मैं सदन को स्थगित कर दूं और जायसवाल जी स्थगित करने के लिये कह भी रहे थे। तो जब सदन का दरवाजा खुला तो मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि उसके बाद जो वोटिंग होती रही वह इर्रेगुलर थी। बात यह है कि उस इर्रेगुलैरिटी के लिये सदन के ३-४ विरोधी पक्ष के लोगों को छोड़कर, यानी मैनेजर सिंह जी और पी० एस० पी० के लोग, उनको छोड़कर सबने यह कहा था कि हम वोट नहीं करेंगे किसी तरफ भी। मैं कोशिश कर रहा था इस बात के लिये कि कोई तसफिया होकर रास्ता निकल आए कि आप लोग वोट कर सकें। जब देखा कि किसी तरह से आप मतदान देंगे नहीं तो मैंने जो आपने मांग की थी कि हमको डिवीजन चाहिए उस मांग के हिसाब से माना कि वोट देने के तरीके का आप जो अन्दाज समझते थे उसके विपरीत तरीका हो गया इसलिये आपने मना कर दिया कि हम वोट नहीं देंगे और जब वोट नहीं देंगे तो लोग मुझसे आकर कहने लगे कि दरवाजा खोल दिया जाय तो मैंने कहा कि मैं तो दरवाजा खोलूंगा नहीं। तो कहा कि हम वोट देना नहीं चाहते। तो मुझे पूरा अख्तियार उस वक्त कहने का था कि अगर आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो फिर जो मैंने पहले वायस वोट लिया था वो दफा

[श्री अध्यक्ष]

उस वोटिंग के हिसाब से मैं डिक्लेयर किये देता हूं कि उनका प्रस्ताव गिर गया। अब इसमें मतभेद आपका हो सकता है, इनका भी हो सकता है श्री माधव प्रसाद जी को और उन्होंने कहा भी कि हम मतभेद रखते हैं लेकिन जजमेंट का जहां तक सवाल है वह अलग-अलग हो सकता है, वह जजमेंट मेरा यह था। अब आप अपना वोट देने का राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो मैं यह भी याद दिलाऊंगा कि उस वक्त श्री जायसवाल आए और उन्होंने कहा कि एक-एक वोट ही सबका डलवाएं तो हम राजी हो जायेंगे, उस पर मैंने कहा कि ठीक है लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने लौट कर मुझसे कहा कि मैं तो लोगों को इस पर राजी नहीं कर सका हूं। जब यह सब हो चुका तो जो चीज आप नहीं चाहते थे उसके लिये मैं लाचार था और कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा मुझे यह भी अधिकार है कि मैं डिवीजन को रिजेक्ट कर दूं और किसी वजह से कमलापति जी ने एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया, मैं रिजेक्ट कर सकता था, मैंने पूछा कि आपका कोई तसफिया बाहर हुआ चूंकि आप डिवीजन में वोट एक्सरसाइज नहीं करते और मेरे निश्चय को भी ठीक नहीं समझते तो आपने कहा कि हम प्रोटेस्ट करके बाहर जाना चाहते हैं। जब कि विरोधी पक्ष ने वोट एक्सरसाइज नहीं किया तब पहले मैंने वाइस वोट पर जो नतीजा डिक्लेयर किया उसको मैंने कमफर्म कर लिया। तब आप यह चाहते थे कि ऐसा हो जाय कि लाबी में जायं। यह मांग उस समय ईर्रेलेवेन्ट होने से मैं कह सकता था कि मैं ऐसा नहीं करा सकता, दरवाजा खुलने के बेसिस पर मैंने डिक्लेयर नहीं किया बल्कि इस बेसिस पर किया कि आप वोट एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं। लिहाजा पहले मैं ने जो वाइस वोट जहां ज्यादा दिखाई देते उस निर्णय को कनफर्म किया।

जब मैं उस वक्त चला गया उस वक्त तो मैं यह कहकर चला गया था कि संशोधन गिर गया और सदन मैं स्थगित करता हूं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे। रात को बैठने वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि मैंने एलान किया और यह कह भी दिया था जायसवाल जी से कि हम निर्णय का एलान करके उठेंगे। मैंने इसी इरादे से कहा था चूंकि दरवाजे खुले थे। अब जो दूसरी बातचीत हुई कि डिवीजन कहां होना चाहिये, लाबीज के बारे में---तो मैं पसन्द करता हूं कि लाबीज का तरीका ठीक है, सही बात है पर ऐसा करना उस समय संभव नहीं था।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

लेकिन जो अखबारों में निकल गया है उसको कन्ट्रैडिक्ट कर दीजिएगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अगर आप ने नहीं कहा तो यह जो आल इंडिया रेडियो से प्रसारण हो गया उस पर आप प्रिविलेज का क्वेश्चन ले आइए।

श्री अध्यक्ष---

यहां वोटिंग होती रही थी, प्रेस वाले तो बाद में आए हैं जब उन्होंने बार-बार पूंछा कि किस की मेजारिटी है, गवर्नमेंट की है या विरोधी दल की है। मैंने उनसे यही कहा कि मैं नहीं कह सकता हूं गिनती के आधार पर कि किसकी है और इसका कारण उन्हें बता दिया कि कारण यह है कि दूसरी साइड ने वोट नहीं किया है। जब वोट ही उन्होंने नहीं किया और इधर के ५० वोट भी हो जाते हैं तो मेजारिटी हो जायेगी इसलिये इस हालत में मेजारिटी का सवाल नहीं है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने पहले वाइस वोट पर ही डिक्लेयर किया था और वह कानूनी तौर से ठीक भी है क्योंकि ऐसी चीज पैदा होती है तो जो नियम है उनमें मुझे यह अधिकार है। आगे के लिए हमने यह तय किया है, बैठक में कि मतदान लाबी में होगा और उसकी यह तरकीब होगी कि ये जो "हां" और "ना" की तख्तियां लगी हैं, उनको उतार कर अपने पास

रख लेंगे और मतदान के समय जैसी जहां आवश्यकता होगी, लगा देंगे। आगे के लिये हमने यह मान लिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, आपने जो यह रूलिंग दी है, मेरी राय है वह जनतंत्र का हनन करती है और जनतंत्र का खून करती है। इसलिये विरोध स्वरूप हमारे दल के सदस्य २ मिनट के लिये मौन होकर यहां खड़े रहेंगे।

(इसके उपरान्त एस० एस० पी० के सदस्य २ मिनट के लिये अपने-अपने स्थानों पर खड़े रहे।)

श्री महीलाल---

श्रीमन्, मैं अनन्तराम जायसवाल जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, आपकी जो व्यवस्था हुई है, वह हमें शिरोधार्य है। एक बात यह हो गई कि जो हम लोगों ने दलील दी थी, उसका आधा हिस्सा मान लिया गया है और इनकी चाल को नहीं माना। मेरी प्रार्थना यह है कि चूंकि यह भविष्य के लिये रूलिंग हो जाती है, अतः आप यह व्यवस्था दें कि यह भविष्य के लिये अनुकरणीय न होगी जैसा कि माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी ने किया था।

श्री अध्यक्ष---

जहां तक सरकार का प्रश्न है, यह तो गवर्नर ही कर सकता है। जहां तक अभिभाषण का प्रश्न है... (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

चौधरी साहब भी इस्तीफा दे सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---

"In Session 1884, debate on the address was postponed from day to day whilst a motion of censure on the Government, regarding events in the Soudan, was under consideration".

मैं कई रूलिंग दिखा दूंगा कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर एक दिन फिक्स किया जा सकता है और पोस्टपोन बहस हो सकती है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

श्रीमन्, सदन में दुबारा प्रस्ताव भी हुआ है?

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो यह किताब से पढ़कर सुनायी है वह उस स्थान के लिये लागू हो सकता है जहां पर प्रक्रिया में कोई व्यवस्था न हो। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी प्रक्रिया के नियम २२६ और २२७ देखने का कष्ट करें। नियम २२६ में यह स्पष्ट दिया है कि अगर कार्य मंत्रणा समिति ने कोई निश्चय कर लिया तो वह सदन का निश्चय माना जायगा और उसको बदला नहीं जा सकता है। और अगर कोई

[श्री रामधारी शास्त्री]

विशिष्ट काम हो तो उसको निपटाने के किये सदन में नया संकल्प होना चाहिये। आपसे निवेदन है कि आपकी रूलिंग से जो सदन के नियम बने हैं उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिये आप अपनी रूलिंग को अमेन्ड करें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी अपनी व्यवस्था देते हुये कहा कि वोटों की गिनती हुई ही नहीं, किन्तु आल इंडिया रेडियो से मैंने रात को सुना कि प्रस्ताव के विरोध में २३१ मत पड़े.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो वोट पड़े और गिने गये उनका यह जिक्र था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मगर वोटों के आधार पर तो कोई निर्णय नहीं दिया गया, इसलिये जनता को कोई गलतफहमी न हो, आप उसका कन्ट्राडिक्शन निकाल दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। अब सचिव अगला आइटम प्रस्तुत करें।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६९

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६९ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७३३–७३४ पर)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७३५–७३६ पर)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे चीफ व्हिप माननीय रामधारी शास्त्री ने जो भी नियमों का हवाला देकर निवेदन किया.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे में आकर कृपया बात करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

व्यवस्था का प्रश्न कमरे में नहीं उठाया जा सकता, वह यहां सदन में उठाया जा सकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन नियमों का अभी हवाला दिया गया उनकी अवहेलना करके भी क्या आप कोई व्यवस्था दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था नियमों के अनुसार है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "हुसैनाबाद इंडाउमेंट ऐक्ट (१८७८ का ऐक्ट नं० पन्द्रह) के अन्तर्गत हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु निर्धारित स्कीम की धारा २ के साथ पठित धारा १३ (३) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि श्री अध्यक्ष विधान सभा तथा श्री सभापति विधान परिषद् उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु समिति के लिये विधान मंडल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें करें।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "हुसैनाबाद इंडाउमेंट ऐक्ट (१८७८ का ऐक्ट नं० पन्द्रह) के अन्तर्गत हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हतु निर्धारित स्कीम की धारा २ के साथ पठित धारा १३ (३) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि श्री अध्यक्ष विधान सभा तथा श्री सभापति विधान परिषद् उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु समिति के लिये विधान मंडल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय गेंदा सिंह जी के धन्यवाद वाले प्रस्ताव पर मैं सदन की राय लूंगा।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि आप वोट लें। इसके पहले कि आप मतदान लें हम अपना दृष्टि कोण इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमारी दृष्टि में कल जितनी कार्यवाही हुई सब अवैध है विशेषकर इसलिये भी कि जब श्रीमन् ने यह स्वीकार कर लिया कि श्रीमन् के जाने के बाद कितनी वोटिंग हुई सब अनियमित थी और श्रीमन् ने निर्णय दिया वायस वोट पर। हमारा दृष्टिकोण यह है कि एक बार जब प्रक्रिया के दूसरे अंग पर आप पहुंच गये, जब वायस वोट डिकलेअर करने के बाद हमने उसको चैलेंज किया और उसके सम्बन्ध में एक प्रक्रिया जारी हो गयी तो आप पहले वाली प्रक्रिया पर नहीं जा सकते। आपने निर्णय दिया वह सदन के सामने है। हमें स्वीकार करना है इस मानी में करना है, विद प्रोटेस्ट, हम यह कहते हैं कि निर्णय सही नहीं है। लेकिन निर्णय है। श्रीमन्, कल वाले कार्य को आज सम्पन्न कर रहे हैं यह हमारी दृष्टि में बहुत बड़ी अनियमितता है। जैसा कि आपने पढ़ कर सुनाया, उसमें आप देखेंगे कि इसके सम्बन्ध में निरन्तर दूसरा प्रस्ताव होता रहा है सदन के सामने और वहां की प्रक्रिया नियमावली में वह नियम नहीं थे जो हमारी नियमावली में हैं। खैर, आप लेते हैं, जैसा भी आप कुछ करें। हमारा दल और हम लोग इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। न हम "हां" कहेंगे न "न" कहेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम इसको स्वीकार नहीं करते। और इसके लिये अगर हम को जुडीशल डिसीजन के लिए जाना पड़ेगा तो जरूर जायेंगे। और यह भी कहूंगा कि जितनी आप की कार्यवाही कल हुई वह गलत और अवैध थी और जो आज हो रही है वह भी अवैध है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

हमारे आचार्य जी ने जो विचार व्यक्त किय हैं, उनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। मैं इसी विचार का था कि यह प्रस्ताव जो आज रखा जा रहा है यह कल ही गिर गया। हर दृष्टि से गिर गया। इसके लिये तर्क मैंने प्रस्तुत किया था। दो एक नियम आपके सामने रखे थे। उसके बारे में आपने उत्तर दिया नहीं। परन्तु मैं समझता हूं कि उसके अनुसार भी गिर गया। हमारा प्रस्ताव जीवित है जो माननीय अनन्त राम जायसवाल ने संशोधन का प्रस्ताव रखा था। इस प्रकार जो आपने रूलिंग दी है उसके बारे में मैं नहीं कहता लेकिन परम्परा गलत पड़ गयी। अगर हम आज भाग लेते हैं तो जो तर्क हमने दिये हैं, हम स्वीकार करते हैं कि वह गलत हैं इसलिये न्याय की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, या संसदीय परम्परा की दृष्टि से, अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए हम इसमें भाग लेना नहीं चाहते।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जो तथ्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये उनको आपने समर्थन प्रदान किया कि यह सही हैं। इस सिलसिले में जो आपके सचिवालय से विज्ञप्ति जारी हुई है वह भी बताती है कि जो कुछ हमने कहा वह सही है। उसके बारे में नियमों का हवाला दिया जा रहा है। उस तरफ आपका ध्यान खींचा जा रहा है लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि उन तथ्यों के आधार पर, नियमों के आधार पर हम आप को कायल नहीं कर पाते।

---

†४ मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो आपने व्यवस्था दी है उसको बदलें । जो आपने निश्चय सुनाया उसको बदलें । बराबर जैसा दस्तूर हो गया है हम नियमों को तोड़ने के लिए यहां बैठे हुए हैं । इसके साथ हम और हमारा दल किसी तरह से अपने को सम्बद्ध नहीं कर सकते । इसलिये जो हमारे दूसरे दलों के नेताओं ने निर्णय लिया है वही निर्णय हमारा भी है, हमारे दल का भी है।

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़ता हूं ।

"उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्र हुए हैं, श्री राज्यपाल के संबोधन के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९६९–७० के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—बृहत जोतकर

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९६९–७० के अनुपूरक अनुदानों पर विचार होगा ।

खाद्य तथा रसद उप-मंत्री (श्री रामकिंकर)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—बृहत जोतकर के अन्तर्गत १६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—बृहत जोतकर के अन्तर्गत १६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २—भू-राजस्व

खाद्य तथा रसद उप-मंत्री (श्री रामकिंकर)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५—अन्य कर तथा शुल्क

नियोजन उप-मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५-अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है क अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६—स्टाम्प

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत ८,२५,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत ८,२५,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल

वित्ती मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ९,६९,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जांय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ९,६९,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन

नियोजन उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन

नियोजन उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय-वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतें

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(इस समय ४ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १४—कारागार

नियोजन उप-मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—कारागार के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—कारागार के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५—पुलिस

नियोजन उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५-पुलिस के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

नियोजन उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७-वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत ६,४४,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत ६,४४,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—शिक्षा

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८-शिक्षा के अन्तर्गत २,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८-शिक्षा के अन्तर्गत २,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९—चिकित्सा

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९-चिकित्सा के अन्तर्गत १,३७,५८,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९-चिकित्सा के अन्तर्गत १,३७,५८,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०-सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २१--कृषि सम्बन्धी विकास

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१-कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २२--उपनिवेशन

कृषि मंत्री (श्री शिवराजसिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२-- उपनिवेशन के अन्तर्गत ६८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--उपनिवेशन के अन्तर्गत ६८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २३--पशुपालन तथा मत्स्य पालन

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३--पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३--पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४--सहकारिता

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४-सहकारिता के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९—७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २५—उद्योग

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवा योजन के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७-श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय

नियोजन उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

खाद्य तथा रसद उपमंत्री (श्री राम किंकर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत ५५,७३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत ५५,७३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०---समाज कल्याण

खाद्य तथा रसद उप मंत्री (श्री राम किंकर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०--समाज कल्याण के अन्तर्गत ६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०--समाज कल्याण के अन्तर्गत ६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६ --७० के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३२---सिंचाई अधिष्ठान

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२-सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ६२,०७,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ६२,०७,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत २४००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत २४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—परिवहन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री धर्मसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—परिवहन के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—परिवहन के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता

खाद्य तथा रसद उप मन्त्री (श्री राम किंकर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ८०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष–सहायता के अन्तर्गत ८०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ३७,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ३७,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते

नियोजन उप-मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत ६,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत ६,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री और मुद्रण

सिंचाई उप मन्त्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२---वन

कृषि मन्त्री (श्री शिव राज सिंह)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२---वन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२---वन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३---प्रकीर्ण व्यय

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३---प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १,५३,०५,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३---प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १,५३,०५,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५---नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

नियोजन उप-मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५---नागरिक सुरक्षा तथा संगठन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५---नागरिक सुरक्षा तथा संगठन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५ (क)---राजस्व रक्षित निधि को संक्रमण

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५ (क) राजस्व रक्षित निधि को संक्रमण के अन्तर्गत १०,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५ (क) राजस्व रक्षित निधि को संक्रमण के अन्तर्गत १०,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई उप-मंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,१७,२५,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७–औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,१७,२५,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई उप-मंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ११,५०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ११,५०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई उप-मंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ६,६५,८६,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ६,६५,८६,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ८०,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ८०,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४--व्याज वाले ऋण और अग्रिम

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४--व्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ८,४६,३५,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४--व्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ८,४६,३५,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७०

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलवीर सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्री बलवीर सिंह—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९–७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९–७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९–७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ।)

३१ मार्च, १९७० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९–७० का अनुपूरक) अधिनियम, १९७० कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९६९–७० के लिय ७८,४५,०४,००० रुपयों का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९७० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिनका कुल योग ७८,४५,०४,००० रुपये (अठत्तर करोड़ पैंतालीस लाख चार हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९७० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें २ और ३ देखिये)

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत जोत-कर ..	१६,५००	७,५००	२४,०००
२	भू-राजस्व	१००	..	१००
४	बिक्री-कर	..	६,१००	६,१००
५	अन्य कर और शुल्क ..	१००	४,९००	५,०००

१		२		३
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
६	स्टाम्प	८,२५,०००	..	८,२५,०००
७	निबन्धन	..	१,४००	१,४००
८	राज्य विधान मण्डल ..	९,६९,६००	११,५००	९,८१,१००
१०	सामान्य प्रशासन ..	७००	३,४७,९००	३,४८,६००
११	आयुक्त और जिला प्रशासन	१,४००	२१,८००	२३,२००
१२	गांव सभायें और पंचायतें ..	१००	..	१००
१३	न्याय प्रशासन ..	२००	..	२००
१४	कारागार	३००	..	३००
१५	पुलिस	६००	..	६००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य ..	६,४४,५००	२५,२००	६,६९,७००
१८	शिक्षा	२,७००	८,३००	११,०००
१९	चिकित्सा	१,३७,५८,५००	..	१,३७,५८,५००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	६००	५००	१,१००
२१	कृषि सम्बन्धी विकास ..	५००	३७,५००	३८,०००
२२	उपनिवेशन ..	६८,८००	..	६८,८००
२३	पशुपालन तथा मत्स्य पालन	६००	..	६००
२४	सहकारिता ..	२००	..	२००
२५	उद्योग	५००	११,४००	११,९००
२६	नियोजन और समन्वय ..	..	८,९००	८,९००
२७	श्रम और सेवायोजन ..	३००	..	३००
२८	सूचना निदेशालय ..	२००	..	२००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	५५,७३,१००	..	५५,७३,१००
३०	समाज-कल्याण ..	६०,०००	२००	६०,२००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	३४,०००	..	३४,०००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	६२,०७,०००	१३,४००	६२,२०,४००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं ..	२,४००	३०,०००	३२,४००
३४	संचार-साधनों का सुधार ..	२००	..	२००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	१००	..	१००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
३७	परिवहन	६००	..	६००
३८	दुर्भिक्ष सहायता ..	८०,००,०००	..	८०,००,०००
३९	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें ..	३७,४२,०००	..	३७,४२,०००
४०	राजनैतिक पेंशनें तथा भत्ते	६,००,०००	..	६,००,०००
४१	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	१००	..	१००
४२	वन	२००	..	२००
४३	प्रकीर्ण व्यय ..	१,५३,०५,७००	..	१,५३,०५,७००
४५	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन ..	२००	३,०००	३,२००
४५	(क) राजस्व रक्षित निधि को संक्रम ..	१०,००,००,०००	..	१०,००,००,०००
	भारित विनियोग—			
	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	३५,००,००,०००	३५,००,००,०००
४७	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	१,१७,२५,५००	५०,०००	१,१७,७५,५००
४८	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	११,५०,००,०००	..	११,५०,००,०००
४९	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	६,६५,८६,४००	..	६,६५,८६,४००
५०	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	८०,८००	..	८०,८००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	२,०००	१९,८००	२१,८००
५२	पेंशनों का राशिमूल्य	..	४७,०००	४७,०००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम ..	८,४६,३५,४००	..	८,४६,३५,४००
	योग ..	४३,३८,४७,७००	३५,०६,५६,३००	७८,४५,०४,०००

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलबीर सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७० पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७० पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

केसा कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज नियम ५१ के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । एक माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य, माननीय हिम्मत सिंह व माननीय जगन्नाथ राव के द्वारा केसा कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल से संबंधित है । इसको स्वीकार किया गया है और इस पर माननीय विद्युत मन्त्री ९ मार्च, १९७० को वक्तव्य देंगे ।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरी सूचना माननीय नित्यानन्द स्वामी द्वारा प्राप्त हुयी है जो के० के० जी० कालेज, लखनऊ में दांत विशेषज्ञों द्वारा हड़ताल किये जाने के बारे में है । इसको स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)--

उपाध्यक्ष जी, आज हमारा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव मंजूर किया गया था और मन्त्री जी को बयान देना था । उसके बारे में क्या कार्यवाही हुयी ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसके विषय में मन्त्री जी ने सूचना मांगी है । उसके जवाब देने के विषय में कार्य सूची में सूचना छप जायेगी ।

श्री अवधेश कुमार--

वे किस तारीख को वक्तव्य देंगे, इसकी घोषणा तो कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कोई तिथि दे सकूं । अध्यक्ष महोदय खुद ही निश्चित कर देंगे ।

एक सदस्य--

उपाध्यक्ष महोदय, कुशल प्रशासन की बड़ी दुहाई दी जा रही है । एक मजिस्ट्रेट ने एक ही दिन में २ जजमेन्ट्स दिये थे । इसके ऊपर भी मन्त्री महोदय वक्तव्य नहीं दे सकते हैं । श्रीमान जी, हमारे हित की रक्षा करें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपा करके बैठ जाइये और अपना आसन गृहण करें। एक प्रश्न डा० अवधेश जी का आया है। मन्त्री महोदय ने उसके लिये समय मांगा है। इसलिये आप प्रतीक्षा कीजिए।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

उपाध्यक्ष महोदय, ९०० विद्यार्थियों ने हड़ताल की है। वे दांतों के विशेषज्ञ हैं। जब दांत ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, श्रीमन्। ९०० विद्यार्थी क्लास छोड़ कर बाहर आ गये हैं और सब डाक्टरों ने काम बन्द कर दिया है। मरीज सड़क पर बैठे हैं। उपाध्यक्ष जी आप विचार कीजिए यह कितना महत्वपूर्ण विषय है। राजधानी में जहां कि हमारे प्रदेश की सरकार बैठती है, वहां यह हालत है और मेडिकल कालेज के अन्दर अव्यवस्था हो गयी है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। कम से कम मन्त्री जी से बयान तो दिलवा ही दीजिये, यह मेरी आप से प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष--

अध्यक्ष महोदय से बात कर लेंगे। आप अल्प सूचित प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी बातें होंगी, वे जानकारी में आ जायेंगी।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया था।

श्री आशाराम इन्दु के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था। उसको कई दिन हो गये हैं। उसको बराबर क्यों टाला जा रहा है। मेरी समझ में उसको टालने का कोई कारण नहीं आ रहा है। हमने उसमें एक एम० एल० ए० का सबूत भी दे दिया। हमको कोई सूचना नहीं मिली है कि उसका क्या निर्णय हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विशेषाधिकार का प्रश्न कई दिनों से टाला जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका क्या कारण है, जब कि हमने सबूत भी दिया था। हमारे विशेषाधिकार के प्रश्न का क्या हुआ? यह बताया क्यों नहीं जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह माननीय अध्यक्ष के पास है। उनसे बात कर लीजियेगा। मेरे सामने जो हैं वह मैंने निवेदन किया कि माननीय अध्यक्ष ने एक को नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया है और उस पर ९ मार्च को चर्चा होगी।

श्री मोती लाल देहलवी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आखिर मेरा प्रश्न क्यों टाला जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा कि वह अध्यक्ष के विचारार्थ है।

श्री मोती लाल देहलवी---

आज से तीन दिन की छुट्टी हो रही है और सदन में गोली भी मिल रही है। अगर गोली हमको तीन दिन के अन्दर मार दी गयी तो क्या हमारी कब्र पर विचार होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

उस पर विचार हो रहा है। तीन दिन की छुट्टी आ गई तो लाचारी है।

श्री मोती लाल देहलवी---

अगर आप कहीं इस कुर्सी (सरकारी बेंचों की ओर इशारा करते हुये) बैठ गये तो हमारी बात कौन सुनेगा क्योंकि आप से बहुत उम्मीद है।

श्री उपाध्यक्ष---

इससे आपका क्या मतलब है। आपने क्या सुना है। आपको इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बात करनी होगी। इस तरह की बात इस सदन की गरिमा के विरुद्ध है।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आपको इजाजत देनी पड़ेगी, व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडे (जिला वाराणसी)---

आप तो कमांडर-इन-चीफ की तरह से कह रहे हैं। आपको नम्रता से कहना चाहिये। यह इस सदन की मर्यादा के विपरीत है। आप डांट कर न कहें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से लांछन लगाया जायगा कि "आप वहां बैठ जायंगे" तो मैं जिन्दगी भर ईमानदार रहा हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, आपसे सफाई कौन मांग रहा है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े रहने तथा बार-बार प्वाइंट आफ आर्डर कहते रहने पर) मैंने इजाजत नहीं दी। आप बैठिये। आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरी कोई निर्णय की भूल हो बेशक आप उसकी तरफ मेरा ध्यान दिलाइये, लेकिन मेरी नीयत पर अगर इस तरह से कुठाराघात होगा तो मैं कहता हूं कि यह सदन का अवमान है।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं खड़ा हूं। अगर आप संसदीय पद्धति जानते हैं तो मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

जब मैं आपको इजाजत दूं तब क्योंकि मेरा दिल भी जो यहां होता है उससे कुछ प्रभावित होता है। मैं भी चाहता हूं कि इस सदन का गौरव और गरिमा ऐसी ऊंची जाये कि सब के लिये अनुकरणीय हो। आप बेशक मेरे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उसका सम्बन्ध मुझसे है और माननीय मोतीलालजी ने जो कहा है वह बिलकुल अनुचित कहा है।

(व्यवधान)

१९७०-७१ का आय-व्ययक

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय वित्त मन्त्री।

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)---

महोदय, मैं १९७०-७१ का बजट प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान आपके कर्त्तव्यों की ओर खींचना चाहता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य वित्त मंत्री, श्री बलवीर सिंह, अपना बजट भाषण पढ़ते रहे।)

श्री अनन्तराम जायसवाल ---

(बीच में) अध्यक्ष महोदय, आप से सादर सविनय अनुरोध है कि आप कृपा कर के मुझे प्वाइंट आफ आर्डर उठाने का अवसर दें। आप मुझे केवल प्वाइंट आफ आर्डर उठाने देने की कृपा करें। (बार-बार यही शब्द माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण होते हुये दोहराये जाते रहे।)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के संबंध में ही मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह आपकी मनमानी है, जो आपने कहा कि क्या यही आपकी ईमानदारी है? इस तरह से कानून तोड़ने से आपको मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी, आपकी यह तानाशाही नहीं चलेगी.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुझे आप प्वाइंट आफ आर्डर उठाने की इजाजत दें ।

श्री बलवीर सिंह—

(बजट भाषण समाप्त होने पर) .....श्रीमन्, मैं वर्ष १९७०–७१ का बजट पेश करता हूं ।

(बजट भाषण के लिये देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७३७–७३९ पर)

वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के एक भाग के लिये लेखानुदान

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं ।

(व्यवधान)

(इस समय श्री शिवदास ने अध्यक्ष पीठ पर आकर श्री उपाध्यक्ष का शरीर पकड़ कर उन्हें वहां से उठाने का प्रयत्न किया किन्तु कब्ल इसके कि मार्शल या गार्ड्स वहां तक पहुंचे, श्री महीलाल ने श्री शिवदास को पकड़कर श्री उपाध्यक्ष के शरीर से अलग कर दिया, उसके उपरान्त श्री शिवदास को सदन के गार्ड्स अध्यक्ष पीठ के पीछे ले गये ।)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपा कर के मुझे प्वाइंट आफ आर्डर उठाने दें, मेरी साग्रह सविनय प्रार्थना है कि आप मुझे प्वाइंट आफ आर्डर उठाने का अवसर दे दें ।

(व्यवधान)

(अत्यधिक शोरगुल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाने की इजाजत दीजिये ।

(बार-बार यही प्रश्न दुहराते रहे)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७०

सहायक सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७४०–७४७ पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और ९ तारीख को ११ बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर सोमवार, ९ मार्च, १९७० के ११बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
५ मार्च, १९७० ।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४६ पर)

शासन को प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का विवरण तथा की गई कार्यवाही

क्रम संख्या	दिनांक	विषय	की गई कार्यवाही	परिणाम
१	२	३	४	५
१	१२-४-६९	टैक्सी ड्राइवरों व मालिकों को शहर कोतवाल द्वारा झूठे चालान करना व पैसा लेना।	जिला मैजिस्ट्रेट, आजमगढ़, से रिपोर्ट मांगी गई।	जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।
२	२५-३-६९	थाना महाराजगंज के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें।	पुलिस महानिरीक्षक से जांच कराने व रिपोर्ट भेजने को कहा गया।	जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।
३	३-५-६९	,,	,,	,,
४	२६-५-६९	,,	,,	,,
५	२५-६-६९	,,	,,	,,
६	२६-७-६९	,,	,,	,,
७	२४-७-६९	अमुक व्यक्तियों के विरुद्ध श्री राम दरश सिंह की साइकिल छीनने तथा महाराजगंज पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने की शिकायत।	जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़, से रिपोर्ट मांगी गई।	जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।
८	२१-७-६९	अमुक पुलिस कान्स्टेबुलों के विरुद्ध श्री सन्तू यादव, ग्राम विवइया देवारा, के भाई को जान से मारने व पुलिस द्वारा उन्हें प्रोत्साहन देने की शिकायत।	पुलिस महानिरीक्षकों से रिपोर्ट मांगी गई।	जांच से आरोप सही नहीं पाये गये।
९	२१-७-६९	डकैतों द्वारा ग्राम महेशपुर, जिला आजमगढ़, के श्री जयराम माली के घर का सामान लूटने की शिकायत।	पुलिस महानिरीक्षक से यथोचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया।	..
१०	३-५-६९	मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़, में हुये साम्प्रदायिक दंगों के बारे में उच्च स्तरीय जांच की मांग।	प्रशासनिक जांच अधिकारी, श्री एम० लाल, के पास यथोचित कार्यवाही हेतु भेजे गये।	..
११	३-५-६९			

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० १२६ का उत्तर पीछे ६६६ पर)

२२-१०-६९ को विशुनपुरा देवार, जिला देवरिया, के सामने सरजू नदी में हुई नाव दुर्घटना में मरे व्यक्तियों तथा बचा लिये गये व्यक्तियों का विवरण

व्यक्तियों की सूची जो डूबने से मरे--

१--श्रीमती कलावती (१६ वर्ष), पुत्री मोती मल्लाह, सा० बरहज, बरहज देवरिया।
२--उर्मिला, पुत्री जारनाथ, सा० बड़हलगंज, थाना बड़हलगंज, गोरखपुर।
३--सुभाष, पुत्र नन्द लाल, सा० कपरवार, बरहज, देवरिया।
४--सुरेन्द्र तिवारी, २२ वर्ष, पुत्र श्रीकान्त, सा० विशुनपुरा, बरहज, देवरिया।
५--श्रीमती शनीचरी, स्त्री पतिराज यादव, सा० खड़सरी देवार, बड़हलगंज, गोरखपुर, ४० वर्ष।

बचा लिए गये व्यक्तियों की सूची--

१--श्रीमती इन्द्रावती, पुत्री लक्ष्मी मल्लाह, सा० बरहज, देवरिया।
२--श्रीमती सरोजनी, स्त्री रामवृक्ष तिवारी, विशुनपुरा, बरहज, देवरिया।
३--विनोद, उम्र १ साल, पुत्र रामवृक्ष तिवारी, विशुनपुरा, बरहज, देवरिया।
४--सूर्यनरायन, पुत्र लल्लन मिश्र, सा० पतरा, थाना गोला, गोला, गोरखपुर।
५--पुष्पा, ४ साल, पुत्री रामवृक्ष तिवारी, सा० विशुनपुरा, बरहज, देवरिया।
६--सुदेश कुमार, पुत्र रामवृक्ष तिवारी, सा०, विशुनपुरा, बरहज, देवरिया।
७--धनराज, पुत्र विश्वनाथ मल्लाह, सा० बड़हलगंज, थाना बड़हलगंज, गोरखपुर।

नाम पता मांझी जो तैर कर बच गये:--

१--रामअवध, पुत्र बिन्ध्याचल, मल्लाह।
२--बद्री, पुत्र अर्जुन।
३--नरायन, पुत्र पूरनवासी, मल्लाह } सा० बरहज,
४--मानिक चन्द, पुत्र नरायन } थाना बरहज, देवरिया।
५--बल्देव, पुत्र रघुनन्दन }
६--लक्ष्मन मल्लाह, सा० महुडोह, थाना बड़हलगंज, गोरखपुर।

(देखिये अता० प्र० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६८ पर)

थाना जहांगीराबाद एवं अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर, के अन्तर्गत १-१-६७ से ३०-६-६९ विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमों का विवरण

थाना	धारा ३०२ भा० दं० वि०		धारा ३९५/३९७ भा०दं०वि०		धारा ३९४/३९२ भा०दं०वि०		धारा ४७६ भा०दं०वि०		धारा १०७/११७ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत भेजी गई चालानी रिपोर्टों की सूचना		
	जहांगीराबाद	अनूपशहर	जहांगीराबाद	अनूपशहर	जहांगीराबाद	अनूपशहर	जहांगीराबाद	अनूपशहर		जहांगीराबाद	अनूपशहर
जिनकी रिपोर्ट की गई ..	१४	१४	९	१४	१२	१९	–	–	जिनमें चालानी रिपोर्ट भेजी गई	३८	२२
जो चालान किये गये ..	८	११	५	५	३	६	–	–	जिनमें दोनों पार्टियों के बीच न्यायालय में सुलह हुई।	१८	३
जो सजायाब हुए ..	२	२	–	–	–	–	–	–	जिनमें पाबंद मुचलका किया गया।	९	४
जो रिहा हुए ..	१	५	३	५	–	२	–	–	जो न्यायालय से खारिज हुई	७	५
जो न्यायालय में विचाराधीन हैं	५	४	२	४	३	३	–	–	जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।	४	१०
जो लापता रहे (अंतिम रिपोर्ट लगी)	५	२	२	–	६	७	–	–			
जिनमें जांच अभी जारी है ..	–	१	–	१	–	–	–	–			
मामले की संख्या जिनमें एक्सपंज किये जाने की कार्यवाही की गई	१	–	२	४	३	६	–	–			

अनंत प्रकाशन विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६९ पर)

तिथि	स्थान	ट्रक	बस	अपराधियों की संख्या	
				पकड़े गये	नहीं पकड़े गये
७/८–२–६९	जंगल, ग्राम बराल, थाना गुलावटी, जिला बुलन्दशहर	८	१	५	२
१२/१३–६–६९	अलीगंज–एटा रोड, विधौरा गंग, जिला एटा	१	—	२	२
११–८–६९	अलीगढ़, संकरा रोड, थाना-दादो, जिला अलीगढ़	—	१	४	३
२७–९–६९	सुल्तानगंज ग्राम के समीप पुलिया नं० ७२८/१ पर, जिला मैनपुरी	१	—	८	३
८–५–६९	खुदागंज के समीप, थाना कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद	१	—	३	२
१६/१७–५–६९	ठमडेरा ग्राम के समीप थाना कम्पिल, जिला फर्रूखाबाद	१	—	६	२
५/६–८–६९	मौजा नियामतपुर के समीप, थाना कम्पिल, जिला फर्रुखाबाद	१	—	११	३
२१–९–६९	मौजा मदनपुर के समीप थाना मुहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद	१	—	२	४
२७–५–६९	ग्राम सरसौल, थाना महराजपुर, जिला कानपुर	१	—	४	—
६/७–६–६९	पीलीभीत रोड (नकटिया पुल), जिला बरेली	४	—	१०	१
८–४–६९	ग्राम आसफपुर नवादा के अन्तर्गत छोइया पुल, थाना कोतवाली, जिला बिजनौर	—	१	४	—
७/८–१०–६९	सिकन्दरपुर ग्राम के जंगल में थाना कीरतपुर, जिला बिजनौर	२	—	—	३
११–८–६९	महमूदपुर के समीप थाना नेहटौर, जिला बिजनौर	१	—	२	—
८–४–६९	ग्राम भेंतरी, थाना चंदौली, मुरादाबाद	१	१	५	३
२३–४–६९	ग्राम दसगर, प्लानटेशन रोड, थाना किच्छा, जिला नैनीताल	—	१	६	३
९–९–६९	ग्राम हुलासनगर थाना कटरा, जिला शाहजहांपुर	१	—	४	—
		(पेट्रोल टैंकर)			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२३–७–६९	ग्राम छतुइया रेलवे क्रासिंग रोड, थाना उझानी, बदायूं	१	–	३	१
३१/१–८/६९	ग्राम हनपसगवां–सीतापुर–शाहजहांपुर मार्ग पर थाना पिहानी, जिला हरदोई	२	–	३	२
३१/१–८–६९	ग्राम अपरतलापुल, जतनगंज, शाहजहांपुर रोड, थाना मंगलगंज, जिला खीरी	५	–	३	२
२४–७–६९	मोहम्मदी, शाहजहांपुर रोड, मोहम्मदी से ४ मील पर थाना मोहम्मदी, जिला खीरी	१	–	–	५
२४/२५–६–६९	ग्राम दाउदपुर, मोंदनदी के पुल पर, जिला सीतापुर	३	–	१२	–
१४–७–६९	ग्राम पकेरिया से ६ मील दक्षिण, जिला सीतापुर	३	१	६	६
१४/१५–९–६९	ग्राम प्रतापपुर, पिरई नदी के पास लखनऊ (शाहजहांपुर रोड), जिला सीतापुर	१	–	४	२
२३–४–६९	ग्राम फरीदपुर, मलिहाबाद, जिला लखनऊ	–	१	१	२
८–८–६९	ग्राम वेगरिया, थाना काकोरी, जिला लखनऊ	–	१	१	१
३०–८–६९	हाता मिर्जा अली खां पलिया, हरदोई रोड, जिला लखनऊ	–	१	४	–
	योग ..	४०	९	११३	५२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७० पर)

मुरादाबाद जिले में १ जनवरी, १९६९ से ३१ अक्तूबर, १९६९ तक हुई हत्याओं व डकैतियों का विवरण

थाना		हत्या की घटनायें	जो चालान हुए	डकैती की घटनायें	जो चालान हुए
१—कोतवाली	..	४	३	१	१
२—मुगलपुरा	..	९	८	५	५
३—छजलैट	..	१५	८	१	१
४—अमरोहा	..	९	५	१	१
५—बछराऊ	..	७	३	३	२
६—गजरौला	..	४	२	३	२
७—डिडौली	..	५	४	७	६
८—संभल	..	६	३	८	७
९—हसनपुर	..	९	४	६	४
१०—आदमपुर	..	४	४	२	१
११—असमौली	..	१२	६	६	५
१२—चंदौसी	..	११	५	२	१
१३—बिलारी	..	१२	७	४	३
१४—बहजोई	..	७	२	शून्य	शून्य
१५—मैनाठेर	..	१६	८	४	२
१६—ठाकुरद्वारा	..	३	१	४	१
१७—भगतपुर	..	४	४	२	२
१८—डिलारी	..	४	१	२	२
१९—मूंडा	..	४	२	शून्य	शून्य
योग	..	१४५	८०	६१	४६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० २४ व २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७० पर)

१ जनवरी, १९६९ से ३१ अक्तूबर, १९६९ की अवधि में जिला बलिया के विभिन्न थानों पर अंकित कत्ल की घटनाओं तथा उन हत्याओं के कारण का विवरण

थाना	दर्ज घटनाओं की संख्या	कारण
१—कोतवाली ..	२	१—बटवारा जमीन व मकान की रंजिश। २—मुकदमेबाजी की रंजिश।
२—नरही ..	१	१—मुकदमेबाजी की रंजिश।
३—बैरिया ..	३	१ व २ में कारण अज्ञात। ३—मुकदमेबाजी की रंजिश।
४—बांसडीह ..	३	१—खेत में से होकर जाने के लिये मना करने के कारण। २—मुकदमेबाजी की रंजिश। ३—कारण अज्ञात।
५—सहतवार ..	३	१—नाजायज संबंध तथा बदचलन होने कारण। २—नलकूप से पानी लेने का झगड़ा। ३—कारण अज्ञात।
६—उभाव ..	२	१—कारण अज्ञात। २—घरेलू झगड़ा।
७—रसड़ा ..	२	१—अमुक परिवार की रंजिश के धोखे में दूसरे परिवार वालों की हत्या। २—कारण अज्ञात।
८—सिकन्दरपुर ..	३	१–२–खेत का झगड़ा। ३—रंजिश।
९—भडवार ..	२	१—कारण अज्ञात। २—आपसी कहासुनी।
१०—नगरा ..	३	१—कारण अज्ञात। २—कारण अज्ञात। ३—पुरानी रंजिश।

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

१ जनवरी, १९६९ से ३१ अक्तूबर, १९६९ तक की अवधि में बलिया जिले के विभिन्न थानों की डकैती तथा राहजनी की घटनाओं के विवरण

डकैती

नाम थाना		संख्या रिपोर्ट	चालान	अंतिम रिपोर्ट	विवेचना में
१—कोतवाली	..	१	—	१	—
२—बैरिया	..	३	२	१	—
३—हल्दी	..	३	१	२	—
४—बांसडीह	..	२	१	१	—
५—सहतवार	..	४	१	२	१
६—मनियार	..	१	—	१	—
७—उभांव	..	१	१	—	—
८—रसड़ा	..	१	—	१	—
९—भीमपुरा	..	१	—	१	—
१०—सिकन्दपुरा	..	२	१	१	—
११—गड़वार	..	२	—	२	—
१२—नगरा	..	१	१	—	—
योग	..	२२	८	१३	१

लूट

१—कोतवाली	..	२४	११	१०	३
२—बैरिया	..	२	२	—	—
३—बांसडीह	..	२	१	१	—
४—सहतवार	..	३	२	१	—
५—मनियार	..	१	—	१	—
६—उभांव	..	५	१	४	—
७—रसड़ा	..	२	१	१	—
८—भीमपुरा	..	२	—	२	—
९—सिकन्दरपुर	..	४	३	१	—
१०—गड़वार	..	३	१	२	—
योग	..	४८	२२	२३	३

अपर पदेन सभा विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७०२ पर)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की अवधि को और बढ़ाने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "छः वर्ष" के स्थान पर शब्द "आठ वर्ष" रख दिए जाएं।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ३६, १९६९ का निरसन।

३—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, १९६८, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने के उद्देश्य से पारित किया गया था। यह एक अस्थायी विधान था जो तब तक प्रभावी रहने के लिये अभिप्रेत था जब तक कि इस सम्बन्ध में व्यापक विधान को अन्तिम रूप न दे दिया जाय। अभी तक व्यापक विधान को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है तथा इसी बीच में भारत सरकार ने एक पब्लिक ट्रस्ट बिल तैयार किया है। राज्य स्तर अथवा अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक विधान को अन्तिम रूप देने में अभी कुछ समय लगेगा। अतः उक्त अधिनियम की अवधि को १४ दिसम्बर, १९७० तक बढ़ाने के हेतु अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ३६, १९६८ को राज्य विधान मण्डल से पुनः अधिनियमित कराने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

विद्यावती राठौर,
समाज कल्याण मंत्री।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थाई अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थाई अधिकार) अधिनियम, १९६२, जिसकी अवधि को १४ दिसम्बर, १९७० तक बढ़ाने हेतु अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० ३६, १९६८ को राज्य विधान मंडल से पुनः अधिनियमित कराने हेतु वर्तमान विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, की धारा ४ के अन्तर्गत राज्य सरकार को आयुक्त, सहायक आयुक्त या अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के अधिकार प्रदत्त हैं। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों एवं शासन के सीमित साधनों के कारण उक्त मूल अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार की वर्तमान मशीनरी से ही काम लिया जा रहा है और इस हेतु उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये विभिन्न अधिकारियों को उक्त धारा ४ के अन्तर्गत यथावश्यक आयुक्त/सहायक आयुक्त/अनुसंधान अधिकारी, इत्यादि नियुक्त किया गया है जिनके द्वारा उक्त अधिनियम कार्यान्वित किया जाता है। अतः वर्तमान विधेयक पारित होने से राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

विद्यावती राठौर,
समाज कल्याण मंत्री।

उत्तर प्रदेश हिन्दू धार्मिक संस्था सम्पत्ति अपव्यय निवारण (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की धारा १ (३) का उद्धरण जिसका संशोधन होना है

१—(३) इसके प्रचलित होने के दिनांक से ६ वर्ष समाप्त होने पर यह प्रभावी न रहेगा सिवाय ऐसी बातों के संबंध में जिन पर उक्त समाप्ति के पूर्व कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी हो और यूनाइटेड प्राविंसेज, जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ इस अधिनियम को समाप्ति पर इस प्रकार प्रवृत्त होगी, मानों यह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया हो।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७०२ पर)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७

यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ को सीमित अवधि के लिए जारी रखने का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) अधिनियम, १९७० कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

२—यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में अंक "१९६८" के स्थान पर अंक "१९७३" रख दिए जाएं। — यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७ की धारा १ का संशोधन

३—उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) अधिनियम, १९६८ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। — राष्ट्रपति अधिनियम संख्या २६, १९६८ का निरसन।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में, बिजली के उत्पादन, सम्भरण तथा वितरण और उसके वाणिज्य तथा व्यवसाय पर नियंत्रण करने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अवधि राष्ट्रपति शासन के काल में ५ वर्ष के लिए अर्थात् ३ सितम्बर, १९७३ तक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) अधिनियम, १९६८ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या २६, १९६८) द्वारा बढ़ा दी गई थी किन्तु संविधान के अनुच्छेद ३५७ के खंड (२) के अनुसार राष्ट्रपति के अधिनियम, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे जब तक कि उनके उपबन्ध, उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व पुनः अधिनियमित न कर दिये जायं। तद्नुसार उक्त राष्ट्रपति अधिनियम २५ फरवरी, १९७० को समाप्त हो जायेगा। अतएव जनसाधरण के हित में यह आवश्यक है कि उक्त राष्ट्रपति अधिनियम के उपबन्धों को पुनः अधिनियमित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ पुरःस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
उप मुख्यमन्त्री।

Extract of Section I of the United Provinces Electricity (Temporary Powers of Control) Act. 1947

U. P. Act No. VI of 1947

* * * *
* * * *

It is hereby enacted as follows :

Short title, extent, commencement and duration.

1. (1) This Act may be called the United Provinces Electricity (Temporary Powers of Control) Act, 1947.

(2) It extends to the whole of the United Provinces.

(3) It shall come into force on the 1st day of October, 1946.

(4) It shall cease to have effect after September 30, 1968 except as respects things done or omitted to be done before the expiration thereof, and section 6 of the United Provinces General Clauses Act, 1904, shall apply upon the expiry of this Act as if it had then been repealed by an Act of this Province.

* * * *
* * * *

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७२४ पर)

वित्त मंत्री, श्री बलवीर सिंह, का १९७०–७१ के बजट अनुमानों पर बजट–भाषण

महोदय,

मैं १९७०–७१ का बजट प्रस्तुत करना चाहता हूं।

नयी सरकार लगभग दो सप्ताह पहले ही बनी है। इसलिये उसे बजट संबंधी स्थिति को समझने तथा अपने ब्योरेवार नीतियां निर्धारित करने में समय लगना स्वाभाविक है। पिछली सरकार द्वारा किए गए कतिपय कार्यों पर सावधानी से पुनर्विचार करने की भी आवश्यकता है। परन्तु बजट वर्ष में वर्तमान सेवाओं तथा योजनाओं पर और साथ ही चालू आयोजनागत योजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था करना जरूरी है। अतः संविधान के अनुच्छेद २०६ के अधीन तीन महीने के 'लेखानुदान' की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यह अस्थायी बजट है। अंतिम बजट, जिसमें नई मदें और योजनाएं सम्मिलित होंगी, बाद में प्रस्तुत किया जायगा। एक वार्षिक वित्त-विवरण तैयार किया गया है जिसमें लेखानुदान के प्रयोजन के लिये केवल आवश्यक सूचना दी गई है, जैसा कि ऐसे अवसरों पर पहले भी किया जाता रहा है।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था तथा वित्तीय स्थिति की विस्तृत समीक्षा सदन के सम्मुख अंतिम बजट पेश करते समय प्रस्तुत की जायगी। वास्तव में यही परम्परागत प्रथा है। फिर भी, सदन में जो श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को सामान्य रूप से समझने के लिए आवश्यक जानकारी कराई गयी है।

पिछली सरकार का यह अनुमान था कि १९६९–७० के बजट में राजस्व और पूंजी लेखे के अन्तर्गत कुल मिला कर ७३ करोड़ ६८ लाख रुपए का घाटा होगा। जैसा कि मैं अभी बताउंगा, वित्त आयोग ने आयोजनेतर राजस्व लेखे में संपूर्ण अन्तर को पूरा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। परन्तु सौभाग्य से राजस्व और पूंजी लेखे पर समग्र रूप से अपेक्षाकृत कम अर्थात् ६२ करोड़ १३ लाख रुपये के ही घाटे का पता चलता है। इसमें से वस्तुतः पूंजी पक्ष की ओर २९ करोड़ ६ लाख रुपए तक का घाटा वास्तविक नहीं है क्योंकि यह १९६८–६९ के दौरान राज्य के रोकड़ शेष में कमी हो जाने के सम्बन्ध में समायोजन प्रविष्टि करने के कारण हुआ है। कुल घाटे को लोक लेखे के अन्तर्गत होने वाली शुद्ध आय से पूरा करने का विचार है, जिसमें रिजर्व से निकाली जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, वित्त आयोग, राष्ट्रपति द्वारा, पांच वर्षों में एक बार नियुक्त किया जाता है और उससे यह आशा की जाती है कि वह राज्य के आयोजनेतर राजस्व लेखे के अन्तर को पूरा करने के लिए न्यागमन (डिवोलूशन) के सिद्धान्त निर्धारित करेगा। वर्ष के दौरान पाचवें वित्त आयोग ने अपना अंतिम निर्णय दिया। उसने अपेक्षाकृत कम समृद्ध राज्यों की समस्याओं को मान्यता दी और अपना निर्णय देने में इस राज्य की दलील को दृष्टिगत रखते हुये पिछड़ेपन और जनसंख्या को अधिक महत्व दिया। वित्त आयोग ने न्यागमन (डिवोलूशन) योजना में आयकर की अग्रिम वसूलियों को सम्मिलित करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। परन्तु आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण मदों, जैसे, पुलिस पुनर्संगठन, राजस्व प्रशासन को दोष रहित बनाने, कोठारी आयोग की सिफारिश लागू करने के संबंध में होने वाले नए व्यय को तथा सड़कें, नहरें, नलकूप आदि जैसे सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण-कार्यों पर होने वाले बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के राज्य के प्रस्तावों को नहीं माना, और न उसने लगातार सूखाग्रस्त क्षेत्रों की जनता को राहत देने तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों को और अधिक शैक्षिक सुविधायें देने के लिए, अधिक

[श्री बलवीर सिंह]

सहायक अनुदान दिए जाने के संबंध में राज्य के अनुरोध पर ध्यान ही दिया। संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन चौथे वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य को मिलने वाला सहायक अनुदान समाप्त कर दिया गया। आयोग को यह बता दिया गया था कि आयोजनेतर राजस्व लेखे में कुल मिला कर १,०४७ करोड़ रुपए का अन्तर है। यह अनुमान लगाया गया है कि आयोग ने न्यागमन (डिवोलूशन) के संबंध में जिन सिद्धान्तों की सिफारिश की है उनके अनुसार राज्य को १९६९–७० से १९७३–७४ तक की पांच वर्ष की अवधि में लगभग ६२० करोड़ रुपये मिलेंगे। इस प्रकार ४२७ करोड़ रुपए का अन्तर रह जायगा जिससे राज्य सरकार को अपने संसाधनों से पूरा करना पड़ेगा। फिर भी, यदि भारत सरकार द्वारा वित्त आयोग की यह सिफारिश मान ली जाती है कि शक्कर, सूती कपड़ा और तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया जाय और राज्य सरकार को इन मदों पर बिक्री-कर फिर से लागू करने की अनुमति दे दी जाय तो इससे उपर्युक्त अन्तर को कम करने में सहायता मिल सकती है।

आयोजनागत सहायता के संबंध में राज्य सरकार से यह कहा गया है कि चौथी आयोजना के लिए कुल ९६५ करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है, उसमें से भारत सरकार से ५२६ करोड़ रुपये से अधिक मिलने की आशा नहीं की जा सकती। अतएव ४३९ करोड़ रुपए की धनराशि राज्य को अपने संसाधनों से जुटानी पड़ेगी। अतिरिक्त बाजार ऋण, छोटी बचतों में लगाई जाने वाली अपेक्षाकृत अधिक धनराशि और राजस्व से अपेक्षाकृत अधिक संक्रम जैसी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये भी १७५ करोड़ रुपये का अन्तर रह जायगा, जिसे राज्य को अतिरिक्त संसाधनों द्वारा जुटाना पड़ेगा। यह पांच वर्ष की अवधि में १० करोड़ रुपये की बचत करने के अलावा होगा। यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए किए गए उपायों से लगभग ८० करोड़ रुपए उपलब्ध हो जायंगे। इसलिए शेष ९५ करोड़ रुपए की धनराशि आयोजना के बाकी ४ वर्षों में जुटानी पड़ेगी।

९६५ करोड़ रुपये की आयोजना कार्यान्वित करने के लिए और सामान्य आयोजनेतर व्यय पूरा करने के लिए राज्य को ८६६ करोड़ रुपये के कुल संसाधनों की आवश्यकता होगी। यदि आयोजनेतर पक्ष की सभी नई योजनायें समाप्त कर दी जायं और भारी बचत की जाय तो हमें केवल ९६५ करोड़ रुपए की आयोजना कार्यान्वित करने के लिए कम से कम ९५ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

यदि हम अलाभकर जोतों को मालगुजारी (५ करोड़ ८० लाख रुपए) से मुक्त करने और उर्वरकों पर से बिक्री-कर (३ करोड़ रुपए) समाप्त करने के फलस्वरूप ८ करोड़ ८० लाख रुपयें प्रति वर्ष होने वाली राजस्व की अतिरिक्त हानि को ध्यान में रखें तो आयोजना अवधि में १३० करोड़ २० लाख रुपए के अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी।

१९७०–७१ की आयोजना के के लिए १७९ करोड़ १९ लाख रुपए की धनराशि अंतिम रूप से स्वीकृत की गई है, जबकि चालू वर्ष के लिए आयोजना की धनराशि १६० करोड़ रुपए है। इसमें से ८३ करोड़ ७५ लाख रुपए की धनराशि राज्य को अपने संसाधनों से पूर्ण करनी होगी और शेष ९५ करोड़ ४४ लाख रुपए की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त हो जायगी।

जहां तक वर्ष १९७०–७१ का संबंध है, अंतिम वित्तीय स्थिति का पता, अंतिम रूप से बजट तैयार हो जाने के पश्चात् ही लग सकेगा, जिसमें नई योजनायें भी शामिल होंगी। वर्तमान अन्तरिम बजट में आयोजनेतर राजस्व व्यय ३७९ करोड़ ५५ लाख रुपए और आयोजनागत राजस्व व्यय ३४ करोड़ २५ लाख रुपए है। आयोजनेतर पक्ष का पूंजी व्यय (जिसमें ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं) २२ करोड़ ८५ लाख रुपए रखा गया है, जबकि आयोजनागत पक्ष का पूंजी व्यय १२४ करोड़ ७२ लाख रुपए रखा गया है। इसका अर्थ यह होगा

कि कुल अनुमानित आय ५३७ करोड़ ११ लाख रुपए होगी जबकि आयोजनागत और आयोजनेतर पूंजी और राजस्व लेखे से संबंधित व्यय ५६१ करोड़ ३७ लाख रुपए होगा और इस प्रकार २४ करोड़ २६ लाख रुपए का शुद्ध घाटा होगा। यदि इन सभी आंकड़ों में उन नई आयोजनागत योजनाओं के अनुमानित व्यय को जोड़ दिया जाय जिनको मुख्य बजट में इसलिए सम्मिलित किया जाना है कि कुल आयोजना १७९ करोड़ १९ लाख रुपए की हो जाय तो कुल अन्तर और भी बढ़ कर २८ करोड़ ३१ लाख रुपए का हो जायगा और इसे अतिरिक्त संसाधन जुटा कर पूरा करना होगा। अंतिम बजट प्रस्तुत करते समय मैं उन प्रस्तावों के संबंध में आपसे मार्ग-दर्शन चाहूंगा जिन्हें मैं आशा करता हूं मैं उस समय तक अंतिम रूप दे सकूंगा।

मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि यह ऐसा अवसर नहीं है कि कोई ब्योरेवार समीक्षा की जाय। इसलिए मैं सदन का और अधिक समय नहीं लूंगा। इसके पूर्व कि मैं भाषण अपना समाप्त करूं, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि जनसाधारण की दशा सुधारने के एकमात्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और देश के इस अत्यधिक आबादी वाले राज्य की मौजूदा अल्प-विकसित स्थिति का उत्थान करने में सरकार इस सदन के सभी सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करती है। जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कई अवसरों पर कहा है, चतुर्दिक प्रगति के हेतु यह अनिवार्य है कि हम सभी कठिन परिश्रम, अविचलित कर्त्तव्य-परायणता, सच्चरित्रता तथा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य निभायें।

श्रीमन्, मैं वर्ष १९७०–७१ का बजट पेश करता हूं।

फाल्गुन १४, शक संवत् १८९१

तदनुसार,
५ मार्च, १९७०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये पीछे पृष्ठ ७२१ पर)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८, बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ तथा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

१९०८ के अधिनियम ५ की धारा ४२ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८, जिसे आगे उक्त संहिता कहा गया है की धारा ४२ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, और २ दिसम्बर, १९६८, से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

अन्तरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां

"४२—(१) अपने को भेजी गयी डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय ऐसी डिक्री के निष्पादन में वे ही शक्तियां रखेगा जो उसको होती यदि वह उसके ही द्वारा पारित की गयी होती। वे सब व्यक्ति, जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं या उसके निष्पादन में बाधा डालते हैं, ऐसे न्यायालय द्वारा ऐसे ही प्रकार से दण्डनीय होंगे जैसे कि यदि डिक्री उसने ही पारित की होती तो दण्डित किये जाते और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्हीं नियमों के अध्याधीन रहेगा जैसे रहता, यदि डिक्री उसके ही द्वारा पारित की गयी होती।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के अधीन न्यायालय की शक्तियों के अन्तर्गत डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—

(क) धारा ३९ के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिये डिक्री भेजने की शक्ति;

(ख) धारा ५० के अधीन मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री निष्पादित करने की शक्ति;

(ग) डिक्री के कुर्क किये जाने का आदेश देने की शक्ति;

(घ) डिक्री की निष्पादेयता पर अवधि-रोध से सम्बन्धित किसी प्रश्न का निर्णय करने की शक्ति;

(ङ) आदेश २१ के नियम २ के अधीन संदाय या समायोजन अभिलिखित करने की शक्ति ;

(च) आदेश २१ के नियम २९ के अधीन निष्पादन रोकने का आदेश देने की शक्ति ;

(छ) किसी फर्म के विरुद्ध पारित डिक्री की दशा में, आदेश २१ के नियम ५० के उपनियम (१) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी डिक्री का निष्पादन करने के लिये इजाजत देने की शक्ति ।

(३) उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके कोई आदेश पारित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा ।

(४) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जायगा कि वह उस न्यायालय को, जिसे डिक्री निष्पादन के लिये भेजी जाय, डिक्री के अन्तरिती की प्रेरणा पर निष्पादन का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है ।"

३—उक्त संहिता की धारा ११५ में—

१९०८ के अधिनियम ५ की धारा ११५ का संशोधन

(१) जहां-जहां भी शब्द "उच्च न्यायालय" आये हों उनके स्थान पर शब्द "उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय" रख दिये जायें; और

(२) उसके अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उससे जिला न्यायालय को किसी ऐसे मामले के अभिलेख मंगवाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है जो बीस हजार रुपये अथवा उससे अधिक मूल्य के मूल वाद से प्रोद्भूत हो ।"

४—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की (जिसे आगे बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट कहा गया है) धारा २१ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात् :— १८८७ के ऐक्ट १२ की धारा २१ का संशोधन

"(१) उपर्युक्त को छोड़ कर, सिविल जज की डिक्री या उसके आदेश के विरुद्ध अपील—

(ए) जिला न्यायाधीश को, जहां ऐसे मूल वाद का जिसमें या जिससे उद्भूत किसी कार्यवाही में डिक्री या आदेश दिया गया हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, १९६८ के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् संस्थित या प्रारम्भ हो अथवा निर्णीत हो, मूल्य बीस हजार रुपये से कम हो; और

(बी) किसी अन्य दशा में उच्च न्यायालय को;

की जायगी ।

(१-ए) सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ

होने के दिनांक के पूर्व उच्च न्यायालय में संस्थित कोई अपील, जहां ऐसे मूल वाद का, जिसमें या जिससे उद्भूत किसी कार्यवाही में डिक्री या आदेश दिया गया हो, मूल्य दस हजार रुपये से अधिक किन्तु बीस हजार रुपये से कम था, और जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो, परन्तु जो ऐसी अपील न हो जिसमें उक्त दिनांक के पूर्व बहस की सुनवाई समाप्त हो चुकी हो और केवल निर्णय सुनाया जाना, जिससे अपील का निस्तारण होने वाला हो, शेष हो, अधिक्षेत्र रखने वाले जिला न्यायाधीश को संक्रमित हो जायगा जो उसका या तो स्वयं निर्णय करेगा अथवा उसे अपने अधीनस्थ किसी अपर जिला न्यायाधीश को अभ्यर्पित कर सकेगा ।

(१—बी) सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिये नियत अवधि-काल, जहां ऐसे मूल वाद का, जिसमें या जिससे उद्भूत किसी कार्यवाही में, डिक्री या आदेश दिया गया हो, मूल्य दस हजार रुपये से अधिक किन्तु बीस हजार रुपये से कम था और डिक्री या आदेश २ दिसम्बर, १९६८ के पूर्व दिया गया था, परिसीमा अधिनियम, १९६३ में दी गयी किसी वाद के होते हुए भी, वही समझा जायगा और सदैव से वही समझा जायगा मानो कि अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती रही हो।" अधिनियम संख्या ३६, १९६३

धारा २५ का संशोधन

५—बंगाल, आगरा ऐण्ड आसम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात:—

"२५—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिन्हें वह ठीक समझे, किसी सिविल न्यायाधीश या मुन्सिफ को, प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ के अधीन लघुवाद न्यायालय में (कोर्ट आफ स्माल काज) के न्यायाधीश का अधिक्षेत्र, ऐसे न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वादों का परीक्षण करने के लिये, ऐसे मूल्य तक जो किसी सिविल न्यायाधीश की दशा में एक हजार रुपये या किसी मुन्सिफ की दशा में पांच सौ रुपये से अधिक न हो, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रदत्त कर सकती है और इस प्रकार प्रदत्त अधिक्षेत्र को वापस ले सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस धारा के अधीन अपनी शक्ति उच्च न्यायालय को प्रतिनिहित कर सकती है ।"

१८८७ के ऐक्ट १२ की धारा १५ का संशोधन

६—प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा १५ में उपधारा (२) और (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्:—

"(२) उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट अपवादों और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सिविल प्रकार के ऐसे सभी वाद जिनका मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो, लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे ।

(३) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि सिविल प्रकार के ऐसे सभी वाद जिनका मूल्य दो हजार रुपये से अधिक न हो, उक्त आदेश में उल्लिखित लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे ।"

७—सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ की धारा ६९—क के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:— अधिनियम संख्या ४, १८८२ में नयी धारा ६९—ख का बढ़ाया जाना

"६९—ख—(१) जहां धारा ६९ के अधीन विक्रय की शक्ति का प्रयोग करके बन्धक सम्पत्ति या उसका कोई भाग बेच दिया गया हो तो कलेक्टर, तदर्थ उसे आवेदन-पत्र दिये जाने पर, क्रेता को सम्पत्ति का कब्जा दिलायेगा, और किसी ऐसे व्यक्ति को निकालने के लिए, जो उसे खाली करने से इन्कार करे, ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

कब्जा देना

(२) उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा-संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट आदेश २१ के नियम ९५ से १०३ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे जिनमें न्यायालय तथा निर्णीत ऋणी के अभिदेशों के स्थान पर क्रमशः कलेक्टर तथा बाकीदार प्रबन्धकर्त्ता का अभिदेश होगा।

(३) इस धारा में "कलेक्टर" का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, और इसके अन्तर्गत कलेक्टर के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई सहायक कलेक्टर भी है।"

निरसन

८—उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, १९६८ और उत्तर प्रदेश के लिये राष्ट्रपति अधिनियमों का (पुनः अधिनियमन) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ३५, १९६८ और उ०प्र० अध्यादेश १९७०

उद्देश्य और कारण

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा ४२, उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यू० पी० सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा संशोधित की गयी थी। उस संशोधन का उद्देश्य यह था कि उस न्यायालय को, जिसे डिक्री निष्पादन के लिये अन्तरित की जाये, विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के बारे में मूल न्यायालय की शक्ति और उसी प्रकार की अन्य शक्तियां प्रदान की जायें। किन्तु जिस रूप में उस संशोधन का प्रारूप बनाया गया उसका एक दुर्भाग्यपूर्ण और अनाशयित प्रभाव यह हुआ कि मूल न्यायालय के लघुवाद न्यायालय होने की दशा में, अन्तरित न्यायालय उस डिक्री को स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध निष्पादित करने की शक्ति से वंचित हो गया। उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चयों में इस त्रुटि की ओर इंगित किया। अधीनस्थ न्यायालयों में भ्रष्टाचार के कारणों की जांच के लिये नियुक्त की गयी मुकर्जी समिति ने भी इस त्रुटि की ओर ध्यान दिया। बार एसोसियेशन भी इस त्रुटि के सुधार की बराबर मांग करते रहे हैं। तदनुसार यह निश्चय किया गया कि उक्त धारा का संशोधन उस ढंग से कर दिया जाय जिसका सुझाव भारतीय विधि आयोग ने उक्त संहिता के संशोधन पर दी गयी अपनी २७वीं रिपोर्ट में दिया है।

२—यह भी निश्चय किया गया कि बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ का संशोधन इस प्रकार किया जाये कि जिला न्यायाधीशों की धन सम्बन्धी अपीली अधिकारिता दस हजार रुपये से बढ़कर बीस हजार रुपये हो जाय, जिससे कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य घट जाय। १८८७ से (जबकि पांच हजार रुपये की सीमा नियत की गयी थी) रुपये के मूल्य में जो कमी हुई है उसको देखते हुए भी जिला न्यायाधीश की अपीली अधिकारिता और बढ़ाना उचित प्रतीत होता है।

३—अधीनस्थ सिविल न्यायालयों में बकाया कार्यों में घटोत्तरी करने के विचार से यह भी निश्चय किया गया कि भारतीय विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार मुन्सिफों, सिविल न्यायाधीशों और लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीशों को लघुवादों में धन सम्बन्धी अधिकारिता की सीमा २५० रु०, ५०० रु० और १,००० रु० से बढ़ा कर क्रमशः ५०० रु०, १,००० रु० और २,००० रु० कर दी जाये। मुन्सिफों की अधिकारिता की धन सम्बन्धी सीमाओं को छोड़ कर जो कि १९११ में अन्तिम बार बढ़ायी गयी थी, वर्तमान धन सम्बन्धी सीमाएं ८० वर्ष पूर्व नियत की गयी थीं तब से अब रुपये का मूल्य बहुत गिर गया है।

४—उपर्युक्त निश्चयों को प्रभाव में लाने के लिये राष्ट्रपति शासन के दौरान तद्नुसार उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, १९६८ अधिनियमित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद ३५७ के खण्ड (२) को दृष्टि में रखते हुए, इस राष्ट्रपति अधिनियम के उपबन्धों को कुछ छोटे-मोटे आशोधनों के साथ, पुनः अनियमित करने का प्रस्ताव है। विशेष रूप से, अन्य बातों के अतिरिक्त, जिला न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के साथ-साथ, ऐसे वादों के सम्बन्ध में पुनरीक्षण की अधिकारिता दिये जाने का प्रस्ताव है जिनमें अपील जिला न्यायालय द्वारा संज्ञेय होगी। इससे भी उच्च न्यायालय के कार्यभार को कम करने में सहायता मिलेगी।

५—इस अवसर का उपयोग, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ में एक नई धारा ६९—बी बढ़ा कर ऐसा प्रबन्ध करने के लिये किया जा रहा है जिससे उसकी धारा ६९ के अधीन सरकार द्वारा बन्धकदार के रूप में बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के बेची गयी बन्धक सम्पत्ति का कब्जा भी क्रेता को दिलाया जा सके।

६—तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

बनवीर सिंह
न्याय मंत्री।

ज्ञापन-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० के उपबन्धों में उत्तर प्रदेश के लिये राष्ट्रपति अधिनियमों का पुन: अधिनियमन अध्यादेश, १९७० द्वारा पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, १९६८ के उपबन्धों से रूप भेदों को स्पष्ट किया गया है।

१—विधेयक के खण्ड २ द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा ४२ को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। उक्त धारा ४२ की उप धारा (२) में जैसा कि वह उत्तर प्रदेश के लिये राष्ट्रपति अधिनियमों का (पुन: अधिनियमन) अध्यादेश, १९७० द्वारा पुन: अधिनियमित है, केवल खण्ड (घ), (ङ), (च) व (छ) इस उद्देश्य से बढ़ाये जा रहे हैं कि उक्त धारा ४२ की उपधारा (१) के अधीन न्यायालय की शक्तियों के अन्तर्गत डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय को, उनमें उल्लिखित डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की शक्तियां, जो इस समय भी ऐसे न्यायालयों के अन्तर्निहित हैं, स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जायं, और मुकदमेबाजी की गुंजायश कम हो जाय।

२—खण्ड ४ में बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा २१ की उपधारा (१—क) जैसा कि वह उक्त अध्यादेश द्वारा अधिनियमित है, के अनुसार उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, १९६८ के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व उच्च न्यायालय में संस्थित कोई अपील, जहां ऐसे मूलवाद का जिसमें या जिससे उद्भूत किसी कार्यवाही में डिक्री या आदेश दिया गया हो, "मूल्य १०,००० रुपये से अधिक किन्तु २०,००० रुपये तक" हो अधिक्षेत्र रखने वाले जिला न्यायाधीश को संक्रमित करने की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद १३३ (१) के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुये अब यह उचित समझा गया है कि २०,००० रुपये मूल्य के मूल वादों की अपील तो उच्च न्यायालय में ही रहें परन्तु २०,००० रुपये से कम मूल्य तक के वादों की अपीलें संक्रमित हो जायें। दूसरे उक्त उपधारा (१—क) को, संशोधित करके यह भी व्यवस्था की जा रही है कि नियत दिनांक को ऐसी अपील स्वत: उच्च न्यायालय से इस प्रकार संक्रमित हो जाय, और उच्च न्यायालय को इसके लिये आदेश देने की आवश्यकता न रहे।

३—इन संशोधनों के अतिरिक्त इस विधेयक के खण्ड ३ व ७ में, जैसा कि उद्देश्य और कारण में स्पष्ट किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा ११५ में संशोधन करने तथा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२, में एक नई धारा ६९-ख बढ़ाने के लिये भी इस अवसर कृपा लाभ उठाया जा रहा है।

बलवीर सिंह,
न्याय मंत्री।

प्रस्तुत विधेयक द्वारा संशोधित होने वाले अधिनियमों की संगत धाराओं का उद्धरण

सिविल प्रकिया संहिता, १९०८ की ४२ धारा

42. The court executing a decree sent to it shall have the same power in executing such decree as the court which passed it. All persons disobeying or obstructing the execution of decree shall be punishable by such court in the same manner as if it had passed the decree, and its order in executing such decree shall be subject to the same rules in respect of appeal as if the decree had been passed by itself.

पुनरीक्षण

११५——उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिससे उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चित किया है और जिसकी कोई भी अपील उसमें नहीं होती, और यदि यह प्रतीत हो कि——

(क) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है, अथवा

(ख) ऐसा अधीनस्थ न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो ऐसे निहित है, अथवा

(ग) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से यह तात्विक अनियमितता से कार्य किया है,

तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

Sections 21 and 25 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887

Appeals from Civil Judges and Munsifs.

21. (1) Save as aforesaid, and appeal from decree or order of a Civil Judge shall lie—

(*a*) to the District Judge where the value of the original suit in which or in any proceeding arising out of which the decree or order was made, did not exceed ten thousand rupees, and

(*b*) to the High Court in any other case.

Power to invest Civil Judges anp Munsifs with Small Court Jurisdiction.

25. The State Government may, by notification in the Official *Gazette*, confer, within such local limits as it thinks fit, upon any Civil Judge or Munsif the jurisdiction of a Judge, of a Court of Small Causes under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887, for the trial suits, cognizable by such Court, up to such value not exceeding five hundred rupees in the case of a Civil Judge or two hundred and fifty rupees in the case of a Munsif as it thinks fit and may withdraw any jurisdiction so conferred :

Provided that the State Government may by notification in the Official *Gazette* delegate to the High Court its powers under this section.

Sub-sections (2) and (3) of Section 15 of the Provincial Small Cause Courts Act, 1887

15. (2) Subject to the exceptions specified in that Schedule and to the provisions of any enactment for the time being in force, all suits of a civil nature of which the value does not exceed five hundred rupees shall be cognizable by a Court of Small Causes.

(3) Subject to aforesaid, the State Government may, by order in-writing, direct that all suits of a civil nature of which the value does not exceed one thousand rupees shall be cognizable by a Court of Small Causes mentioned in the order.

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४ एल० ए०—१९७०—८४२।